खण्ड-320, अंक-3
बुधवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1898
(24 मार्च, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	157–160
प्रश्नोत्तर	161–198
गोरखपुर के एस0 डी0 एम0, सदर, श्री अब्दुल अन्सारी हई व उप-पुलिस अधीक्षक, श्री सी0 एन0 पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	198–199
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)	199
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)	200
भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया)	200
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	200–201
नेता विरोधी दल के भाषण को समाचार-पत्रों द्वारा न छापे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	201–207
1975-76 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा	207–240
1975-76 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल (स्वीकृत)	240
अनुदान सख्या 3—मन्त्रि-परिषद् (स्वीकृत)	240
अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	240–241
अनुदान सख्या 7—भू-राजस्व (स्वीकृत)	241
अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण (स्वीकृत)	241
अनुदान संख्या 11—बिक्र -कर (स्वीकृत)	241
अनुदान सख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर (स्वीकृत) . .	241
अनुदान सख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति (स्वीकृत) . .	242
अनुदान सख्या 18—सचिवालय (स्वीकृत)	242
अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन (स्वीकृत)	242
अनुदान सख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) . .	242
अनुदान सख्या 21—पुलिस (स्वीकृत)	243
अनुदान संख्या 22—कारागार (स्वीकृत)	243
अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत) . .	243
अनुदान सख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) . .	243
अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें (स्वीकृत) . .	244
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें (स्वीकृत) . .	244
अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें (स्वीकृत) . .	244
अनुदान संख्या 28—शिक्षा (स्वीकृत)	244
अनुदान सख्या 29—कला एवं संस्कृति (स्वीकृत)	244–245
अनुदान सख्या 31—चिकित्सा (स्वीकृत)	245
अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन (स्वीकृत)	245
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	245
अनुदान संख्या 34—आवास भवन (स्वीकृत)	245

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार (स्वीकृत)	246
अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत)	246
अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (स्वीकृत) ..	246
अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें (स्वीकृत) ..	246
अनुदान संख्या 41—सहकारिता (स्वीकृत)	247
अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) ..	247
अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (स्वीकृत) ..	247
अनुदान संख्या 44—कृषि (स्वीकृत)	247
अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास (स्वीकृत)	248
अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण (स्वीकृत)	248
अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार (स्वीकृत)	248
अनुदान सख्या 49 —पशुपालन (स्वीकृत)	248
अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला (डेरी) विकास (स्वीकृत) ..	249
अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग (स्वीकृत)	249
अनुदान संख्या 52—वन (स्वीकृत)	249
अनदान संख्या 53—उद्योग (स्वीकृत)	249
अनुदान संख्या 54—ग्राम्य एवं लघु उद्योग (स्वीकृत) ..	250
अनुदान संख्या 55—खाने तथा खनिज (स्वीकृत)	250
अनुदान संख्या 57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	250
अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	250
अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन (स्वीकृत)	251
अनुदान संख्या 60—संचार साधन (स्वीकृत)	251
अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन (स्वीकृत)	251
अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	251
अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन (स्वीकृत)	252
अनुदान संख्या 65—पर्यटन (स्वीकृत)	252
अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण (स्वीकृत)	252
अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	252
अनुदान सख्या 78—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	253
अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	253
अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	253
अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	253–254
अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	254
अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योंगों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	254
अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (स्वीकृत) ..	254
अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	255
अनुदान सख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	255
अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	255
अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	255–256

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 82—बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	256
अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	256
अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	256
अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम शिक्षा (स्वीकृत) ..	256–257
अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन (स्वीकृत)	257
अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन (स्वीकृत) ..	257
अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम—उद्योग (स्वीकृत) ..	257
अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम-सहकारिता (स्वीकृत) ..	257–258
अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम कृषि (स्वीकृत)	258
अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम-विद्युत (स्वीकृत) ..	258
अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम-परिवहन (स्वीकृत) ..	258
उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 (पारित किया गया)	258–263
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	263–264
नत्थियां	265–287

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 24 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---311

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमीमियां
अनवार मोहम्मद श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नश्तर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवध नाथ, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेरू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री

गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महंथ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम , श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
थर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्दं राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बबवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री

भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनी राम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री (एडवोकेट)
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति विन्द श्री, एडवोकेट
राम रती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री

राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराप निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 24 मार्च, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

नगरमहापालिकाओं के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का नया वेतन-मान

*1—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी कौन-कौन नगर महापालिकायें हैं जिनमें प्राइमरी पाठशालाओं (बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत) के अध्यापकों को नवीन वेतन-मान के अनुसार अभी वेतन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों तथा कब से मिलना प्रारम्भ हो जाएगा?

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

ऐसी कोई नगरमहापालिका नहीं हैं?

बहराइच जिले की अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सेवा समाप्ति एवं पुनर्नियुक्ति

*2—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि बहराइच जिले की कौन-कौन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को वर्ष 1973-74 के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में न भेजा पाने के कारण सेवायें समाप्त कर दी गई हैं? क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशक, लखनऊ के पत्र संख्या शि0 मु0 वि0 नि0/आई(1) 1-475/31—41(4)-74-75, दिनांक 31 अगस्त, 1974 के अनुसार बहराइच जिले में सेवा समाप्त अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं में से कौन-कौन को अब तक सेवा में पुन: पद स्थापित नहीं किया गया है। यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

ऐसी अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सूची संलग्न है कि इन सबको पुन: पद स्थापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 265 पर।)

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

माननीय मन्त्री के उत्तर से सम्बन्धित क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 26 अध्यापिकाओं की संलग्न सूची दी हुई है, जिनकी सेवायें समाप्त करके पुन: पद स्थापित किया गया था, तो इनको पद से मुक्त करने का आधार क्या था? और साथ ही क्या इनकी सेवायें समाप्त करने का शासन से कोई निदेश भेजा गया था?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पहले जिला बहराइच में इस तरह के 126 अध्यापिकायें 1973-74 में थीं, जिनकी बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद शासन से आदेश गया कि जो महिलायें बीमारी या अन्य आवश्यक मजबूरी से उसकी ट्रेनिंग में बैठ नहीं सकी हैं उनको एग्जेम्पशन दे दिया जाय। यह आदेश फिर 31 अगस्त को जारी हुए कि इस तरह की महिलाओं को ट्रेनिंग से माफ कर दिया जाय और वह काम करती रहें। इस बीच कुछ की सेवायें समाप्त कर दी गईं, किन्तु बाद में उन्हें फिर उनके पदों पर पुनः स्थापित कर दिया गया है

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

इन अध्यापिकाओं को निकालने के बारे में शासन से कोई निर्देश भेजा गया था या नहीं ? और यदि नहीं भेजा गया था तो बिना निर्देश के निकालने के बाद उनको पुन: स्थापित किया गया है तो क्या सरकार जिस अवधि में वे सेवारहित रहीं गयीं, उस अवधि का उनका वेतन भी सरकार देगी या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सबसे पहली चीज यह है कि वे ट्रेन्ड नहीं थीं, जबकि ट्रेंड को रखा जा रहा था, फिर भी उन्हें रखा गया है, सरकार ने यह रियायत बरती कि उन्हें ट्रेनिंग की सुविधा दी और फिर भी ट्रेनिंग न कर पाने पर आदेशानुसार उनको रख लिया गया। अब यदि उनको कोई असुविधा हुई है तो उसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जब शासन के निदेश थे कि ऐसी अध्यापिकाओं को, जो अन्ट्रेन्ड हैं और किसी अपरिहार्य कारणों से ट्रेनिंग नहीं कर सकी हैं उनको सेवाओं से वंचित न किया जाये तो उनको सेवा से लगे रहना चाहिए था, लेकिन जिलाधीश की गलती से उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं, तो जिस अवधि में वे सर्विस में नहीं रहीं, उसका वेतन भी उन्हें मिलना चाहिए, तो क्या सरकार इसका आश्वासन देगी कि उनको उस अवधि का सम्पूर्ण वेतन दिया जाएगा।

श्री अम्मार रिजवी—

यह 26 अध्यापिकाओं का मामला है, और शासन की कभी यह नीयत नहीं रही है कि कोई बात हो, उनका कोई विक्टीमाइजेशन हो और खासकर महिलाओं का। तो इसे दिखवा लेंगे, सम्भव होगा तो दे दिया जायगा।

सीतापुर जिले की शारदा सहायक परियोजना के उप खंड बिसवां के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री हरि केवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में चल रही शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के बिसवां तहसील में 64 कि0 मी0 से 78 कि0 मीटर तथा अन्य जगह पर नहर निर्माण कार्य में अधिकारीगण एवं ठेकेदारों के दल ने, बिना कार्य तथा अन्य प्रकार से लगभग 80 लाख रुपया से अधिक हड़प लिया है ? जिसकी ओर जन प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने कुछ मास पूर्व पत्र लिखकर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है ? यदि हां, तो अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री लोकपति)—

शारदा सहायक परियोजना के द्वितीय उप खंड बिसवां के विरुद्ध श्री कुन्दन सिंह का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती-पत्र की जांच करा ली गयी है। जांच आख्या पर कार्यवाही की जा रही है।

बुलन्दशहर के ग्राम गोकुलपुर में निचली गंगा नहर का निर्माण एवं उससे प्रभावित कृषक

*4—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोकुलपुर परगना डिवाई, तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर में एक नई नहर निकालने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कितने कृषक प्रभावित हो रहे हैं और वह योजना क्या है ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

जी हां। खरीफ की फसलों हेतु अधिक जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समानान्तर निचली गंगा नहर निकाली जा रही है। इस नहर के निर्माण से गोकुलपुर ग्राम में प्रभावित होने वाले कृषको की संख्या 76 है।

श्री हिम्मत सिंह—

मैंने मुख्य सवाल में यह पूछा था कि वह योजना क्या है, इसका मन्त्री जी ने उत्तर नहीं दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह नहर कब तक बन जाएगी, किन-किन जिलों की इससे सिचाई होगी और कितने एक? जमीन इससे सींची जाएगी ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मान्यवर, अन्दाज यह है 3 वर्ष में यह नहर तैयार हो जाएगी और इससे लगभग 2 लाख 22 हजार एक? मीन की सिंचाई हो सकेगी।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह और जानना चाहता हूं कि जो 76 किसान प्रभावित होंगे उनको कब तक मुआवजा मिल जायगा और उनमें कितने ऐसे कृषक हैं जो भूमिहीन हो जायेंगे ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

उनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिया जायगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जो किसान भूमिहीन हो जायेंगे, क्या उनको दूसरी जगह भूमि आवंटित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

हम तो उनको मुआवजा देंगे, रुपये की शकल में, भूमि की शक्ल में नहीं।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, गोकुल ग्राम में काफी जमीन है, मान्यवर, जो काश्तकार भूमिहीन हो जायेंगे, क्या उनको भूमि दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकता।

नलकूप प्रखंड बलिया के अधिशासी अभियन्ता श्री पी० पी० एन० सिंह द्वारा कल पुर्जों की खरीद

*5—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (श्री पी० पी० एन० सिंह) नलकूप प्रखण्ड बलिया, जो आज कल निलम्बित है, ने अपने कार्य-काल के दौरान कितने रुपए के कल पुर्जों की खरीद और दफ्तरों के लिये साज-सज्जा की खरीद किन-किन फर्मों या व्यक्तियों से की और किस आधार पर की ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

अधिशासी अभियन्ता, श्री पी० पी० एन० सिंह, जो आजकल निलम्बित है, नलकूप प्रखंड, बलिया में 2/73 से 10/74 तक कार्यरत रहे। इस कार्यकाल में उन्होंने कुल रुपए 4,61,538.10 के कलपुर्जों की खरीद की जिसमें कुल रुपए 315.10 के टेबुल क्लाथ, डस्टर, मेजपोश की खरीद श्री गांधी आश्रम, बलिया से दफ्तर हेतु की है।

किन-किन फर्मों या व्यक्तियों खरीद किए जाने के सम्बन्ध में सूची माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, ये माननीय चौधरी साहब हमारे जिले के हैं और हमारे मिल भी हैं। मुझे इनके कमरे मे जाने की कोई कठिनाई नहीं है। इनका कमरा तो सुखद है, लेकिन मैं तो दुखद जगह पर ही जाने को तैयार हूं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन में फर्मों या व्यक्तियों का नाम पढ़ने में क्या दिक्कत है? 4,61,53,810 रुपए का मामला है। वह

अधिशासी अभियन्ता मुअत्तल है। मान्यवर, 1 साल 6 महीने के अन्दर लगभग 5 लाख रुपए की खरीद की, तो यह 5 लाख रुपये का बेकअप हमको दिलवायें कि कितने के नए कल-पुर्जे खरीदे गए और कितना पुराने कल पुर्जों की मरम्मत पर खर्च हुआ। क्या आपत्ति है, उन लोगों के नाम सुनाने में जो भ्रष्टाचार से सराबोर हैं?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, लिस्ट हमारे पास मौजूद है, आप आज्ञा देंगे तो पढ़ सकता हूं या सदस्य महोदय चाहे तो यहीं देख लें।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहें तो देख लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, आपको भी मालूम है और माननीय मन्त्री जी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, कल-पुर्जों की खरीद और साज-सज्जा दो चीजें हैं, अगर इसका सही-सही बयान किया जाय तो कल-पुर्जों के लिये क्या 12, 14, 50 फर्म हो सकती हैं, जब आप पढ़ेंगे, कौन-कौन हैं, तभी तो मैं पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहें तो इसको हम टाल देंगे। आप देख लीजिए। आप दोनों सौभाग्य से या दुर्भाग्य से एक ही जिले से सम्बद्ध हैं। आते-जाते रास्ते में और अपने जिले में इन तथ्यों स अवगत होने का अवसर है। आम तौर पर आप कुछ अटकल लगा रहे होंगे मैं यह इजाजत नहीं दूंगा कि एक एक नाम को पढ़ा जाए और उसका निरीक्षण आप यहां करें। सदन का समय नष्ट होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ब्रेक-अप बता दें। 4 लाख 61 हजार का बता दें?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

श्री टी0 पी0 एन0 सिंह, अभियन्ता जो आजकल निलम्बित हैं, फरवरी, 1973 से अक्तूबर, 1974 तक कार्यरत थे, उन्होंने 2 लाख 88 हजार 8 सौ 38 रुपए 10 पैसे की आपूर्ति 1 लाख 72 हजार 7 सौ के अनुबन्धों द्वारा कल पुर्जे की खरीद की जिसमें 315.10 की खरीद गांधी आश्रम से की गयी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

पुराने कल-पुर्जों में और विभागीय गाड़ियों की मरम्मत में कितना खर्च किया गया? मेरी जानकारी है कि 76 हजार रुपए एक जीप की मरम्मत पर खर्च हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप धीरे-धीरे बोलें, बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे बोलने पर भी सुनाई देता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या 76 हजार रुपए एक जीप की मरम्मत पर खर्च हुए हैं?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, उसके लिए जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 5 लाख का सामान खरीदा गया और जिन फर्मों से खरीदा गया, वह फर्म एप्रूव्ड हैं? जो सामान खरीदा गया उसकी जांच करा ली जाए कि वह सही है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जिस फर्म से सामान खरीदा गया है वह एप्रूव्ड फर्म है। जहां तक जांच का सवाल है वह विजिलेंस विभाग से हो रही है। जांच रिपोर्ट आने पर ही सारी बातें हो सकेंगी।

महिला विद्यालय इन्टर कालेज सतीकुन्ड, कनखल, हरिद्वार में गबन

*6—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला विद्यालय इन्टर कालेज सतीकुन्ड, कनखल, हरिद्वार, सहारनपुर के सन् 1969-70तथा 1970-71 के लेखों की जांच विभागीय आडीटर्स द्वारा की यी और लाखों रुपये का गबन तथा सैकड़ों अनियमिततायें पायी गयी हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कालेज के प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

आडिट में केवल 783.65 का गबन तथा 812.00 का अस्थायी गबन अंकित है। शेष गम्भीर अनियमिततायें हैं।

विद्यालय में दो समानान्तर प्रबन्ध समितियां ब जाने के कारण रेजिडेन्ट मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ने विद्यालय में रिसीवर नियुक्त कर दिया है। विद्यालय में प्रबन्धक प्रभावी न होने के कारण फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो 79-80 अनियमिततायें हुई हैं, उसकी इन्क्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आयी थी और मैंने उसको उस वक्त के मन्त्री जी के पास भेजा भी था। तो क्या मन्त्री जी उसको देखकर जो कुछ कार्यवाही सम्भव हो, करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

मुख्य मुख्य जो अनियमिततायें हैं वह 16 हैं। वहां पर स्थिति ऐसी है कि 2 प्रबन्धक समितियां काम कर रही हैं। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए वहां पर रिसीवर नियुक्त किया गया है। जिन कागजातों में तरह-तरह की गड़बड़ियां थी, वह प्रबन्ध समितियों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए विलम्ब हो रहा है इसके अलावा जो भी कार्यवाही कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं।

जालौन जिले की खनुआ माइनर के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत

*7—**डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—**

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में खनुआं माइनर के निर्माण में नहर विभाग के कर्मचारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार करने सम्बन्धी शिकायतें हाल में शासन को मिली हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

जी हां।

इन शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों से जांच करवायी गयी थी। आरोप निराधार पाए गए।

डाक्टर मलखान सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस डिवीजन ने इस माइनर का निर्माण कराया था उसी के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराई गई है?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

जी हां।

डाक्टर मलखान सिंह—

जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और गरीबों के खेतों को दबाया और जिन्होंने बड़े-बड़े लोगों से पैसा लेकर साइट बदल दिया, उन्हीं लोगों से इसकी जांच कराई गई। क्या माननीय मन्त्री जी इस मामले में किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए मैं किसी और जरिए से भी इसकी जांच करा लूंगा।

हरदोई जिले के बेसिक शिक्षकों को नए वेतन मान के अवशेष का भुगतान

*8—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के बेसिक शिक्षकों (जिला परिषदीय) को नए वेतन-मान के अन्तर्गत 22 अगस्त, 1972 से एरियर की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। नए वेतन-मानों के लागू किए जाने के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान किया जा चुका है।

तहसील सिराथू, जिला इलाहाबाद के ट्यूबवेल तथा नालियों की मरम्मत

*9—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील सिराथू के ट्यूबवेलों की अधिकांश नालियां खराब हो गयी हैं ? यदि हां, तो कितने ट्यूबवेलों की नालियां खराब हालत में हैं ? क्या उनकी शीघ्र मरम्मत करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। कुछ नालियों में मरम्मत की आवश्यकता थी, जो करा दी गयी है।

*10—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि फरवरी तथा 15 मार्च, 1975 में तहसील सिराथू के कौन-कौन से ट्यूबवेल कितने-कितने दिनों तक लगातार बन्द पड़े रहे हैं ? उनके शीघ्र मरम्मत न कराने का क्या कारण था ?

श्री लोकपति—

माह फरवरी तथा 15 मार्च, 1975 तक तहसील सिराथू में 8 नलकूप बन्द हुए तथा उन्हें चला दिया गया। इन नलकूपों की लिस्ट संलग्न है। इन नलकूपों की खराबी जल्द से जल्द दूर करने का प्रयत्न किया गया। नलकूपों पर बिजली रात में मिलने के कारण इनकी मरम्मत तथा टेस्ट करने में कठिनाई के फलस्वरूप कुछ समय लग गया।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 266 पर।)

बलिया जिले में नलकूपों की बोरिंग

*11—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में सन् 1974 में 41 राजकीय नलकूप लगाने का लक्ष्य बनाया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने की बोरिंग फरवरी, 1975 तक हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

बलिया जनपद में 1974 में 9 नलकूप आवंटित किए गए परन्तु उपरोक्त 9 के अतिरिक्त 9 अन्य नलकूपों की बोरिंग भी की गई।

श्री रघुनाथ—

9 ट्यूबवेलों का लक्ष्य था, उनके स्थान पर 18 लगा दिए गए। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे किन-किन स्थानों पर लगे हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी हां। इनकी सूची इस समय भी मेरे पास है। यदि आप चाहें तो मैं अब पढ़ दूं, या आप बाद में देख लें।

श्री रघुनाथ—

यदि सदन के अन्दर ही पढ़ कर सुना दें तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

आपका आशय क्या है ? किसी एक दो के बारे में यदि संशय हो तो पूछ लीजिए। सदन में सूची पढ़ने से विलम्ब होगा। सारी जानकारी आप यहां पर हासिल करें और फिर समीक्षा करें, यह कैसे सम्भव है ?

श्री रघुनाथ—

क्या रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में पानी की कमी है और वहां भी कोई नलकूप लगाया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

वहां भी बोरिंग की गई है और नलकूप भी लगे हैं।

श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बसधापार बिल्हारी ब्लाक में किसी नलकूप की बोरिंग हुई है ? यदि हां, तो क्या प्रगति है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जो 18 नलकूप लगे हैं, वे हनुमानगंज, सोहावा, रेवती, पन्द्रह, सोयर और नगरा आदि ब्लाक में लगे हैं। जहां नहीं लगे हैं वहां आगे लगेंगे।

श्री बनवारी राम यादव—

इस योजना में बिल्हारी ब्लाक में जो ट्यूववेल लगाए गए हैं वे 7-8 महीने से अधूरे पड़े हुए हैं, क्या यह सही है ?.

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी करा लूंगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या ये 18 नलकूप राब चालू हालत में हो गए हैं और सिंचाई का काम आरम्भ हो गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यह जो मैंने पढ़ा है, उनसे सिंचाई आरम्भ हो गई है।

श्री रघुनाथ—

मार्च, 1974 के बाद कितने नलकूपों की बोरिंग हुई ?

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल ही यह है कि क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में सन् 1974 में 41 राजकीय नलकूप लगाने का लक्ष्य बनाया गया था ? इसी

का उत्तर था। अब आप यह नया सवाल कर रहे हैं। यह लक्ष्य तो आ ने बताया कि 1974 का तक क. लक्ष्य था 41। उसमें फरवरी तक बोरिंग कहां-कहां हुई है वह बता दिया उन्होंने।

गोरखपुर शहर के डी० बी० इन्टर कालेज के अनुरक्षण अनुदान में कमी और प्रधानाचार्य एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध तथाकथित गबन की शिकायत

*12—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर शहर के डी0 बी0 इन्टर कालेज को शिक्षण वर्ष 1968, 69, 70 में कालेज को दिया जाने वाला अनुदान क्रमानुसार घटा दिया गया था? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

गोरखपुर शहर के डी0 बी0 इन्टर कालेज को केवल वर्ष 1968 में वर्ष 1967 की अपेक्षा अनुरक्षण अनुदान नियमानुसार कम स्वीकृत हुआ था, चूंकि विद्यालय की आय में वृद्धि हुई थी। वर्ष 1969 व 1970 में वर्ष 1968 की अपेक्षा अनुदान में वृद्धि हुई है।

*13—श्री मधुकर दिघे (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में उक्त कालेज के विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लिया गया परन्तु परीक्षा नहीं ली गयी और शुल्क वापस नहीं किया गया जिस कारण विद्यार्थियों द्वारा अनशन व हड़ताल की गयी? और क्या प्रधानाचार्य एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध हजारों रुपए के गबन व धन के अपव्यय की शिकायत भी विद्यार्थियों ने की थी और क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 18 नवम्बर, 1972, 16 नवम्बर, 1973 व 22 जनवरी, 1975 को श्री चतुर्भुज दास ने जिला विद्यालय निरीक्षक, उप-शिक्षा निदेशक एवं शिक्षा मन्त्री को ज्ञापन रूप में दी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, परीक्षा शुल्क लिया गया और परीक्षा भी ली गई, अतः शुल्क वा स करने का प्रश्न नहीं उठता। इस विषय को लेकर विद्यार्थियों द्वारा अनशन एवं हड़ताल नहीं की गयी थी। और न प्रधानाचार्य एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध कथित शिकायत भी विद्यार्थियों ने की थी।

श्री दास का केवल एक ज्ञापन दिनांक 22 जनवरी, 1975, जो विद्यालय मन्त्री को सम्बोधित था, मन्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, गोरखपुर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुआ जिसमें एक अध्यापक को उच्च वेतन देने के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। जांच के पश्चात् अध्यापक को उच्च वेतन न देने के आदेश विभाग द्वारा दे दिए गए थे।

गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उप-शिक्षा निदेशक के कार्यालय के लिपिकों का कार्यकाल तथा उनके द्वारा अर्जित सम्पत्ति

*14—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में विद्यालय निरीक्षक तथा उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में कितने लिपिक 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं तथा इतने अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहने का क्या कारण है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इनमें से कुछ लिपिकों ने गोरखपुर में लाखों की सम्पत्ति अर्जित की है? यदि हां, तो इस अर्जन के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराई जाएगी?

श्री अम्मार रिजवी—

गोरखपुर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उप-शिक्षा निदेशक के कार्यालयों में कोई भी लिपिक निरन्तर 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत नहीं है।

शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उक्त दो कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों में से कुछ ने गोरखपुर में लाखों की सम्पत्ति अर्जित की है।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय——

मेरे सवाल का मतलब यह था कि इन दोनों कार्यालयों में जो लिपिक काम करते हैं, वह वहां 10 साल से ज्यादा से है, लेकिन जो सरकार की सूचना आयी है, उसमें बताया जा रहा है कि 10 साल से ज्यादा का कोई लिपिक नहीं है, वहां पर जो दो लिपिक हैं, हरिहर लाल और अयोध्या प्रसाद, इन्होंने लाखों की सम्पत्ति मकान और भूमि के रूप में अर्जित किया है, और माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि गोरखपुर जिले में शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार .....

श्री अध्यक्ष——

यह तो तर्क है।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय——

तो मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उन लिपिकों के नाम नहीं, तो उनके परिवार वालों के नाम मकान या सम्पत्ति है ?

श्री अम्मार रिजवी——

श्री अयोध्या प्रसाद की सम्पत्ति का ब्योरा हमारे पास है। इसके अन्दर 20 हजार रुपए की मालियत का मकान और सम्पत्ति है। दूसरे का नाम मुझे सुनाई नहीं पड़ा।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय——

हरिहर लाल।

श्री अम्मार रिजवी——

मान्यवर, यह पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन लाखों की सम्पत्ति किसी के पास होने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो दोबारा इन्क्वायरी करायी जा सकती है।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय——

मैं माननीय मन्त्री जी को डिटेल्स लिखकर दे दूंगा। सरकार के पास जो सूचना आयी है, वह गलत है। दस साल से अधिक वहां पर लिपिक कार्य कर रहे हैं और उनका ट्रान्सफर किया जाता है तो साल, 6 महीने तक अपनी जगह पर नहीं जाते हैं। तो उनकी फिर से नियुक्ति वहीं पर हो जाती है।

श्री अध्यक्ष——

वह ठीक है, लिख कर दे दें, तो वह जांच करवायेंगे।

श्री ऊदल——

जिन अधिकारियों ने गलत सूचना माननीय मन्त्री जी को दी है, उनके खिलाफ भी तो कार्यवाही मन्त्री जी को करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष——

यदि यह सिद्ध हो जाय कि जो माननीय सदस्य कह रहे है, वह तथ्य पूर्ण है, तभी न।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का अघोषित परीक्षाफल

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 1974 की परीक्षाओं में सम्मिलित कितने परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं हुआ है? अब तक परीक्षाफल न घोषित करने के क्या कारण हैं और क्या पूरा विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 1974 की परीक्षाओं में सम्मिलित 137 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किए जा सके। इन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में विवरण तथा परीक्षाफल घोषित न होने के कारण निम्नवत् हैं—

रोकने का कारण	परीक्षार्थियों की संख्या	अब तक घोषित न होने का कारण
(1) अनुशासनहीनता तथा प्रहार	82	जांच के समय सम्बन्धित व्यक्तियों के उपस्थित न होने के कारण जांच अपूर्ण रह गई है।
(2) तथ्यगोपन (जाली स्थानान्तरण] प्रमाण पत्र देना)।	21	सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक/जिला विद्यालय निरीक्षकों की आख्या एवं संस्तुति अभी तक प्राप्त न होने के कारण विचाराधीन है।
(3) प्रतिरूपण	4	जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है।
(4) न्यायालय के आदेशों पर अस्थाई रूप से सम्मिलित।	30	सम्बन्धित न्यायालयों का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

भारतीय पाटशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के प्रवक्ता, श्री कृष्ण प्रसाद कात्यायन की वेतन-वृद्धि

*16—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय पाटशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद में हुयी जालसाजी, अनुचित नियुक्ति एव वेतन प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत मई व अगस्त, 1974 में शासन को प्राप्त हुयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

भारतीय पाठशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के एक प्रवक्ता, श्री कृष्ण प्रसाद कात्यायन के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 2 मई, 1974; दूसरा 20 मई, 1974 एवं तीसरा पत्र दिनांक 8 अगस्त, 1974 को जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद कार्यालय में प्राप्त हुए थे। शिकायती पत्रों के आधार पर विद्यालय के अभिलेखों की जांच की गई और श्री कृष्ण प्रसाद कात्यायन को विज्ञान अध्यापक के रूप में जो अनियमित रूप से अग्रिम वेतन-वृद्धियों की धनराशि दी गई थी उस पूरी धनराशि की रु0 1902.90 पैसे उनसे वापस लेकर सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है।

श्री गोरेलाल शाक्य—

क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण प्रसाद कात्यायन की नियुक्ति अनियमित रूप से तथा जाली सर्टिफिकेट के आधार पर हुई है या नहीं ? यदि हुई है, तो उनकी नियुक्ति रद्द की गयी है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक उनकी नियुक्ति का सम्बन्ध है, जहां प्राइवेट मैनेजमेंट है, वहां इस तरीके की नियुक्तियां कर लिया करता है। ऐसे क्वालिफिकेशन तो उनकी है, वे बी0 एस-सी0 हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में कन्डेंस्ड कोर्स भी किया है, लेकिन जो उनको इन्क्रीमेंट दिया जा रहा था वह गलत था क्योंकि इन्क्रीमेंट उन्ही को दिया जा सकता है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फिजिक्स, कैमिस्ट्री व बायोलाजी में हो। उनके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं हैं, इसलिए गलत तरीके से उनको इन्क्रीमेंट दिया जा रहा था, उसे वापस करा लिया गया है।

श्री गोरेलाल शाक्य—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण प्रसाद कात्यायन की नियुक्ति जाली सर्टिफिकेट के आधार पर की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

अब यह माननीय शिक्षा मन्त्री जी कैसे बतला सकते हैं, फर्रुखाबाद के लोग ही इसे जानते होंगे कि प्रमाण-पत्र फर्जी है कि नहीं।

श्री गोरे लाल शाक्य—

यह नियुक्ति रद्द हुई है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति जो है, वह टीचर की हैसियत से गलत नहीं है, लेकिन उनको जो इन्क्रीमेंट दिया जा रहा था, वह गलत दिया जा रहा था। वह इन्क्रीमेंट देना अब रोक दिया गया है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी को ज्ञात है कि प्रश्नगत अध्यापक ने जाली सर्टिफिकेट पेश करके नौकरी प्राप्त की है ? यदि इसकी जानकारी उनको नहीं है, तो क्या वे इसकी जानकारी करा कर इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसकी जानकारी करायेंगे और यदि इस प्रकार जाली सर्टिफिकेट पेश करके कोई धोखा देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि भारतीय पाठशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद के मैनेजर जो हैं, वे आर0 एस0 एस0 के एक बहुत बड़े नेता हैं और तमाम कायदे कानून के विपरीत अपने लोगों को हमेशा उस कालेज में भर्ती करते रहते हैं और जिसकी वजह से उस विद्यालय के एकाउन्ट व फन्ड्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है, क्या वे उसके खिलाफ जांच बैठा कर पूरे कालेज के लिये कन्ट्रोलर बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस प्रकार की शिकायतें कई बार शासन के सामने आयी हैं। जहां तक उसका ताल्लुक है, जिसका आपने जिक्र किया—जांच कराने के सम्बन्ध में, तो ऐसी कोई चीज अपेक्षित है, तो वह भी की जाएगी।

श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या माननीय मन्त्री जी श्री हर प्रसाद द्विवेदी को जो कालेज के अनुकूल अध्यापक हैं, नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

फर्रुखाबाद जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों का प्राविधि निधि न मिलना

*17—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कितने अवकाश प्राप्त अध्यापकों का प्राविधिनिधि का राजकीय अंशदान 31 दिसम्बर, 74 तक नहीं दिया गया है? इस देरी का क्या कारण है तथा कब तक इस भुगतान की आशा है?

श्री अम्मार रिजवी—

29 अध्यापकों को।

देरी के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) प्रबन्धकों द्वारा पत्रादि प्रेषित न करना।

(2) महालेखाकार द्वारा समस्त आपत्तियों को एक बार न लगाना।

प्रबन्धकों द्वारा शीघ्र पत्रादि प्रेषित करने तथा महालेखाकार की आपत्तियों का निराकरण होने पर भुगतान की आशा है जिसके लिये जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्ण प्रयत्नशील हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मुझे आज के प्रश्न का उत्तर ही नहीं प्राप्त हुआ है; जिससे अनुपूरक प्रश्न पूछने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं देखूंगा, उत्तर आपको मिलना चाहिये। आप प्रश्न करें।

आपके कमरे में पत्रवाहक गया था, कमरा बन्द था, आप कमरें में नहीं थे इसलिये कमरे में डाल दिया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं कमरे में था।

श्री अध्यक्ष—

आप कमरे में उस समय नहीं रहे होंगे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रकार के जो अवकाश प्राप्त अध्यापकों को प्राविधि निधि मिलने में देर होती है, राजकीय अंशदान न मिलने के कारण उससे उनके जीवन में कठिनाई उत्पन्न होती है? तो क्या ऐसी कोई नीति निर्धारित करेंगे, जिससे कि अवकाश प्राप्त करने की निश्चित अवधि के अन्दर यह धनराशि प्राप्त होती रहे, क्योंकि यह प्रदेश व्यापी समस्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। 29 रह गये हैं। एक निश्चित अवधि तक का पूछा था वह बताया है। इस समय स्थिति यही है कि 6 अध्यापकों की जो निधि है, उसके संबंध में ए0 जी0 के यहां से पत्र प्राप्त नहीं

हुए थे। 5 के बारे में आपत्तियां थीं, उसका जवाब नहीं दिया है। 4 अध्यापकों के पत्रादि अपूर्ण थे। 11 के जो हैं, वह संबंधित विद्यालयों से प्राप्त नहीं हुये। सरकार पूरी तरह से इस बात को मानती है कि जब कोई शिक्षक या कोई टीचर रिटायर हो जाय, अवकाश पा जाय तो उसके कागज और पैसा फौरन मिलना चाहिये। लेकिन जो फारमेलिटीज हैं, वह पूरी करना आवश्यक हो जाती है। जैसा सम्मानित सदस्य ने बताया, इस चीज को कम वक्त में पूरा करना चाहिये, तो उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो अध्यापक हैं, जिनका मामला और देर हो रही है, उनके लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित करने की कृपा की जायगी कि उस अवधि में उनको प्राप्त हो जायगी? बड़ी कठिनाई में हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस तरफ ध्यान देने की बात है, एक सज्जन मेरे पास आये थे, कह रहे थे कि 8 वर्ष से नहीं मिला है। यह पूछ रहे हैं कि कोई निश्चित अवधि का फैसला करेंगे, क्योंकि यह मामला कई बार उठा है।

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, यह मामला जो है किसी एक विभाग या किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अगर केवल शिक्षा विभाग तक सीमित होता तो कुछ कहा जाता। इसके अन्दर संबंधित अध्यापक की भी बहुत सी जिम्मेदारी होती है, बहुत सी चीजों की जिम्मेदारी होती है और इसी तरह स्कूल और उस विद्यालय की भी जिम्मेदारी होती है। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, शीघ्र निर्णय लेने की कोशिश करेंगे और इस संबंध में संबंधित विद्यालय निरीक्षक को लिखा गया है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

मुझे स्मरण है, पिछली बार सुझाव आया था कि जब रिटायर हो, उसके पहले कागज-पत्र दुरुस्त करा लिया जाय। बहरहाल इस पर ध्यान दें।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब इस समय जो अध्यापक रिटायर होते हैं, तो उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाता इसलिये निश्चित तारीख को रिटायर हो जायेंगे, यह पता पहले से ही होता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि रिटायर होने की तारीख के एक वर्ष पहले ही वह कागज आदि तैयार हो जाय, जिससे कोई दिक्कत अध्यापक को न हो?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके उत्तर में जो दिया है कि प्रबन्धकों द्वारा और महालेखाकार के यहां देरी के कारण यह रुकता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट प्रबन्धक जान बूझकर देरी करते हैं, और यदि वह अध्यापकों के मामले में देरी न करें तो ऐसा न हो, जैसे कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में किया भी है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैनेजमेन्ट को कानूनी तौर पर उनके साथ जैसी सख्ती कर सकते हैं, वह हम करेंगे?

मुरादाबाद जिले के कृषि इन्टर कालेज के भूतपूर्व प्रवक्ता श्री राम कुमार दीक्षित के वेतन का भुगतान

*18—श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार माह जुलाई, 74 में कृषक इन्टर कालेज, कोटी खिदमतपुर के भूतपूर्व प्रवक्ता (श्री रामकुमार दीक्षित) को दिनांक 15-9-72 से दिनांक 30-6-74 तक का रु0 8972.54 के वेतन का भुगतान किया गया है जब कि दिनांक 10-6-72 से कालेज की प्रबन्ध समिति ने उनके द्वारा अपनी आयु के जाली प्रमाण पत्र देने एवं अन्य कई गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर उन्हें कालिज की सेवाओं से मुक्त कर दिया था ? यदि हां, तो किस आधार पर उक्त प्रवक्ता को वेतन का भुगतान किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, यह सत्य है कि श्री राम कुमार दीक्षित को दिनांक 15-9-72 से 30-6-74 का भुगतान किया गया था ।

प्रबन्ध समिति ने श्री रामकुमार दीक्षित की सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16छ 3(अ) के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ भेजा था जो उनके द्वारा अननुमोदित कर दिया गया और उन्हें उनके पद पर बहाल कर दिया गया था। अतः उन्हें दिनांक 15-9-72 से सेवारत मानकर उनका वेतन भुगतान किया गया ।

बलिया जिले के परशुरामपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकवा इनार का प्रबन्धकीय विवाद

*19—श्री रघुनाथ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परशुराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकवा इनार, रसड़ा, बलिया की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति 1969 से निलम्बित है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्य व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। प्रबन्ध समिति निलम्बित नहीं है किन्तु विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद चल रहा है । अतः सांविधिक नियंत्रक की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रक की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन कब से है और उस पर कब तक निर्णय होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस विद्यालय की स्थिति विचित्र है। यहां पर एक ही समय में 3 प्रबंधक समितियां काम कर रही हैं। पहले जो अध्यक्ष थे, उनका जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने समिति बना ली। उसके बाद जो प्रबन्धक हुये उन्होंने बना लिया और उनके बाद जो प्रबन्धक हुये उन्होंने बना लिया और उनके बाद वाले ने भी प्रबन्ध समिति बना ली। इस प्रकार 3 समितियां होने से शासन किस समिति को रिकगनाइज करे ? इसलिये पहले रिकार्ड मंगाये गये हैं कि किसको रिकगनाइज करे इस पर निर्णय हो रहा है। यदि गलत समिति को मान्यता दे देंगे तो वह कोर्ट जा सकते हैं ।

श्री रघुनाथ—

मान्यवर, कब से विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी—

1970 से कमेटी बनाने का काम शुरू हुआ था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तक सीमित रहें। इस विद्यालय के साधिकार नियंत्रक का प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी—

निश्चित तिथि देना मुश्किल है। 16-डी की कार्यवाही हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तक ही सीमित रहें।

श्री रघुनाथ—

मैं तो अवधि पूछ रहा हूं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस समय सूचना नहीं है इसलिये निश्चित तिथि देना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही 3 समिति बनायी यह विवाद खड़ा हो गया और तब से 16-डी की कार्यवाही उसके बाद 16 डी सेक्शन 2 और 3 की नोटिस दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—

कब से मामला है ?

श्री रघुनाथ—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1969 से लेकर 1976 तक शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, तो यह कब तक निर्णय होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यदि विवाद इस तरह का खड़ा हो जाता है तो बड़ा कठिन हो जाता है कि किसे रिकगनाइज किया जाय और इसी वजह से इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अब पूरी कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

सब समितियों को ले लें।

श्री अम्मार रिजवी—

सब का मामला डी0 आई0 ओ0 के पास है और इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मान्यवर, जब आपने यह देख लिया कि 7 वर्ष से यह विवाद चल रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस विवाद की सूचना कब मिली है और कब आपने सबसे पहले कार्यवाही प्रारम्भ की ?

श्री अध्यक्ष—

जबसे वह मंत्री हुए, उसके बाद ही मिली होंगी। (हंसी)

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनके विभाग को यह सूचना कब प्राप्त हुई और उस पर कब कार्यवाही शुरू की ?

श्री अम्मार रिजवी —

मान्यवर, पहली सूचना 1970 को मिली जब पहली कमेटी बनी, दूसरी 1971 में मिली जब दूसरी कमेटी बनी और 1973 में जब तीसरी कमेटी बनी तो तीसरी सूचना मिली। जैसे-जैसे कमेटी बनती गयी सूचना आती गयी और शासन के सामने यह प्रश्न रहा कि कौन सी असल कमेटी है।

श्री अध्यक्ष--

स्कूलों में झगड़े हों तो उन्हें ले लिया जाना ही उचित प्रतीत होता है।

श्री रघुनाथ--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, इस समय डी० आई० ओ० सारा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इस समय यह कहना अपेक्षित नहीं है कि कितना समय लगेगा लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी निर्णय हो जायगा।

तहसील रामसनेही घाट जिला बाराबंकी के कतिपय ग्रामों के किसानों के मुआवजे का भुगतान

*20--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 4-3-75 को ग्राम खत्रीपुर, चमरौली, ठगपुरवा मजरे कयामपुर, खेमापुर व सिरौली, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी के किसानों ने जिलाधीश बाराबंकी को शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत अर्जित की गयी भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

केवल ग्राम खत्रीपुर तथा ग्राम क्यामपुर के किसानों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। सम्बन्धित कृषकों को मुआवजा दे दिया गया।

तहसील हंडिया व फूलपुर, जिला इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों के लिए सिंचाई व्यवस्था की मांग

*21--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद), श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद), श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी), श्री बांके लाल (श्री जिला देवरिया) तथा श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तहसील हंडिया के ग्राम पूरा ठकुराइन अमेलिहा, दूबे का पुरा तथा सराय हरीराम एवं फूलपुर तहसील के ग्राम खोजापुर, मदपुर, इत्यादि में सिंचाई की कोई व्यवस्था न होने के कारण पुरा ठकुराइन ग्राम के उत्तर तथा पश्चिम की ओर लगभग 2000 एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर सिंचाई की कोई उचित व्यवस्था शीघ्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

फूलपुर तहसील के प्रश्नगत ग्रामों में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत फूलपुर ब्रांच सिस्टम द्वारा सिंचाई की व्यवस्था विचाराधीन है।

पूरा ठकुराइन ग्राम के उत्तर पश्चिम की प्रश्नगत भूमि 2,000 एकड़ न होकर लगभग 700 एकड़ ही है तथा यह भूमि तालाबी है और इसमें साल में लगभग 8 महीने पानी भरा रहता है एवं भूमि में ऊसर भी है। इसमें राजकीय सिंचाई सुविधा की व्यवस्था करना उपयुक्त नहीं है।

श्री अठई राम--

माननीय मंत्री जी के उत्तर में यह 700 बीघा जो जमीन दिखाई गयी है, यह सारा का सारा तालाब बताया गया है। तालाब दस पांच बीघे में हो सकता है। बाकी जमीन अच्छी है। उसमें ट्यूबवेल लग सकता है। वह मेरा क्षेत्र है और मैं उसे देख चुका हूं। क्या मंत्री जी वहां पुनः जांच कराकर नलकूप लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

मेरे पास जो सूचना है वह यही है कि 700 एकड़ भूमि है और उसमें तालाबी क्षेत्र ज्यादा है। 8 महीने यह जलमग्न रहता है। लेकिन इसकी पुनः जांच करा ली जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस 700 एकड़ में रबी की फसल अच्छी होती है लेकिन पानी के अभाव में पूरी पैदावार नहीं हो पाती ? इसी जमीन के उत्तर की तरफ करीब छः-सात एकड़ जमीन ऊंची है जहां पर ट्यूबवेल लग सकता है और उससे दो हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है । वहां ट्यूबवेल लगवाने में क्या कठिनाई है ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

हमारी नीति है कि सभी जगह सिंचाई की सुविधा होनी चाहिये लेकिन जहां यह सम्भव न हो तो ऐसी जगह व्यवस्था करना उचित नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले आश्वासन दिया इसकी पुनः जांच करा ली जायगी। यदि वहां पर्याप्त मात्रा में भूमि की सिचाई सम्भव हो सकती है तो उसकी व्यवस्था अवश्य कर दी जायगी ।

प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर हाई स्कूलों में प्रोन्नति प्राप्त अध्यापकों के वेतन निर्धारण का नियम

*22—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान शिक्षा नियमों के अनुसार जो अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर हाई स्कूलों में प्रमोशन पर आये हैं उनका वेतन क्रम प्राथमिक विद्यालयों की सर्विस न जोड़ कर केवल जूनियर हाई स्कूल की सर्विस के आधार पर लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। वेतन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूसरे संवर्ग की सेवाओं (अर्थात् प्राइमरी स्कूल की) को जोड़कर जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों का वेतन निर्धारण वर्तमान नियमानुसार संभव नहीं है ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से जो जूनियर हाई स्कूल के प्रोमोटेड टीचर्स के साथ अन्याय हुआ है, उस प्रक्रिया को बदलने की कृपा करेंगे तथा उस पर विचार करेंगे ताकि उन टीचर्स की पिछली सेवायें भी जोड़ी जा सकें ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यहां पर प्रश्न दो कार्डर्स का है। वे पहले जिस संवर्ग में थे और वहां काम कर रहे थे, उससे अब वे दूसरे में आ गये हैं। इस लिये दोनों को इस प्रकार से जोड़ने का सवाल नहीं है ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

यदि उनकी पिछली सेवायें जोड़ ली जायें तब क्या उनका आर्थिक लाभ होगा अथवा नहीं और अगर होगा तो फिर उनके साथ यह अन्याय क्यों हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह वैधानिक प्रश्न है और यदि ऐसा किया जाता है तो सभी टीचर्स का इसी प्रकार से करना होगा ।

थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अंकित मुकदमें

*23—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

प्रथम सत्र 1975 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर में क्या खाद्य व रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 6 दूकानदारों के विरुद्ध आ0 व0 अधि0 की धारा 3/7 में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है क्या इन मुकदमों में डी0 आई0 आर0 की धारा 125 भी लागू थी जो बाद में समाप्त की गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों एवं किस आधार पर ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

प्रश्नगत मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा डी0 आई0 आर0 के नियम 125 का उल्लेख था। परन्तु पुलिस द्वारा विवेचना करने पर मालूम हुआ कि कोई भी मामला डी0 आई0 आर0 के नियम 125 से सम्बन्धित न था क्योंकि उक्त नियम में सड़क तथा जल परिवहन के नियंत्रण के सम्बन्ध में प्राविधान है। प्रश्नगत मामलों में सड़क तथा जल परिवहन विषयक प्राविधानों का उल्लंघन न होने के कारण नियम 125 लागू नहीं होता था और इस कारण उसके अधीन कार्यवाही संभव न थी, न की गई।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन छहो मुकदमों की एफ0 आई0 आर0 किसके जरिये कायम की गई और उसके बाद विवेचना पुलिस के जरिये हुई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, छहो व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना पुलिस में दर्ज करवाई गई और पुलिस ने छानबीन करके 5 के विरुद्ध जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां केसेज दायर कर दिये। छठे व्यक्ति के विरुद्ध सबूत न मिलने के कारण फाइनल रिपोर्ट लगा दी जिसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 21-6-74 को स्वीकार कर लिया।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

प्रश्न के उत्तर से लगता है कि एफ0 आई0 आर0 लगाने वाले दूसरे थे और पुलिस ने उनकी सूचना पर ही डी0 आई0 आर0 कायम किया और बाद में पता लगा कि डी0 आई0 आर0 नहीं बनता है। पुलिस ने ही डी0 आई0 आर0 लगाया। पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद जब उनको ओब्लाइज कर लिया गया तब उन्होंने डी0 आई0 आर0 के चार्जेज को वापस ले लिया। कौन से ऐसे कारण थे और किन आधारों पर डी0 आई0 आर0 लगाया गया और फिर उसको वापस ले लिया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह बात ठीक है कि प्रारम्भ में डी0 आई0 आर0 में उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई परन्तु बाद में यह मालूम हुआ कि सड़क या परिवहन सम्बन्धी कोई बात नहीं थी और डी0 आई0 आर0 की धारा जिन आरोपों के कारण लगाई गई थी, बाद में यह विदित हुआ कि उन आरोप के विरुद्ध डी0 आई0 आर0 नहीं लगाए जानी चाहिये, इस कारण उसको वापस ले लिया गया। बाद में उसको छोड़ दिया गया। बाद में 3/7 आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के आधार पर जांच पड़ताल हुई। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध तो अदालत में मुकदमा चला गया और एक के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले तो उसकी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। पुलिस के खिलाफ जिले के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्टीकरण मांगा है कि डी0 आई0 आर0 में उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों की गई।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

ये जो मुकदमें कायम किये गये थे मेरी जानकारी में चीनी तथा तेल का ब्लैक मार्केट करने वालों के खिलाफ किये गये। सड़क से चीनी ले जाई जा रही थी। पुलिस ने उनको पकड़ा, थाने में बन्द किया और बाद में डी0 आई0 आर0 विदड्रा कर लिया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मेरी सूचना है कि मिट्टी के तेल तथा चीनी की चोर बाजारी का प्रयास और स्टाक रजिस्टर में 64 लीटर मिट्टी के तेल का होना और इसी तरह से बिना लाइसेन्स के डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल को बेचने के आरोप उनके खिलाफ साबित हुए और इसलिए यह मामला जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर दिया गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

यह जो 6 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी वह क्या थी और एफ0 आई0 आर0 पहले किस किस ने दर्ज कराया ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय सदस्य किसी दूसरे विभाग से सम्बन्धित सवाल भी कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का क्या सवाल समाविष्ट है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

एफ0 आई0 आर0 की रिपोर्ट मौजूद] है और उसमें लिखा हुआ है कि मिट्टी के तेल को नाजायज ढंग से बेचा जा रहा था, चीनी को ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था । ये आरोप एफ0 आई0 आर0 में दर्ज हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

एफ0 आई0 आर0 किसकी तरफ से दर्ज कराया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

एफ0 आई0 आर0 सर्व श्री राम किशोर यादव, डी0 एन0 शर्मा, पुरुषोत्तम लाल, पूर्ण चन्द्र मिश्र की और से दर्ज कराये गये ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

ये सब पुलिस कांस्टेबिल तथा सेकिन्ड क्लास आफिसर ही हैं । जिन्होंने इस रिपोर्ट को दर्ज कराया था और ये सहजनवां थाने में हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सिर्फ एक एफ0 आई0 आर0 हैड मोहर्रिर की तरफ से है । बाकी से यह साबित नहीं होता कि उनको भी पुलिस ने ही दर्ज कराया है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मेरी सूचना को सही मान कर क्या मंत्री महोदय पुनः जांच करायेंगे कि सभी रिपोर्ट्स पुलिस ने कराई थी और जब पैसा मिल गया डी0 आई0 आर0 विदड्रा कर लिया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है वह अपनी जगह पर सही है । अगर माननीय सदस्य को इस बात की और जानकारी की आवश्यकता हो तो और आगे छानबीन कर ली जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को उत्तेजित नहीं होना चाहिये । यह प्रश्न सार्वजनिक हित का है । बहुधा यह देखने में आया है कि पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो उससे रिश्वत की अपेक्षा करती हैऔर जब वह नहीं मिलता है तो उसका चालान दूसरी दफाओं में कर देती है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, जो एस0 ओ0 थे, वे सिफारिश में यहां आये हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मंत्री जी ने कह दिया कि वे इसे देखेंगे ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जितनी रिपोर्ट्स दर्ज हैं वह सब पुलिस के कर्मचारियों की तरफ से हुई हैं । कोई कांस्टेबुल है और कोई हेड मुहर्रिर । मंत्री जी ने कहा कि एक ही पुलिस का है । तो क्या मंत्री जी इस पर पुनः जांच करवायेंगे ताकि इन सारे तथ्यों पर प्रकाश पड़ सके ?

श्री अध्यक्ष—

अगर ये सभी पुलिस के लोग हैं और उन्होंने अपने को बचाने के लिये छिपाया है तो हो सकता है कि इस मामले में कुछ गोलमाल हो। इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वे जांच करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, डी0 आई0 आर0 में उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में उनका जवाब तलब किया गया है और उनसे पूछा गया है।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, पूरी सूचना के साथ इस प्रश्न को किसी दूसरे दिन के लिये रख दें।

श्री अध्यक्ष—

पहले वे जांच कर लेंगे।

बुन्देल खंड, मिर्जापुर एवं पहाड़ी (हिमालय) के जिलों और प्रदेश के शेष जिलों में गेहूं लेवी की वसूली का प्रतिशत

*24—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड, मिर्जापुर एवं पहाड़ी (हिमालय) जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के शेष जिलों से रबी 1975 की फसल में कितने प्रतिशत किसानों से गेहूं की लेवी 'वसूल' करने जा रही है? लेवी की कुल मात्रा क्या होगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बुन्देलखंड, मिर्जापुर एवं पहाड़ी (हिमालय) जिलों को छोड़कर प्रदेश के 41 जिलों से रबी 1974–75 की फसल के गेहूं की लेवी औसतन 21.97 प्रतिशत किसानों स लगभग 6,86,566 मै0 टन वसूल करने का प्रारम्भिक अनुमान था।

*25—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड, मिर्जापुर एवं पहाड़ी (हिमालय के) जिलों से रबी 1975 की फसल में सरकार किसानों से कितनी लेवी वसूल करने जा रही है और इस पूरे क्षेत्र का लेबी बसूली से किसानों का प्रतिशत क्या होगा? प्रदेश के विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में सरकार गेहूं लेवी वसूली की कौन सी सुविधा देने जा रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ऐसे 9 जिलों में लगभग 1,46,014 मै0 टन गेहूं लेवी में वसूल करने का प्रारम्भिक अनुमान था। इन जिलों में लेवी देने वाले किसानों का औसत 34.63 प्रतिशत था।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्धारित क्रय केन्द्रों पर सरकार को दिनांक 30–6–75 तक गेहूं बेचने वालों को उनके उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद, चीनी, सीमेन्ट, नियंत्रित कपड़ा, ईट, टायर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई। इन सुविधाओं एवं गेहूं के निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त तीन रुपया प्रति कुन्तल तथा लेवी में देय मात्रा से अधिक गेहूं निर्धारित अवधि में बेचने पर अतिरिक्त मात्रा के लिये चार रुपया प्रति कुन्तल की दर से परिवहन व्यय भी दिया गया।

(सदन में कुछ शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को यदि बातचीत करनी हो तो धीमे-धीमे करेंगे, लेकिन ऐसा न हो कि हमारे कार्य में बाधा पड़े।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल इस सम्बन्ध में जो सुविधायें दी गई थीं, क्या इस साल भी सरकार उनको देने का विचार कर रही है और क्या इसके लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, पिछले साल जिन वस्तुओं का उल्लेख उत्तर में किया गया है उनके मिलने में कठिनाई थी लेकिन इस वर्ष यह चीजें आसानी से मिल रही हैं और उचित मूल्य पर मिल रही हैं इसलिये इन वस्तुओं को देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, पारसाल दो रुपये कुछ पैसे में दी गई और इस साल 5 रु0 किलो बिक रही है तो फिर कहां आसानी से मिल रही है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कहां आपकी चीनी आसानी से मिल रही है, जैसा कि आप कहते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इस साल गांव वालों को चीनी देने का प्रबन्ध कर दिया गया है हर गांव में प्रत्येक परिवार के पास कार्ड है और उसके आधार पर वह चीनी ले सकता है। प्रत्येक न्याय पंचायत में चीनी की दुकान खोलने की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री ऊदल—

यह लेवी की चीनी की आप बात कर रहे हैं। राशन की चीनी तो एक परिवार को एक किलो मिलती है वह भी आप जानते हैं कि किस तरह से मिलती है ।

डिग्री कालेजों को "अ" श्रेणी में आने के फलस्वरूप पूर्व कार्यरत प्रधान लिपिकों एवं एकाउन्टैन्टों की तथाकथित निकाले जाने की घटना

*26—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि राज्य देश संख्या ग–21–3269/15–100(10)–68, दिनांक 13–5–78 द्वारा डिग्री कालेज के गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित किया गया तथा छात्र संख्या के अनुसार सम्बन्धित कालेजों को अ, ब व स श्रेणियों में निर्धारित किया गया ?। क्या यह सही है कि ब श्रेणी से अ श्रेणी कालेज हो जाने पर पूर्व कार्यरत प्रधानलिपिकों एवं एकाउन्टेन्टों को निकाल दिया गया ? यदि हां, तो 1 फरवरी, 1975 तक कितने प्रधान लिपिकों एवं एकाउन्टेन्टों को सेवाओं से पृथक किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

'ब' श्रेणी से 'अ' श्रेणी कालेज हो जाने पर पूर्व कार्यरत प्रधान लिपिक एवं एकाउन्टेन्ट को निकालने का कोई शासनादेश नहीं है ।

न ही इसकी सूचना नियमानुसार शासन को दी जाती है ।

[बुधवार, 24 मार्च, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर जिले के प्राइमरी अध्यापकों की भविष्य निर्वाह निधि और पेंशन का भुगतान

*1—श्री रामेश्वरनाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के कितने प्राइमरी अध्यापक ऐसे हैं जो सन् 1962 से सन् 1975 के बीच रिटायर हो चुके हैं किन्तु उन्हें पेंशन अथवा प्राविडेन्ट फंड 10 सितम्बर, 1975 तक प्राप्त नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्यों?

नोट:—नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री अम्मार रिजवी—

शाहजहांपुर जनपद में वर्ष 1962 से वर्ष 1975 की अवधि में 96 प्राइमरी अध्यापकों ने सेवा से अवकाश प्राप्त किया। उक्त सभी अध्यापकों को 10 सितम्बर, 1975 तक भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। 64 अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन भी स्वीकृत हो चुकी है। 32 अध्यापकों को पेंशन उनके द्वारा पेंशन आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने/अपूर्ण प्रस्तुत करने के कारण स्वीकृत नहीं हो सकी है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इन्टर परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं

*2—श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद इन्टर कक्षाओं में किन-किन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं संचालित करती है? क्या इन्टर भूगोल विषय का तृतीय प्रश्न-पत्र प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधी है? यदि हां, तो उक्त तृतीय प्रश्नपत्र को सरकार प्रयोगात्मक परीक्षा का रूप कब से देने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश नीचे दिये विषयों में इन्टर परीक्षा के लिये प्रयोगात्मक परीक्षाएं संचालित करती है।

1—संगीत (गायन तथा वादन)
2—गृह विज्ञान
3—सैन्य विज्ञान
4—भौतिक विज्ञान
5—रसायन विज्ञान
6—जीव विज्ञान
7—भूगर्भ विज्ञान
8—मूर्ति कला
9—काष्ठशिल्प
10—ग्रन्थ शिल्प
11—सिलाई
12—धातु शिल्प
13—कताई बुनाई
14—चर्म शिल्प
15—औद्योगिक रसायन
16—कुलाल विज्ञान
17—नृत्य कला
18—कृषि वर्ग के विषय :— सस्य विज्ञान, बनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि अभियंत्रण, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, पशु प्रजनन।
19—मैकेनिकल इन्जीनियरिंग
20—इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग
21—पोस्ट बेसिक विषय

इन्टर परीक्षा में भूगोल के तृतीय प्रश्न पत्र को प्रयोगात्मक भूगोल का शीर्षक दिया गया है परन्तु इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती, केवल प्रयोगात्मक संबंधी प्रश्न ही पूछे जाते हैं। परिषद् ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी क्योंकि यह

व्यय साध्य होने के साथ-साथ बहुत उपयोगी न होगा। इस मामले में निर्णय लेने के लिये परिषद् स्वयं ही सक्षम है।

*3—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिये गये मान्टेसरी स्कूलों के अध्यापकों के वेत -मान

*4—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करगे कि फर्रुखाबादगरन पालिका द्वारा चलाये गये दो मान्टेसरी स्कूल जिनको अगस्त, 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् ने ले लिया है कार्यरत प्रधानाचार्या व अन्य सहायक अध्यापिकाओं के वेतन-क्रम उत्तर प्रदेश पे-कमीशन 1972 के अनुसार अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत संस्थाओं को बेसिक शिक्षा परिषद् ने लिया था। परन्तु उक्त स्कूलों की प्रधानाचार्यो व सहायक अध्यापिकाओं के वेतन संशोधन का मामला उत्तर प्रदेश पे-कमीशन 1972 को संदर्भित न हो सका और यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

इन्टर बोर्ड की हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा का रद्द किया जाना

*5—श्री अठई राम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर बोर्ड परीक्षा, 1975 का हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षायें कितने जिलों में रद्द की गयी और क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

1975 की इन्टर हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा केवल आजमगढ़ जनपद के राष्ट्रीय इन्टर कालेज, चिरैयाकोट केन्द्र पर रद्द की गयी क्यों कि इन्टर साहित्यिक हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र के एक लिफाफे को केन्द्र व्यवस्थापक ने हिन्दी प्रश्नपत्र की परीक्षा के दिन 3-4-75 को ही खोल दिया था।

*6—श्री ऊदल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

*7—श्री रघुनाथ—

[उरे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर स्थानान्तरित।]

गोरखपुर मन्डल सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का कार्यकाल एवं उसका स्थानान्तरण

*8—श्री हरि केवल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मंडल में सिंचाई विभाग के कितने अधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवा की अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक पूरी हो चुकी है और उक्त लोग उन्हीं पदों पर एक ही जगह सेवारत हैं? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

गोरखपुर मण्डल में सिंचाई विभाग के 3 अधिकारी व 248 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक अवधि से अपने उसी पद पर कार्यरत हैं। इन अधिकारियों का स्थानान्तरण मितव्ययता एवं प्रशासनिक दृष्टि से नहीं किया गया है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिले अथवा डिवीजन के बाहर स्थानान्तरण न करने की सामान्य नीति के अनुसार उक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

शारदा सहायक परियोजना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गिरजापुरी, जिला बहराइच के प्रधानाचार्य की सेवा समाप्ति

*9—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गिरिजा पुरी, बहराइच के प्रधानाचार्य को मई, 75 से सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र मई, 75 से जून, 75 के बीच प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच करायी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, प्रबन्ध समिति ने श्री निरंकार नाथ अग्रवाल की सेवाएं बिना जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त किये समाप्त कर दीं। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय प्रबन्धक को दिनांक 24-6-75 को इस आशय का पत्र भेजा जा चुका है।

विद्यालय निरीक्षक को इस संबंध में संयुक्त मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ का एक पत्र दिनांक 7-7-75 प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर उन्हें 18-7-75 को दे दिया गया।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सम्प्रति विभाग द्वारा इस मामले में कार्यवाही संभव नहीं है।

नैनीताल के थारू इन्टर कालेज, खटीमा का प्रान्तीयकरण

*10—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधानसभा की बैठक दिनांक 20-3-75 के नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थारू इन्टर कालेज, खटीमा में अब तक प्रशासक न नियुक्त किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

थारू इन्टर कालेज, खटीमा का प्रान्तीयकरण किया जा चुका है। अतः प्रशासक नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर जिले में जहानाबाद-गढ़ी जाफरगंज मार्ग का सर्वेक्षण तथा किया गया कार्य

*11—श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहांनाबाद गढ़ी-जाफरगंज मार्ग, जिला फतेहपुर ग्राम कमासी व न्याय पंचायत, सुल्तानगढ़ के ग्राम से होकर बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग के सर्वेक्षण को ग्राम कमासी व सुल्तानगढ़ से होकर बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*12—श्री प्रेमदत्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहानाबाद गढ़ी जाफर गंज मार्ग, जिला फतेहपुर से सम्बन्धित जो मार्ग 1973-74 में 26 लाख की लागत से स्वीकृत था, दो वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कौन जिम्मेदार है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

धन की कमी के कारण इस मार्ग पर कार्य करना सम्भव नहीं हो सका है।

*13--श्री ऊदल--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

बहराइच में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन घाघरा बैराज सम्बन्धी गबन की जांच

*14--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उन्हें कोई पत्र अप्रैल, 75 से मई, 75 के बीच इस आशय का प्राप्त हुआ जिसमें शारदा सहायक परियोजना, बहराइच के अन्तर्गत निर्माणाधीन घाघरा बैराज में लाखों रुपया गबन करने की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच करायी गयी ? कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

इसकी जांच कराई जा रही है । जांच पूर्ण होने के पश्चात् दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा ।

दोहरीघाट पम्प नहर के पम्पों में खराबी की सूचना

*15--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कपा करेंगे कि दोहरी घाट पम्प नहर, जिला आजमगढ़ से सम्प्रति कितने पम्पों से पानी सिचाई हेतु लिया जा रहा है और कितने बन्द हैं और क्यों एवं कब से ? क्या यह सही है कि चालू पम्प न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि का सिचन नहीं हो रहा तथा सिचाई करने के लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सका है ?

श्री लोकपति--

दोहरीघाट पम्प नहर के 8 पम्पों से पानी बारी-बारी से लिया जा रहा है और कोई बन्द नहीं है । कुछ पम्पों की मोटरों के जल जाने के कारण व ट्रान्सफार्मर की क्षमता कम होने के कारण और अधिक भूमि की सिचाई नहीं हो सकी ।

बी० एन० इन्टर कालेज, देवरिया में अध्यापकों की नियुक्ति

*16--श्री हरिकेवल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के बी0एन0 इन्टर कालेज; मझोली राज में 1974-75 में कुल कितने नये अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे और कितने की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने किन कारणों से रद्द कर दिया था उसमें से कितने को उप शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल, गोरखपुर द्वारा पुनः नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि वहां विज्ञान के छात्रों के न होते हुये भी डिमांस्ट्रेटर की नियुक्ति की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

कुल 5 पदों के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । जिला विद्यालय निरीक्षक ने अध्यापकों की संख्या मानक से अधिक होने के कारण केवल दो पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया । प्रबन्धक की अपील पर उप शिक्षा निदेशक ने सभी अध्यापकों को 30-6-75 तक अस्थायी नियुक्ति की अनुमति प्रदान की ।

वर्ष 1974-75 में किसी भी विज्ञान प्रदर्शक की नियुक्ति नहीं की गई । उक्त वर्ष में कक्षा 11 में तो नहीं किन्तु कक्षा 12 में विज्ञान के छात्र रहे हैं ।

*17--श्री अठई राम--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*18—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

प्राथमिक पाठशाला शिवली, जिला कानपुर के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*19—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के प्राथमिक पाठशाला, शिवली के प्रधान अध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक रूप से कार्य करने हेतु मार्च, 75 में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी है ? वह क्या है तथा उक्त अध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। जांच में यह पाया गया कि बिना अभिभावक के लिखित प्रार्थना-पत्र दिये हुये, प्रधानाध्यापक ने एक छात्र का नाम स्कूल से काट दिया था। दन्ड के रूप में सम्बन्धित प्रधानाध्यापक का जुलाई, 75 में अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया और भविष्य में अधिक सतर्कता से कार्य करने की कड़ी चेतावनी दे दी गई।

तहसील डेरापुर, कानपुर में रामगंगा योजना के अन्तर्गत बनाई गई माइनरें और उनसे सिंचाई की व्यवस्था

*20—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत राम गंगा योजना के अन्तर्गत किन-किन माइनरों का निर्माण अलग-अलग कब किया गया और किनमें अलग-अलग सिंचाई के लिये पानी दिया जाने लगा है और किन में नहीं ? क्या यह सही है कि अधिकांश माइनरें बना तो दी गयी हैं परन्तु पर्याप्त पानी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में रामगंगा योजना के अन्तर्गत पहाड़ीपुर माइनर का निर्माण वर्ष 1973–74 में एवं ताजपुर परसोली, भौजपुर, मनौरा, बिलहा, पूरनपुरवा, उसरी, रसूलाबाद व मलकापुरवा माइनरों का निर्माण 1974–75 में पूरा हुआ तथा कहिर्जरी माइनर का निर्माण प्रगति पर है।

रामगंगा योजना के अन्तर्गत रामगंगा जलाशय से जनवरी, 1975 से जितना पानी मिला इन माइनरों में (कहिर्जरी माइनर को छोड़कर) सिंचाई के लिये दिया गया है।

बाराबंकी में बलहरा से टिकैतनगर तथा घाघरा जल सम्भरण क्षेत्र में समतलीकरण योजना लागू करने की मांग

*21—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में फतेहपुर क्षेत्र के अन्तर्गत बेलहरा से टिकैतनगर तथा घाघरा जल सम्भरण क्षेत्र में भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत समतलीकरण योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय होगी तथा यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

समतलीकरण की कोई योजना सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं चल रही है।

फर्रुखाबाद की खुदागंज-अखमेलपुर सड़क को गढ़िया तक निर्माण कराने की मांग

*22—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के पिछड़े हुये कमालगंज क्षेत्र की विशेष प्रमुख सड़क खुदागंज से अखमेलपुर, रामपुर, मांझगांव होती हुयी गढ़िया तक को बनवाने के लिये सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। मार्गों के निर्माण के लिये सीमित परिव्यय उपलब्ध किये जाने के फलस्वरूप इस मार्ग का निर्माण संभव नहीं है।

*23—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित।]

*24—श्री बाबू लाल वर्मा—

[6वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

श्री गांधी स्मारक इन्टर कालेज, जिला देवरिया के अध्यापकों द्वारा अनशन

*25—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के श्री गांधी स्मारक इन्टर कालेज के कितने अध्यापकों का कितने-कितने महीने का वेतन किन कारणों से बाकी है ? क्या कुछ अध्यापकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के यहां जनवरी, 75 में अनशन भी किया था ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

कथित विद्यालय के किसी भी अध्यापक का किसी माह का वेतन बकाया नहीं है।

18 जनवरी, 1975 को कुछ अध्यापकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में माह दिसम्बर, 1974 के वेतन वितरण में विलम्ब के कारण अनशन किया था जो आपसी सद्भावनापूर्ण बातचीत के फलस्वरूप वेतन वितरण की समुचित व्यवस्था हो जाने पर दिनांक 19-1-75 को समाप्त हो गया।

उस समय अध्यापकों ने जो मांग पत्र दिया था और उस पर जो कार्यवाही की गई उसका विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 267 पर।)

देवरिया जिले की रामकोला-सिंगहा मार्ग पर तारकोल कोटिंग का कार्य

*26—श्री श्रीनारायण—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से देवरिया जिले में रामकोला से सिंगहा नव निर्मित तारकोल पर तारकोल कोटिंग का काम अब तक बाकी है जिससे बनी बनायी सड़क बरबाद हो रही है ? क्या मंत्री शीघ्र तारकोल कोटिंग का काम पूर्ण करा कर उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करा यातायात के लिये मुक्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस मार्ग के नवनिर्मित (4.8 कि0 मी0) का निर्माण कार्य 31-3-1974 को पूरा कर दिया गया था। इस 4.8 कि0 मी0 भाग के आगणन में केवल प्रथम कोट पेंटिंग का प्राविधान था जो पूरा हो चुका है। मार्ग की दशा ठीक है और अप्रैल, 1974 से यातायात के लिये खुला हुआ है।

गोरखपुर जिले की कुसुम्ही मोतीराम अड्डा से मुन्डेरा बाजार सड़क की मरम्मत की मांग

*27—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की कौन-कौन आर0 एम0 पी0 स्कीम द्वारा निर्मित स ;कें इस वर्ष की भयंकर बाढ़ बरसात में क्षत-विक्षत होकर आवा-गमन योग्य नहीं रह गयी हैं ?क्या इसमें कुसुम्ही मोतीराम अड्डा होते झंगहा व राजधानी मटियारा तथा डुमरी खास से फुलवरिया होते मुन्डेरा बाजार (चौरी चौरा) स क भी है ? यदि हां, तो इसको उपयोगी स्तर पुन: देने हेतु कब से एवं क्या प्रयास होने जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्वावलम्बी इन्टर कालेज व नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

*28—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री मधुकर दिघे तथा श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सरकर कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुन-पुरा व नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमहिया से संबंधित कितनी शिकायतें शासन व जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को माह अप्रैल, 75 से अगस्त, 75 तक प्राप्त हुयी हैं ? क्या इन शिकायतों में 15 सूत्रों में लिखित शिकायत भी है जिसमें प्रधानाचार्य विशुनपुरा का भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक रूप से अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां तथा क्लर्क को फर्जी अध्यापक प्रमाणित करके वि वि .द्यालय स्तर की परीक्षा दिलाने की बातें आदि हैं ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा के सम्बन्ध में 7 तथा नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमहिया के सम्बन्ध में 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जी हां।

मामले की जांच चल रही है।

सुल्तानपुर की गौरीगंज-सैंठा सड़क को जिला प्रतापगढ़ से मिलाने की मांग

*29—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के स्थान गौरीगंज से सैंठा की ओर जाने वाली सड़क को दो किलोमीटर और आगे बढ़ा कर प्रतापगढ़ जनपद के ग्राम अठेहा से जोड़ने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

धन की कमी के कारण प्रश्नगत मार्ग के उल्लिखित भाग का निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

विकास खन्ड डीह, रायबरेली के अन्तर्गत हाई स्कूल खोलने की मांग

*30—श्री दीनानाथ सेवक—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खंड डीह में कोई हाई स्कूल है ? यदि नहीं, तो उक्त विकास खंड में कोई राजकीय हाई स्कूल खोलने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में नया विद्यालय खोलने का लक्ष्य न होने के कारण सम्प्रति यहां कोई राजकीय हाई स्कूल खोलना संभव नहीं है।

तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़, के अन्तर्गत इन्नेक ताल की जलनिकासी का कार्य

*31--श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत फूलपुर परगना कौंरी या ग्राम ककरही, कैडिया, जलालपुर, पटरखैली धन्धारी के बीच इन्नेक ताल से पानी निकासी से सम्बन्धित कार्य वर्ष 1974-75 में शुरू हुआ और उसे अधूरा ही छो. दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

आजमगढ़ जनपद की फूलपुर तहसील के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत इन्नेक ताल की जल निकासी हेतु कौंरी याताल ड्रेन की खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, परन्तु कौंरी या ग्राम की जनता के विरोध के कारण कार्य रोक दिया गया।

*32--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

*33--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

[दूसरे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 पर स्थानान्तरित।]

बेसिक शिक्षा परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित किये जाने और उनकी पुनर्नियुक्ति की मांग

*34--श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार मान्यता के दृष्टिकोण से जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने तथा ऐसे सेवामुक्त अध्यापकों को पुनः नियुक्त करने पर अविलम्ब विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं से जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवायें बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश को हस्तान्तरित की गई थीं, उनमें से इस समय कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित कराया जा रहा है। परिषद् के गठन के पूर्व अप्रशिक्षित होने के कारण सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा यदि किसी अध्यापक को सेवा मुक्त किया गया है, तो वह सामान्य क्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करके नियुक्ति के लिये अर्ह हो सकता है। सेवा मुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका को पुनर्नियुक्ति इसलिये नहीं दी जा सकती है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध है।

*35--श्री मोहम्मद रफी खां--

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 40 पर स्थानान्तरित।]

*36--श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर की गई जांच

*37--डाक्टर मलखान सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध जो शिकायतें शासन को माह अप्रैल मई, 75 में मिलीं जिनकी जांच उपशिक्षा निदेशक, झांसी ने की, कौन-कौन से आरोप जांच में प्रमाणित हुये हैं और शासन ने उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अप्रैल, 75 के एक शिकायती पत्र पर उप शिक्षा निदेशक, झांसी द्वारा की गयी जांच में सभी आरोप निराधार पाये गये। अप्रैल, मई, 75 के अन्य शिकायती पत्रों पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, बेसिक द्वारा जांच की गयी। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध जांच चल रही है। सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा। इस समय श्री मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन का स्थानान्तरण जालौन से कर दिया गया है।

विकास खन्ड, इटावा, खुनियांव व धनवापुर, जिला बस्ती के अन्तर्गत सड़क निर्माण की मांग

*38—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद के इटावा खुनियांव तथा धनवापुर विकास खंडों में इस वर्ष कौन-कौन सी सड़कें पक्की बनने के लिये स्वीकृत हैं और इनका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा? यदि कोई नहीं स्वीकृत है तो कारण क्या है? क्या इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र पर सरकार ध्यान देगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत विकास खंडों में कोई सड़क निर्माण के लिये स्वीकृत नहीं है, अतः कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता। धन की कमी के कारण मार्ग स्वीकृत नहीं हैं। इस पिछड़े क्षेत्र पर ध्यान देना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दरगाह शरीफ, बहराइच द्वारा संचालित प्राइमरी मकतब (स्कूल) के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल

*39—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि दरगाह शरीफ, बहराइच द्वारा संचालित गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी मकतब (स्कूल) के अध्यापक 20-5-75 से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर हैं? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार ने उन मांगों के सम्बन्ध में क्या किया है?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत संस्था के एक अध्यापक 20-5-75 से 22-5-75 तक भूख हड़ताल पर थे। उनकी मांगों की सूची संलग्न है। मकतब यूनियन, बहराइच तथा प्रबन्धाधिकरण, दरगाह शरीफ के बीच सुलहनामा हो गया है। अतः शासन द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 268 पर।)

गोरखपुर जिले में करमैनी घाट, धानी-घाट तथा लेहड़ा स्टेशन से कहरौली तक पक्की सड़क बनाने की मांग

*40—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के धानी ब्लाक की बाढ़ क्षेत्र में करमैनी घाट से धानी घाट तथा लेहड़ा स्टेशन से कहरौली तक पक्की सड़क बनवाने की पुरानी योजना इस वर्ष कार्यान्वित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

धन की कमी के कारण प्रश्नगत मार्गों का निर्माण स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

हरदोई जिले में निरस्त किए गए चीनी के कोटे

*41—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1974 से फरवरी, 75 तक हरदोई जिले में चीनी के कितने कोटे निरस्त किये गये तथा क्यों ? उनमें से कितने कोटेदारों पर पुलिस कार्यवाही चल रही है तथा कितने कोटेदारों की अपीलें आयुक्त को मिलीं तथा उनमें से कितने बहाल कर दिये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

हरदोई जिले में 1 जनवरी, 1975 से फरवरी, 1975 तक वितरण में अनियमितताओं के कारण चीनी के 11 कोटे निरस्त किये गये। इनमें से किसी कोटेदार पर पुलिस कार्यवाही नहीं चल रही है। तीन कोटेदारों ने आयुक्त को अपीलें की थीं जिनमें से एक अपील अस्वीकृत हो गयी और दो कोटेदार बहाल कर दिये गये।

तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में न्याय पंचायतवार चीनी के कोटेदार

*42—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की तहसील सन्डीला मे प्रत्येक न्याय पंचायत में चीनी के कितने कितने कोटेदार हैं ? यदि किसी न्याय पंचायत में दो से कम कोटेदार हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

हरदोई जिले की तहसील सन्डीला में कुल 44 न्याय पंचायतें हैं जिनसे संबंधित कोटेदारों की सूचना सदन की मेज पर रक्खी है। इससे विदित होता है कि 14 न्याय पंचायतों में एक-एक लेवी चीनी का कोटेदार है और 5 न्याय पंचायतों की जनता के राशन कार्ड निकटतम न्याय पंचायतों के चीनी कोटेदारों से सम्बद्ध कर दिये गये हैं। दिनांक 28-12-1974 को सम्बद्ध जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति ने प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया था कि एक न्याय पंचायत में दो कोटे तब ही दिये जायं जब भौगोलिक अथवा अन्य विशेष परिस्थिति बाध्य करे। तथापि शासन की नई नीति के अनुसार चीनी के कोटेदारों का पुनर्संगठन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 से 7,500 तक की जनसंख्या के लिये लेवी चीनी की एक दुकान की व्यवस्था रहेगी।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 269-270 पर।)

*43—श्री दयाराम भास्कर—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित।]

*44—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित।]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद का स्थानान्तरण

*45—श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद) तथा हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद का स्थानान्तरण गम्भीर आरोपों के आधार पर नवम्बर, 75 में किया गया था ? और क्या यह सही है कि अभी तक वह मुरादाबाद में कार्य कर रहे हैं ? यदि उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया था, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद का स्थानान्तरण शिकायत पर किया गया था जो बाद में वापस ले लिया गया। इसी दौरान मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक बरेली से भी जांच करायी गयी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने पूर्ण विचार कर स्थानान्तरण निरस्त कर दिया।

तहसील अमरोहा, मुरादाबाद में सीमेन्ट का मूल्य निर्धारण

*46—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुरादाबाद तहसील अमरोहा में वर्ष 75 में सीमेन्ट कन्ट्रोल रेट का 28 रु0 प्रति बोरी था और क्या यह दर जिला पूर्ति अधिकारी मुरादाबाद द्वारा निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। जिला मुरादाबाद की तहसील अमरोहा में वर्ष 1975 में ए0 सी0 सी0 सीमेन्ट फैक्ट्री, कैमूर (मध्य प्रदेश) द्वारा अपने तीन स्टाकिस्टों के सड़क मार्ग द्वारा भेजे गए सीमेन्ट का मूल्य जिला पूर्ति अधिकारी ने रुपया 25.85 पैसे प्रति बोरी के दर से नियत किया था जिसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा प्रदेशीय बिक्री कर देय था उक्त मूल्य निर्धारण शासन के स्थायी आदेशों के अनुरूप था।

*47—श्री वीर सिंह सेंगर तथा डाक्टर मलखान सिंह—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित।]

*48–49—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित।]

बाराबंकी जिले में सफरदगंज-बदोसराय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच

*50—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क सफदरगंज से बदोसराय पर वर्ष 75 में रोलर व चूना का खर्च गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें वर्ष 1976 में प्राप्त हुयी हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

*51—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*52—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित।]

वाराणसी जिले में ज्ञानपुर–रोही अकोढ़ा तथा पाली सूरियावां मार्ग व दगोगंज जंघई के बीच पुल निर्माण की मांग

*53—श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद वाराणसी में ज्ञानपुर तहसील के अन्तर्गत ज्ञानपुर से रोही अकोढ़ा मार्ग तथा पाली सुरियांवा मार्ग व दगोगंज जंघई के बीच पुल निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक योजना शुरू होने की संभावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं।

धन की कमी के कारण इन निर्माण कार्यों का स्वीकृत करना संभव नहीं है।

*54--श्री जंग बहादुर वर्मा--

[3रे बुधवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले के हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज से सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं को दी गयी धनराशि का विवरण

1--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कौन-कौन से हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजेज हैं जिनमें कक्षा एक से पढ़ाई होती है? उनको प्राइमरी सेक्शन को कितना-कितना धन सरकार ने इस साल 74 में दिया है? उसके देने का आधार क्या है?

श्री अम्मार रिजवी--

सूची संलग्न है।

क्षतिपूर्ति की दर निम्नवत् है :--

कक्षा 1 व 2 में	.. ..	1.25 रु0 प्रति छात्र
कक्षा 3 व 4 में	.. ..	1.50 रु0 प्रति छात्र
कक्षा 5 में	.. ..	3.00 रु0 प्रति छात्र

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 271-272 पर।)

दोहरीघाट नहर सहायक परियोजना तथा बलिया में बहेरा नाले पर वृत्त बांध का निर्माण

2--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया) तथा श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट नहर सहायक परियोजना का कार्य अपने निर्धारित समय के अनुसार प्रगति पर है तथा समय से पूर्ण हो जायेगा? तथा बलिया जिला स्थित बहेरा नाला पर बनने वाला वृत बांध कितना बन चुका है तथा शेष कब तक बन जाने की सम्भावना है?

श्री लोकपति--

प्रथम भाग--

इस प्रयोजना का कार्य प्रगति पर है तथा धन की उपलब्धि के अनुसार इसे वर्ष 1966-77 में पूर्ण करना प्रस्तावित है?

द्वितीय भाग--

बलिया जिले में बहेरा नाले पर दायें और बांयें किनारे पर दो वृत्त बांध बने हैं। इन बांधों के गैपों को बन्द कराने, पक्के रेगुलेटर बनाने और सुदृढ़ीकरण के लिये आगणन बनाया जा चुका है। इसकी स्वीकृति के बाद इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

बस्ती की चौरासी माइनर के निर्माणार्थ अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

3--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे बिस्ती जिले के विकास खंड, नौगढ़ में चौरासी माइनर नाम की नहर निकाली गयी है? यदि हां, तो क्या जिस भूमि से नहर निकाली गयी है उस भूमि का मुआवजा कृषकों को दे दिया गया है। यदि नहीं, तो किस-किस को कितना-कितना मुआवजा बकाया है तथा उसे कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री लोकपति—

जी हां। 89,376.64 रु0 संबंधित किसानों को दे दिया गया है। शेष किसानों को मुआवजा देने के लिये धनराशि सम्बन्धित भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। जिन काश्तकारान को मुआवजा देना शेष है उनकी सूची सदन के पटल † पर रख दी गयी है।

बहराइच जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माणार्थ दी गयी धनराशि एवं स्थान

4—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला परिषद्, बहराइच को सन् 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74 में प्रतिवर्ष कितने प्राइमरी पाठशाला खोलने की स्वीकृति दी गयी और प्रत्येक पाठशाला की इमारत बनवाने का कितना-कितना प्रतिवर्ष रुपया दिया गया ? कितने पाठशाला के भवन किन-किन स्थानों पर बनाये गये ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष	पाठशालाओं की संख्या	धनराशि
1967–68	6	18,000 रु0
1968–69	3	9,000 ,,
1969–70	20	1,00,000 ,,
1970–71	7	35,000 ,,
1971–72	7	59,500 ,,
1972–73	2	17,000 ,,
1973–74	1	9,300 ,,

प्रत्येक पाठशाला की इमारत बनवाने की धनराशि तथा स्थान के सम्बन्ध में सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 273–274 पर।)

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

तहसील सादाबाद, जिला मथुरा के सरकारी नलकूपों में खराबी

6—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील सादाबाद, जिला मथुरा के सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं, जिससे वहां के कृषकों में घोर असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इनको ठीक कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति —

सूचना एकत्र की जा रही है।

†छापी नहीं गयी।

ब्लाक बड़पुर, जिला फर्रुखाबाद के प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से जूनियर रेड क्रास के नाम पर ली गई धनराशि

7—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बड़पुर ब्लाक के प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापकों से फरवरी, 74 के वेतन वितरण के समय 10 रुपया प्रति स्कूल जूनियर रेड क्रास के नाम पर लिया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी रसीदें दी गयीं और इस प्रकार एकत्रित धनराशि सही मद में जमा की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

फर्रुखाबाद जनपद के बड़पुर विकास क्षेत्र के 50 प्राइमरी स्कूलों से जूनियर रेडक्रास के नाम पर तत्कालीन विद्यालय प्रति उप निरीक्षक ने दो रुपया प्रति विद्यालय की दर से लिया था। इस धन की प्राप्ति के हस्ताक्षर संबंधित स्कूलों की छात्र निधि पंजिकाओं पर अंकित है। इस प्रकार प्राप्त कुल सौ रुपये की धनराशि को उप विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद के कार्यालय में चल रहे जूनियर रेडक्रास के खाते में जमा कर दिया गया था।

प्रदेश तथा बहराइच जिले में लगाये गये राजकीय नलकूप और उन पर व्यय की गई धनराशि

8—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 73–74 एवं वर्ष 74–75 में अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने राजकीय नलकूप लगवाये गयेऔर कितनी बोरिंग करायी गयी और कुल कितना धन व्यय हुआ इसमें से बहराइच जिले में कितना कहां खर्च हुआ ?

श्री लोकपति —

वर्ष 73–74 में 1179 एवं वर्ष 74–75 में 635 राजकीय नलकूपों का छिद्रण कराया गया तथा वर्ष 73–74 में 1474.62 लाख रु0 एवं 74–75 में 1093.62 लाख रु0 व्यय किया गया। इनमें से बहराइच जिले में वर्ष 73-74 में रु0 6.16 लाख और 74-75 में 3.22 लाख रु0 राजकीय नलकूप निर्माण के अन्तर्गत व्यय हुआ।

बहराइच तहसील की कन्या पाठशालाओं का विवरण

9—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच तहसील में कितनी कन्या पाठशालाएं हैं और प्रत्येक कन्या पाठशाला में अध्यापिका एवं बालिकाओं की संख्या क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अप्रैल, 1975 में एकत्रित आंकड़ों के अनुसार बहराइच तहसील, जिला बहाइच में 123 कन्या पाठशालायें थीं। विकास क्षेत्रवार प्रत्येक कन्या पाठशाला में अध्यापिकाओं एवं बालिकाओं की सख्या† का वितरण संलग्न है।

प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण हेतु बनायी गई मास्टर योजना

10—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में प्रतिवर्ष की बाढ़ की भयंकरता व हानि देखते हुये सरकार ने निजी या केन्द्र की सहायता से क्या कोई ठोस योजना बनायी है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री लोकपति—

जी हां।

प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से एक मास्टर योजना तैयार की गई है। वर्तमान बाढ़ नियंत्रण योजनायें, जिन पर कार्य चल रहे हैं,उक्त मास्टर योजना के ही भाग हैं।

---

†छापी नहीं गयी ।

11-12—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

ग्राम बासूपुर व कुन्दनपुर, इलाहाबाद में निर्मित नलकूप

13—श्री अठई राम—

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में ग्राम जमुआ बांसपुर व कुरदीनपुर में एक वर्ष से नया नलकूप बन कर तैयार है परन्तु उसे चालू नहीं किया गया हैजबकि सारा सामान वहीं पर रखा हुआ है और उसमें जंग लग कर खराब भी हो रहा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति—

विधान सभा प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों के नाम बांसपुर व कुरदीनपुर सही नहीं प्रतीत होते हैं। इनके सही नाम 'बासूपुर' व 'कुंदनपुर' हैं। तथा उक्त ग्रामों में निर्मित राजकीय नलकूप चालू हैं। इनके सामान में जंग लगने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई की सुविधायें और सिंचित व असिंचित भूमि के वितरण की मांग

14—श्री अठई राम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में कितने हेक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई सुविधायें उपलब्ध थीं और 31 अक्तूबर, 74 को कितने हेक्टेयर खेती योग्य भूमि असिंचित पड़ी है और कितने हेक्टेयर परती भूमि राज्य में पानी की सुविधा से खेती योग्य हो जायेगी सरकार कब तक पूरी भूमि को सिंचाई साधन की व्यवस्था कर सकेगी ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई मन्डल वाराणसी से कतिपय लिफ्ट कैनालों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

15—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट सिंचाई मंडल, वाराणसी के लिफ्ट कैनाल, नारायणपुर, रिग्सपंचम हाजीपुर जौनपुर तथा वाराणसी के बारे में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को 19 मई, 75 का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है।

गाजीपुर जिले की सिधागरघाट-पक्का-इनार सड़क के निर्माण की मांग

16—श्री रघुनाथ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले से सिधागर घाट से होते हुये पक्का-इनार नगरा जाने वाली सड़क निर्माण करने के लिये विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

धन की कमी के कारण प्रस्तावित मार्ग का निर्माण स्वीकृत करना संभव नहीं है।

नैनीताल जिले में बाढ़ नियन्त्रण कार्य हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत धनराशि

17—श्री इन्द्रलाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में जिला नैनीताल के लिये बाढ़ नियन्त्रण कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गयी ?

श्री लोकपति—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में जिला नैनीताल के बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु 60,18,800 रु0 की धनराशि आवंटित की गई।

18—श्री बाबू लाल वर्मा—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

बहराइच जनपद के बेसिक व जूनियर स्कूलों के अध्यापकों के बकाया धन का भुगतान

19—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक) बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के वेसिक व जूनियर स्कूलों के अध्यापकों का पिछला एरियर (1971 से) कितना धन बकाया है ? अब तक इस धनराशि के भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा यह धन कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत नलकूप की नालियों की खराब दशा

20—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन ग्रामों के नलकूप इस समय ऐसे हैं जिनकी नालियां खराब हैं और धनाभाव के कारण बन नहीं पायी हैं तथा कितने नये नलकूप की नालियां बन नहीं पायी हैं ? इससे सरकार को प्रति वर्ष कितना नुकसान हो रहा है।

श्री लोकपति—

आजमगढ़ जिले में 39 ग्रामों के पुराने नलकूप (सूची संलग्न है) की नालियां कुछ खराब दशा में हैं जिनकी मरम्मत धनाभाव के कारण न हो सकी।

50 नये नलकूपों की नालियां अपूर्ण हैं जो कि निर्माणाधीन हैं अतः नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ. 275 पर)

जूनियर व बेसिक स्कूलों के लिए सहायक पुस्तकों के चयन हेतु गठित समिति

21—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक) बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-10-75 या उसके आस-पास शिक्षा विभाग ने जूनियर व बेसिक स्कूलों में बालकों की आवश्यकताओं के अनुकूल व पुस्तकालयों के लिये हिन्दी तथा उर्दू की सहायक पुस्तकों का चयन करने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो पुस्तकों का चयन कौन करेगी तथा चयन का आधार क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

पुस्तकों का चयन शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

पुस्तकों का चयन इस स्तर के बालकों के व्यय क्रम एवं उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुये, उपयोगिता के आधार पर किया जाता है।

22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

लोअर डिवीजन यमुना कैनाल पूर्वी के अन्तर्गत नहरों, राजबाहों के रख-रखाव व सफाई पर व्यय की गई धनराशि

23—श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 74–75, 75–76 वर्ष में लोअर डिवीजन यमुना कैनाल पूर्वी के अन्तर्गत आने वाली नहरों, रजबाहों की सफाई के लिये कुल कितने धन का आरक्षण किया गया था एवं कितना धन व्यय हुआ?

श्री लोकपति—

नहरों व रजवाहों की सफाई के लिये अलग से धन की प्रदिष्टि नहीं होती है। वर्ष 1974–75 व 1975–76 में नहरों, रजबाहों व नालों के रख–रखाव के लिये क्रमशः 8.10 लाख रुपया व 11.50 लाख रुपया प्रदिष्ट किया गया। इसके विरुद्ध वर्ष 1974–75 में 10.45 लाख रुपये व्यय हुये जिसमें से 3.14 लाख रुपये रजबाहों व माइनरों की सफाई पर व्यय किया गया। वर्ष 1975–76 में अक्तूबर, 1975 के अन्त तक 5.71 लाख रुपया व्यय हुये जिसमें रजवाहों व माइनरों की सफाई पर 3.28 लाख रुपये व्यय हुये।

गोरखपुर के एस० डी० एम०, सदर, श्री अब्दुल हई अन्सारी व उप पुलिस अधीक्षक, श्री सी० एन० पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के सम्बन्ध में एक पुरानी सूचना मुझे श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा श्री शारदा प्रसाद रावत द्वारा दी गई थी। यह पुराना प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में व्यवस्था देनी है। आप (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) कृपापूर्वक यथोचित स्थान पर बैठ कर धैर्य का प्रदर्शन करने की अनुकम्पा करें।

यह विशेषाधिकार का प्रश्न गोरखपुर के एस0 डी0 एम0 सदर, श्री अब्दुल हई अन्सारी व उपपुलिस अधीक्षक, श्री सी0 एन0 पाण्डेय के विरुद्ध सर्वश्री अब्दुल रऊफ लारी, मुहम्मद असरार अहमद तथा शारदा प्रसाद रावत, सदस्य विधान सभा ने 16 अप्रैल, 1975 को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी, जिस पर 18 अप्रैल, 1975 को मैंने कहा था कि "माननीय सदस्य यदि इस सम्बन्ध में कोई आधार देंगे, तो उस पर विचार करके मैं अपना निर्णय दूंगा। तदनुसार दिनांक 19 अप्रैल, 1975 को उक्त सूचना के सन्दर्भ में श्री मुहम्मद असरार अहमद श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री शारदा प्रसाद रावत ने 4 गवाहों के नाम दिए थे, जिनके समने एस0डी0एम0 सदर, श्री अ सारी तथा उप पुलिस अधीक्षक, श्री सी0 एन0 पान्डेय ने जो शब्द कहे थे और जिन पर आपत्ति की गई थी तथा जिन पर सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया था, वह इस प्रकार से "अब यह फैसला विधान सभा में प्रश्न करने व विधायक द्वारा आकर कटवाने पर ही कटेगी"। दिनांक 21 अप्रैल, 1975 को मैंने यह मत व्यक्त किया था कि जिन शब्दों पर आपत्ति की गई है उनसे किसी सदस्य को धमकी देना या उसके कार्य में बाधा पहुंचाना इंगित नहीं होता। दूसरे कोई ऐसे शब्द नहीं कहे गए प्रतीत होते, जिनसे यह कहा जा सके कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है फिर भी मैंने यह कहा था कि इसको मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास इस अनुरोध के साथ भेज दूंगा कि वे इस सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी करके सदन को अवगत करा देंगे। तदनुसार स्थिति की जानकारी अब पुलिस अधीक्षक, श्री0 सी0 एन0 पाण्डेय के बयान के साथ जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर की रिपोर्ट व गवाहों के कलमबन्द बयान भी भेजे गए हैं। इन सब को देखने से यह प्रतीत होता है कि जो अपराध उक्त सूचना में लगाए गए थे, वे सही नहीं हैं। माननीय सदयों द्वारा दिए गए चार गवाहों में से तीन

गवाहों ने भी अपने बयानों में उक्त प्रकार का कोई कथन किए जाने के सम्बन्ध में इन्कार किया है। चौथे गवाह के बारें में शासन ने सूचित किया है कि वे खास सूचना के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तथा शासन की ओर से जो स्थिति स्पष्ट की गई है, उसको देखते हुए विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का कोई प्रश्न नहीं बनता प्रतीत होता। अतः इसको अग्राह्य करता हूं। आमतौर पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कुछ लोग कर देते हैं। ऐसा मैं मानता हूं और हो सकता है माननीय सदस्य ने जो कहा वह सही हो लेकिन इन छोटी-छोटी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं खुद जानता हूं कभी दरोगा बड़े-बड़े को गाली दे देता है। बात-बात में वह ऐसा करता है, वह उसकी आदत है वह कह देता है कि क्या करेगा वह, क्या करेगी विधान सभा, लेकिन इससे सदन के अवमान की मंशा उसकी नहीं होती है। तकिया कलाम की बात है, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री शिवकुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

ऐसी आप रूलिंग दे रहे हैं, इससे तो खुलेआम वे ऐसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

तो क्या मैं ऐसा करने वालों को सजा नहीं दूंगा? मैं तो कह रहा हूं कि यह आम-तौर पर होता है। इसका अर्थ यह है कि शासन की ओर से कोई पत्र या निदश जाना चाहिए कि ऐसा भी वें न कहे। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि शासन परिपत्र द्वारा उनसे ऐसा कहे कि जो शासन का उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाला पुराना निर्देश है, उसका पूर्णतया पालन किया जाए। पुराने निर्देश की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्हें इस ओर पुनः स्मरण कराना जरूरी है क्योंकि बहुत से नए अफसर ऐसे होते हैं, जो दूसरे आदेशों को पढ़ते नहीं हैं या नये होते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

उसमें जिन गवाहों के नाम दिए गए थे, उनसे जो बयान लिये गए उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। जबकि मुझे भी मालूम होना चाहिए था और वह मेरे सामने होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—

यदि प्राग्दर्शन में बन जाता तब तो बुलाते और हमसे को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर देते।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 270–278 पर।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 279—281 पर)

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

विद्युत् राज्य मन्त्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) बिधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 282—287 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना श्री श्रीनारायण की नियम 56 में प्राप्त हुई है यह प्रदेश के अध्यापकों को डी0 आई0 आर0 में बन्दी बनाए जाने तथा उनको तथाकथित वेतन न दिए जाने एवं विभिन्न जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उनके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार किए जाने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है। इसे मैंने अस्वीकार किया है। इस पर माननीय सदस्य को क्या कहना है?

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, अध्यक्ष जी, जब से आपात स्थिति लागू भइल बा तब से इस प्रदेश में हजारों अध्यापक बन्दी बनाइल गइले। बहुत लोग छूट गइले बाटे। उनका 10-10 महीने का वेतन बाकी बा। हजारों लोग अन्न बिना, वस्तु बिना तबाह बा। यह बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर अध्यापकों को बेकार बनाइल गइल बा। इस पर माननीय मन्त्री जी से वक्तव्य दिलाया दीन जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस पर संशोधन आ चुका है। गवर्नर का जब अभिभाषण होता है तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं होता है और यह आपका विशेष संशोधनों में भी है, अतएव यह अग्राह्य है। इसकी सूचना जो आपने दी है वह परवर्ती सूचना है, इसकी पूर्ववर्ती सूचना हमको मिल चुकी है।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, यह गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष—

इतना गम्भीर है, इसीलिए उसके संशोधन को माना गया है।

नेता विरोधी दल के भाषण को समाचार-पत्रों द्वारा न छापे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं। कल आप जब यहां पर विराजमान थे, तो सरकारी पक्ष की तरफ से श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया और जिन सज्जन ने उसको पेश किया, उनकी स्पीच हुई, उसके बाद उसका अनुमोदन हुआ और उसके पश्चात् विरोधी दल के नेता, चौधरी चरण सिंह जी की स्पीच हुई। उन्होंने साढ़े 4 घंटे तक बोला लेकिन आज आपने देखा होगा कि उन दोनों सज्जनों की स्पीच तो अखबारों में छपी हुई है, लेकिन चौधरी साहब के बारे में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्होंने अपना अमेंडमेंट पेश किया और उस पर कुछ बोले। तो मैं यह जानना चाहता हूं ये जो पत्रकार हैं या तो इनका लाउड स्पीकर फेल हो गया, सुन नहीं पाये या सुनकर भी नहीं लिखे। मान्यवर, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 194 में लिखा हुआ है कि हमारे बोलने और हमारी स्पीचेज को छपने के लिए, एक तरह से उसमें हिफाजत की गयी है :

"Article 194 of the Constitution of India, confering special rights and privileges of the Houses of the Legislatures and their immunities, is a completely independent Article and is above any law of the state and is not bound or restricted by any other Article of the Constitution."

ऐसा इसमें लिखा हुआ है और इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, 1919, 1935 और उसके बाद जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उसका कांस्टीट्यूशन, हाउस आफ कामन्स, मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस इन सब के अन्दर बड़े ब्यौरे के साथ लिखा हुआ है कि जो मेम्बर्स होते हैं असेम्बलीज के, विधान सभाओं के, पार्लियामेन्ट के, उन सबके भाषण देने के बारे में, उनके छपने के बारे में, सब ये राइट्स दिए गए हैं। तो ये सब नियम होते हुए भी हमने देखा अखबार के अन्दर कोई चर्चा नहीं है। आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर ही हमारे हकूक की कुछ हिफाजत हो सकती है। जो हमारी सरकार के लोग हैं, ये तो बड़े जालिम हैं, बड़े निर्दयी हैं, इनसे तो किसी अच्छी उम्मीद की आशा ही नहीं है। आप ही की ऐसी जगह है कि जहां उम्मीद करते हैं कि आप मेहरबानी करके हमारे इस हकूक की हिफाजत करेंगे और आप इस समय न मुनासिब समझें तो अपने कमरे में पत्रकारों को बुला कर बता दें कि वे हमारी मुश्किलाहट को हल करें। वरना तो हमारे यहां बैठने का क्या फायदा? आप मान्यवर, कोई इस पर व्यवस्था दें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 2-4 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। यह सेन्सरशिप है या नहीं और अगर है तो आपने देखा होगा कि बाम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग हुई है कि इस प्रकार का सेन्सरशिप कन्टेम्प्ट है। यह फैसला हो चुका है। मसानी जी के मसले पर हुआ है। मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं कि या तो सरकार यह तसलीम करे कि हमने सेन्सर किया। चौधरी साहब 4 घंटे बोले और उनके लिए केवल लिखा गया कि विरोधी दल के नेता बोले। यह किस लिए होता है? हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें नहीं तो हम यहां पर आवें ही नहीं अगर हमारी बात उत्तर प्रदेश में न पहुंचे। हाई कोर्ट बाम्बे की रूलिंग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आप इस रप व्यवस्था दें।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय राम मूर्ति जी को और हमारे नियाज साहब को कुछ गलत फहमी हो गयी है कि कुछ निकला नहीं। चौधरी साहब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ भी बोले नहीं थे। उस पर कुछ कहा ही नहीं तो निकलता क्या ?

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पक्ष के सभी मेम्बरों से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी से मी निवेदन करना चाहता हूं कि आज वे जिस कुर्सी पर बैठे हुये हैं उस कुर्सी पर पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त भी बैठते थे, उस पवित्र कुर्सी पर वे बैठे हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यही प्रजातन्त्र है कि जो कुछ यहां पर बोला जाये वह जनता में न जाए, अखबारों में न जाए ? तो क्या हम लोग यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं ? मैं कहता हूं कि अगर आप सदन को शान्ति पूर्वक चलाना चाहते हैं तो हम लोग जो विचार यहां पर व्यक्त करते हैं उनको जनता तक पहुंचाने दिया जाए, अखबारों में छपने दिया जाए। अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि हम लोगों के इन विचारों को जनता में और अखबारों में छपने दिया जाए। यह डेमोक्रेसी नहीं है। अगर यही करना है तो हम लोग इस्तीफा दे सकते हैं। हमारा सदन में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहते हैं कि एक पार्टी का रूल हो और मजे से जिन्दगी बिताए और सदन मौज से चलाएं। नहीं तो हम लोगों के विचारों को जो हम व्यक्त करते हैं उनको जनता में जाने दिया जाए और अखबारों में छपने दिया जाए। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए नहीं तो सदन एक मिनट भी नहीं चल सकता है। झंझट चलेगा चाहे आप हम लोगों को फांसी पर भी चढ़वा दें।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, सदन में सभी सदस्य उनकी बात सुन रहे थे और जहां तक माननीय सदस्यों के भाषणों का अखबारों में छपने का प्रश्न है यह सदन का कर्तव्य नहीं है कि वह उनसे कहें।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, हम लोग 30-40 प्रतिशत वोटों से जीत कर आते हैं लेकिन चूंकि हम लोगों के हाथ में शासन नहीं है इसलिए हमें बोलने का हक नहीं है।

श्री राम मूर्ति—

माननीय कृषि मंत्री जी को बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ खासतौर से उनकी जवान से सुनकर जिन्होंने गवर्नर के एड्रेस को बनाया। उसमें 4/5 जगहों पर एमरजेन्सी का जिक्र है। मने तो पहले ही कहा था कि ये बड़े जालिम लोग हैं ? अगर उनका यह विचार है कि कृषि के बारे में कुछ कहा जाय और वही सरकार है और असेम्बली है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सम्बोधन में इसका जिक्र आया है तो सब के लिए इस पर बोलने का एक मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं श्रीमन्, बता दें।

श्री अध्यक्ष—

उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय राममूर्ति जी ने व्यवस्था के रूप में एक प्रश्न उठाया है और शासन उस पर उत्तर देगा। इस पर माननीय कृषि मन्त्री जी ने भी अनावश्यक ढंग से दखल दिया इस मामले पर हल्के-फुल्के नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो संविधान की धारा 194 है, उसके अनुसार ही काम होता है। यदि कोई भाषण समाचार-पत्र में नहीं छपता है तो प्रश्न यह है कि समाचार-पत्र पर हमारा और विधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा का कितना अधिकार है और कितना अधिकार पार्लियामेन्ट पर है। ये सब विचारणीय प्रश्न हैं, लेकिन इन पर ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा।

*श्री संत सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

मान्यवर, कल माननीय चौधरी साहब ने जो भाषण दिया, उसको मैंने बड़े गौर से सुना। मैं उनकी बात में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और न मैं उससे इत्तफाक ही रखता हूं, लेकिन अखबार से कम्पलीट ब्लैक आउट देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं अपने दोस्तों से और खासकर मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर ठंडे दिल से सोचें। पार्लियामेंन्टरी डेमोक्रेसी जिसके बारे में मेरी अन्डरस्टैंडिंग है अपोजीशन का प्वाइन्ट आफ व्यू भी आना चाहिए। अगर कोई खास गलत बात हो तो उसे आप सेन्सर करा दीजिए लेकिन उनका अखबार में एक लफ्ज भी न आए यह बात बहुत अच्छी नहीं है। आपके लिए भी उचित नहीं है और डेमाक्रेसी के लिए भी उचित नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर गलत बात है तो उसे आप अवश्य सेन्सर कीजिए लेकिन कम्पलीट ब्लैक आउट हो, यह नहीं होना चाहिए ; यह मेरी निजी राय है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मैं एक नयी बात कहना चाहता हूं, आप जरा सुन लें। यह प्रश्न अभी हाल ही में राज्य सभा में माननीय भूपेश गुप्त ने और लोक सभा में माननीय इन्द्रजीत गुप्त ने उठाया था। मैं चाहता हूं कि आप भी वह प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें। वहां सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि सरकार की मन्शा यह नहीं है कि विरोधी दल के लोग जो कहते हैं उस सब को ब्लैक-आउट कर दिया जाय। उसके बाद से लोक सभा और राज्य सभा की बहुत सी स्पीचेज जो सन्सर लायक नहीं है वह प्रेस में आ रही हैं और आप भी उसको देखते होंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आपसे भी और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कि अगर कोई कठिनाई हो तो आप वहां की प्रोसीडिंग्स को और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कितनी छूट दी है, उसको मंगा कर देख लें और उसी के मुताबिक यहां भी जो कुछ व्यवस्था हो सके वह आप लागू करें। इससे, मैं समझता हूं न किसी को कोई आपत्ति होगी और न कोई नुकसान होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

अगर आप उचित समझें तो नेता लोगों की एक मीटिंग बुला लें और उसमें इस पर विचार कर लें क्योंकि शायद किसी सेन्सरिंग आफिसर की हिम्मत न पड़ती हो कि वह कोई चीज जिसको सरकार न पसन्द करती हो जाने दे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी इस सदन तक ही कन्फाइन्ड नहीं है। अगर यह भ्रम किसी साथी को है तो वह दूर हो जाना चाहिए। आप भी जनता की तरफ से बोलते हैं, हम भी जनता की तरफ से बोलते हैं।

श्री राजब्रजराज सिंह (जिला खीरी)---

मैं केवल आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री से कहना चाहूंगा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। जो विचार हम यहां व्यक्त करते हैं उसमें अगर कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है तो उसके प्रकाशन को रोकना उचित नहीं है। अगर कोई चीज आपत्तिजनक है तो उसमें जितना आप उचित समझें उस पर अपनी कन्सेन्ट दे दें।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मैं माननीय सदस्य, हाटा का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह स्मृति दिलायी कि जिस पद पर मुझे बैठने की आज्ञा मेरे दल ने दी है, उस पद पर बहुत महान् व्यक्ति बैठ चुके हैं। मैं तो विरोधी दलों के सभी सदस्यों से और आपसे भी व्यक्तिगत रूप से यह आशीर्वाद मांगता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, मुझको अवसर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो मुझे अपनी लघुता का पूरा ज्ञान है और इस लघुता की सीमा के अन्दर ही मुझे प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक शक्ति का बल ही उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की शक्ति दे सकता है। तो मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे स्मृति दिलायी और इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से उनकी सद्भावना, उनका सहयोग मिलने और अगर कहीं कोई त्रुटि भी हो जाय तो उसके लिए पहले से ही सावधान करने की वह कृपा करेंगे, यह मुझे आशा है।

जहां तक इसका प्रश्न है, मैं अवश्य माननीय वरिष्ठ सदस्य बड़ेड़ी, जिला बरेली, का आभारी हूं, बहुत दिनों तक हम साथ रहे हैं, मैं उनके दुःख में स्वयं दुखी हूं। अगर वह चाहते तो आज यह आपात्कालीन स्थिति न आती। यह आपात्कालीन स्थिति का ही परिणाम है जिसकी वजह से जून के महीने के बाद सारे प्रदेश और देश में वह स्थिति हुई है। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि बजाय यह शिकायत करने के कि समाचार-पत्रों ने वह भाषण क्यों नहीं छापा, अगर अपनी शक्ति इसमें लगाएं कि वह आन्दोलन समाप्त हो तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति समाप्त हो जाएगी। इस समय असाधारण स्थिति है और देश में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा हुई है। सारे देश और प्रदेश में एक आन्दोलन भी चल रहा है। उस आन्दोलन की विचारधारा को अगर नेता विरोधी दल भी इस सदन के अन्दर प्रतिपादित करते हैं और ऐसा भाषण देते हैं जिसके बाहर प्रकाशित होने पर हमारे नियम और कानून टूटते हैं तो आप स्वयं सहमत होंगे अपने हृदय के अन्दर कि ऐसा प्रकाशन करना या उसकी अनुज्ञा देना, सम्भवत : ये जो समाचार-पत्र हैं, और जो नियम उनके अपने बने हुए हैं, असाधारण परिस्थिति में, शायद उनके लिए सम्भव नहीं था। यहां किसी पत्र विशेष को कोई आज्ञा देने का प्रश्न नहीं उठता। जो भाषण दिया गया, उसके औचित्य में मैं नहीं जाना चाहता। जब मुझे अवसर मिलेगा 27 तारीख को शाम को तब मैं चेष्टा करूंगा कि विनम्रता-पूर्वक उस पर कुछ कह सकूं। इस समय उसके तत्व, भाव या भाषा पर जाना मेरे लिए उचित नहीं है।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 194 का प्रश्न है, उसमें फ्रीडम आफ स्पीच की बात कही गयी है—वाक् स्वातंत्र्य की बात कही गयी है। वे कल बोले और बड़े शान्ति पूर्ण ढंग से उन्होंने भाषण दिया। जो कुछ भी उन्होंने कहा—बहुत कुछ ऐसी बातें कह दीं जो साधारणतया वे भी नहीं कह सकते थे, और यहां पर सुनने वाले भी उसे नहीं सुन सकते थे, लेकिन सब ने उसे शान्ति से और धैर्य से सुना। और जो कुछ भी उन्होंने कहा कल प्रोसीडिंग्स में भी शायद लिखी जाएगी। इस सदन की कार्यवाही में जरूर लिखी जाएगी और इस सदन की कार्यवाही जो लिखी जाएगी वह बाहर जाने पर सामान्य कानून जो और चीजों पर लागू होता है, वह उस पर भी लागू हो जाता है।

तो असाधारण परिस्थिति में, जब कि इमर्जेन्सी है, आपातकालीन स्थिति है, बाहर जो कानून लागू है उसे हमें मानना पड़ेगा। जो सदन के सदस्य होंगे या विरोधी पक्ष के सदस्य हैं उन सब को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 194 इस बात का अधिकार नहीं देता है कि फ्रीडम आफ स्पीच का मतलब यह है कि जो बात भी चाहें कहीं कही जाय और इमरजेंसी के दौरान वह बाहर छपे। कोई भी नहीं चाहता कि सेंशरशिप लागू की जाय, सेन्सरशिप कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जब असाधारण स्थिति हो उस समय सेन्सरशिप देश के लिये आवश्यक हो जाता है। आपने देखा है कि सब लोगों ने कल माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े गौर से सुना। यदि कोई चीज प्रतारणात्मक और दन्डात्मक कार्यवाही संविधान की सुरक्षा के लिए असाधारण परिस्थिति में की गयी है तो मेरा उनसे आग्रह है कि वे आदर और सद्भावना के रहते हुए अपने दिल में आदर करके उसे स्वीकार करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस बात के लिए आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में कोई सेन्सर नहीं किया जाएगा। कहा जाता ह कि कल जो बहस हुई वह अखबारों में नहीं आयी, तो मेरी गुजारिश है कि इसके लिए एक कमटी बैठा दी जाय जो यह तय कर दे कि इतनी बात बाहर जा सकती है और इतनी बात बाहर नहीं जाएगी। इमरजेन्सी की जिम्मेदारी तो इस देश को पूरी है। इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत सी बातों में मेरा उनसे मतभेद है लेंकिन पार्लियामेन्टरी डेमोक्रसी पार्लियामेन्ट में भी है और असेम्बली में भी है, इसलिए यहां वह चीज तय हो जानी चाहिए।

श्री नियाज हसन खां—

अध्यक्ष महोदय, फर्ज कीजिए—मुख्य मन्त्री जी की बात मान लें कि वे बोले और नहीं छपे। मैं पूछता हूं कि जब राज्यपाल महोदय यहां सदन में आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो तमाम विरोधी दल वाक आउट कर गया, तो यह भी नहीं छपा। उस समय तो अध्यक्ष महोदय, कोई बोला भी नहीं, शान्ति पूर्वक सब ने सदन का बायकाट किया। वहां बोलने का क्या सवाल था, वहां क्या स्पीच थी, वहां तो वातावरण बदल रहा था, यह भी तो नहीं छपा कि हमने वाक आउट किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह मालूम ही नहीं हो सका कि 'वाक आउट' था।

(व्यापक हंसी)

श्री रामूर्ति—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि इमरजेन्सी के मातहत यह सेन्सर किया गया है। मैं पढ़े देता हूं, सेक्शन के बारे म लिखा हुआ है :—

Article 194 of the constitution of India conferring special rights and privileges on the Houses of the Legislatures and their immunities, is a Completely independent article and is above any law of the State and is not bound or restricted by any other article of the Constitution.

इसके बावजूद हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सेन्सर लगा हुआ है गैर मुनासिब बातें कहीं गयीं हैं। गैर-मुनासिब बातों के साथ साथ हमने श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम भी तो लिया था तो कोई चीज तो छप जाने देते। चौधरी चरण सिंह बोले, क्या बोले। इतना वह बोले और हमारे दोस्तों की इतनी बड़ी स्पीच के अन्दर 4 सेन्टेंस भी पसन्द नहीं आए। कौन सी जबान में बोलें जो इन लोगों को पसन्द आए।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी बात सुनें।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, अभी निर्णय नहीं दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अभी निर्णय नहीं दे रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर हम यहां न बैठें, अपोजीशन यहां न बैठे तो—

हमीं जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल,
किसे देख कर आप शरमाइएगा।

(व्यापक हंसी)

हमने आपकी आलोचना किया है। प्रजातन्त्र में आलोचना को बर्दास्त करने की क्षमता होनी चाहिए। हम आपकी पालिसी की आलोचना करते हैं आप अखबार में जाने दीजिए। आप लोहिया वादी रहे हैं और लोहिया जी प्रजातन्त्र में विश्वास रखते थे। अब भी प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं। हम लोगों के भाषण कौन छापे। हमारे विचार आप न सुनें तो हम लोग चले जायं तो शायद अध्यक्ष जी, आपको अच्छा लगेगा? पूरे सेशन भर के लिए वाक आउट कर दें तो आपको अच्छा लगेगा? सदन सूना हो जाय, आप चाहें तो हम लोग कर दें। आप मजे से रहिए। हम लोगों के जाने का अहसास नहीं होता है। आप कहते हैं वाक आउट नहीं है। तब 31 मई तक न रहें तब आपकी कोई बहस नहीं होगी आपकी कोई आलोचना नहीं होगी। आप चाहते हों तो व्यक्त कीजिए अपनी भावनाओं को तो हम लोग वैसा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं कि यह बहस चले? (हंसी)।

यह जो प्रश्न माननीय राममूर्ति जी ने उठाया है, वह महत्वपूर्ण है। यदि इस सदन में बैठे हुए संविधान का 194 में जो प्राविधान है, उसका उल्लंघन हो तो निश्चय ही यह अच्छी स्थिति नहीं है बल्कि लज्जा की स्थिति है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या हम संविधान में दिए गए, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 194 का उल्लंघन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, तो मैं 194 पढ़े देता हूं:—

194—(1) इस संविधान के उपबन्धों के तथा विधान-मन्डल की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मन्डल में वाक स्व तन्त्रय होगा।

(2) राज्य के विधान-मन्डल में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में विधान-मन्डल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मन्डल के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, एतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।

(3) अन्य बातों में राज्य के विधान-मन्डल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान-मन्डल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी. जैसी वह विधान-मन्डल समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेन्ट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मन्डल के किसी सदन अथवा उसकी किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में खंड (1), (2) और (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मन्डल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

तो यह संविधान की अपेक्षा है और जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है आप सभी सहमत होंगे कि यहां पूर्ण वाक्-स्वातन्त्र्य है। हमने वाक्-स्वातन्त्र्य को प्रतिबन्धित नहीं किया है और न करेंगे। लोकतन्त्र की इस इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी।

अब प्रश्न यह है कि समाचार-पत्र ने छापा है कि नहीं या कैसे छापा है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहां माननीय सदस्यों का बैठना और उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए जो प्रासंगिक बातें उठीं उसमें यह है कि जब तक कोई यह कह कर नहीं जाता है कि मैं सदन त्याग करता हूं, धीमे से कहें या शिष्टता से कहें, तब तक संवैधानिक पद्धति में नहीं माना जाता कि सदन त्याग हुआ। हमारी उपस्थिति की अनिवार्यता अपेक्षणीय नहीं है इस दृष्टि से। लेकिन कभी-कभी जैसे श्री वर्मा जी ने कहा उस दिन श्री प्रभु नारायण जी ने कहा कि वाक आउट किया और उस समय मैं हंसा कि क्यों वाक आउट कहा? मैंने यह इसलिए कहा कि बिना कहे आप कई दफे चले गए हैं और जैसा आपने कहा वैसा मैं मानता हूं। आपने जब शिष्टता और सौजन्यता का परिचय दिया तो उसके हम हिमायती रहे हैं। इसलिए अभी मुझे जानकारी नहीं है कि किस चीज को समाचार-पत्र ने स्वयं छापा है और कि चीज को छापा है या नहीं किसी दबाव में। सेन्सर का कौन अंश किस पर लागू होगा और किस पर नहीं, इसका मुझे अभी पता नहीं है। इसलिए मैं अपने को इस स्थिति में नहीं पाता कि इस पर व्यवस्था दूं। जो मुख्य मन्त्री जी ने बात कही कि दिल्ली का शासन और जो केन्द्रीय शासन तथा जो पार्लियामेंन्ट है, उसका जो अधिनियम है हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। यह हमारा कर्तव्य है। ऐसी संविधान की अपेक्षा है। इन बातों को देखते हुए मैं इस पर व्यवस्था बाद में दूंगा। इस बीच एक सुझाव माननीय गर्ग जी का जो आया है वह अच्छा है। जब कोई सदस्य हमारी सहायता करता है और सहायता का रूप यह होता है कि बुला कर बात कर लें। तो वह आमतौर से मान्य होती है, क्योंकि उससे बातें साफ हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि बाद में इस पर पूरी जानकारी कर कार्यवाही का अंश कितना और कैसे छपे इस पर आपस में बातचीत करके तय कर लिया जायेगा। आपात्कालीन स्थिति है, उसका आकलन न करते हुए कि किस तरह से होना चाहिए। प्रजातन्त्र इस देश में चलाना है इसलिए इसमें सहमति का क्षेत्र सहायक हो सकता है। कुछ बातें राष्ट्रीय हित की होती हैं। इसलिए दलों की सहमति हो तो अच्छा है। मैं बाद में इस पर बैठक करके अपनी व्यवस्था दूंगा।

1975–76 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1975–76 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा और मांगों पर मतदान होगा।

सामान्य चर्चा कब तक चलेगी? मुख्य मन्त्री जी यह तय हो जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

3 बजे तक हो जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

तीन बजे तक का समय कम होगा। ग्रान्ट तो अलग-अलग लेकर पास हो ही जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

अगर चाहें तो 4 बजे तक रख दें।

श्री ऊदल—

मैं यही कह रहा था। 4 बजे तक सामान्य चर्चा चलने दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हम तो आपकी राय मानते आए हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसके बाद वोट हो जाय। वोट तो मैं आधे घंटे में भी ले सकता हूं लेकिन मांगें क्रमशः रखी जायेंगी, इसलिए एक घंटा रखा।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत हुए हैं यह सम्पूर्ण बजट जो कि 1975-76 के लिए 1091 करोड़ रुपए का निर्धारित था, उसके बाद प्रस्तुत हुए हैं। यह अनुपूरक अनुदान 4 अरब 24 करोड़ रुपए से अधिक के हैं। इसका मतलब यह है कि बजट का आधा भाग यह हमसे अनुपूरक अनुदान के रूप में ले रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। लोक लेखा समिति ने जो बार-बार कहा है, वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि समिति ने पूर्व प्रतिवेदनों में यह संस्तुत करती रही है कि बजट बनाते समय वास्तविक अनुमान लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। समिति अवास्तविक बजट बनाने की प्रणाली को चिन्ता की दृष्टि से देखती है तथा पुनः संस्तुत करती है कि शासन के समस्त विभाग इस ओर ध्यान दें, और वित्तीय विभाग अपना परिचय सक्रिय कार्यवाही करके देगा। इस प्रकार लोक लेखा समिति ने बार-बार कहा है, लेकिन फिर भी बजट पूरे अनुमानों के साथ नहीं बनाया गया। इसी कारण इतनी बड़ी मात्रा में अनुपूरक अनुदान हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और यह चाहते हैं कि इस पर एक दिन में चर्चा करके हम इसको पासकर दें। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग और मुख्य मन्त्री जी स्वयं इस बात को महसूस करें।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस 20 सूत्री कार्यक्रम की आप चर्चा करते हैं, उसके निमित्त अगर यह धन खर्च किया गया होता या उसके लिए ग्रान्ट ले रहे होते तो खुशी की बात होती। हर व्यक्ति जानता है कि अगर 20 सूत्री कार्य-क्रम को प्रामाणिकता से लागू किया जाय तो वास्तव में जनता का बहुत भला हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस इमरजेन्सी के दौरान में भी शासन में उन सूझबूझों का परिचय नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। मैं यह बताना चाहता हूं कि बरेली की नगरपालिका जिसको सुपरसीड करने के लिए जज साहब ने भी लिखा था, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस नगरपालिका को क्यों नहीं सुपरसीड किया गया, और उसका फैसला अभी तक क्यों पूरा नहीं किया गया? मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय कोई दूसरी बात थी। क्या इमरजेन्सी आप लोगों के लिए नहीं थी और आप जो चाहें वह कर लें दूसरा नहीं कर सकता है? उस समय माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी इसके मन्त्री थे और उन्हीं के साथी वहां चेयरमैन थे। मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरी गति तो सांप छछूंदर की सी है। अगर इसमें भी गुटबन्दी के कारण उन्हीं आदमियों को रखा जा सकता है जिसको आप चाहें तो क्या आपातकालीन स्थिति यही है? हम लोगों के साथ तो यह है कि घर से बुलाकर जेल में भेज दिया और दूसरे स्थान पर इसी प्रकार की धांधले बाजी चलती रहे। अगर यही बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मन्त्री जी उस समय के गन्ना मन्त्री थे। उस समय उन्हीं ने यह आश्वासन दिया था कि हर एक मिलों के काश्तकारों को गन्ने के पूरे दाम दिलवाये जायेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भी एच0 आर0 शुगर फैक्टरी पर लाखों रुपये किसानों के गन्ने के बकाए पड़े हैं और मन्त्री जी उसके अभी तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं दिलवा पाए हैं। प्रदेश की जितनी चीनी मिलें हैं आमतौर से 10, 5 को छोड़ कर प्राय: सभी पर गन्ने का मूल्य बकाया प ा है। किसान हर प्रकार से प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन उनको उनका मूल्य अभी तक नहीं मिला है। गरीब किसान अपने खेतों का धन के अभाव में कोई इन्तजाम नहीं कर ा र हैं। अगर आपकी 4 रुपया मालगुजारी का बकाया है तो आप गरीब किसान पर कुर्की लाकर उसके हल बैल बिकवा कर उसको वसूल कर लेते हैं लेकिन काश्तकार का पैसा दिलाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरह से इमरजेन्सी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ? मैं यह नहीं कहता कि आप मिल मालिकों से मिले हैं।

दूसरी बात यह है कि एच0 आर0 शुगर फैक्टरी में वहां के कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फन्ड का 6 लाख रुपया बकाया पड़ा है और वह जमा नहीं किया गया है। कर्मचारियों का पैसा उनके अंश के रूप में काट तो लिया गया है परन्तु वह जमा नहीं किया गया। साथ ही जो शेयर मिलों का होना चाहिए, वह भी यूं ही पड़ा है। मान्यवर इमरजेन्सी हमारे लिए तो है कि हम जेल जायें, डी0 आई0 आर0 में जाएं और हमारी बेल को जज साहब भी मंजूर नहीं करते हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एस0 आर0 शुगर मिल्स के मालिकों को ऐन्टी-सिपेट्री बेल वहां जाने पर मिल गई और डी0 जी0 सी0 ने भी उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने एक भी बात नहीं कही। उनको यह बेल बिना एक पैसा जमा करवाए हुए ही मिल गई। आप यह कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने इस उदाहरण को रख रहा हूं और जानना चाहता हूं कि उसका क्या किया गया ? इस प्रकार से जो लाखों रुपया काश्तकारों का बकाया है उसको आप इस इमरजेन्सी के दौरान भी वसूल नहीं करवा पाये। इमरजेन्सी तो हमारे जैसे लोगों के लिये है कि हम बिस्तर पर पड़े हैं तो वहां से पकड़ कर ले गए। और वहां जा कर कह दिया कि ये नारे लगा रहे थे, लिहाजा जेल में बन्द कर दिया। हमको तो घर से रात में ले आते हैं, बिस्तर से उठा कर ले आते हैं और कहा जाता है कि हम मीटिंग कर रहे थे लेकिन इन पूंजीपतियों का क्या होगा जो इस तरह से धन इक्ट्ठा कर रहे हैं, कर्मचारियों तथा काश्तकारों का गला काट रहे हैं ?

एक बात यह कहनी है कि आप नसबन्दी का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। नसबन्दी क्या इस तरह होगी, जैसे आप करा रहे हैं, कि आदेश निकाल दिया कि हर सरकारी कर्मचारी को एक केस लाना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी चाहे लेखपाल हो, ग्राम सेवक हो, अध्यापक हो, सबके लिए अनिवार्य कर दिया है कि अगर वह एक केस नहीं लाएगा तो मार्च का वेतन बंद कर दिया जाएगा। वह घूमता फिरता है और 3–4 सौ रुपया खर्च करके एक केस घेर कर लाता है। पता नहीं कि वह जैनुइन भी होता है या नहीं, कागज में दर्ज हो जाना चाहिए। नौकरी बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। नसबन्दी जरूर होनी चाहिए, जनसंख्या जरूर कम होनी चाहिए, लकिन इसके लिए आप अनिवार्य कानून बना सकते हैं। बच्चे ज्यादा होंगे तो आप टैक्स लगा सकते हैं। सरकारी नौकरी में उसी को लिया जायगा जिसके बच्चे कम होंगे। आपने कानून बना भी रखा है कि जिसके दो बीबी होगी, वह सरकारी नौकरी में नहीं लिया जायगा। आप यह भी कानून बना सकते हैं कि जिसके तीन से ज्यादा बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी में नहीं लिया जायगा, लगान चार गुना कर दिया जायगा। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया और सरकारी कर्मचारी को एक आदमी को नसबन्दी के लिए ढूंढ़ने के लिए लगा दिया है। वह 300, 400 रुपए खर्च करके जाली नसबन्दी कराता फिरता है। क्या इससे वास्तव में जनसंख्या घटेगी ? नहीं घटेगी।

आपने किन परिस्थितियों में आपात्कालीन स्थिति लगाई ? मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आपात्कालीन स्थिति से बहुत सारे फायदे भी हुए। परन्तु यह आपका दृष्टिकोण है कि आज आप जैसा कानून बना रहे हैं, 20 वर्षों में क्यों नहीं बनाया गया ? यह आपके सोचने की बात है। आपात्कालीन स्थिति न होते हुए भी आप लागू कर सकते थे। आपने आज आपात्कालीन स्थिति लागू की क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। देश की सेवा होनी चाहिये। आपात्कालीन स्थिति लगा कर अगर

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

इस मुल्क का भला हो सकता है तो साल दो साल आप हमें जेल में डाल सकते हैं, लेकिन इस देश की गरीबी मिटनी चाहिये और इस देश के रहने वालों का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। यह हमारा कहना है। परन्तु जो आपत्कालीन स्थिति के दौरान आपने किया है उसे देखकर तो मेरा ख्याल है कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश का सिर लज्जा से नीचे हो जाएगा। श्रीमन्, आज पंच-सम्मेलन सब जगह हो रहे हैं। जगह-जगह पर उनसे कहा जा रहा है कि आप न्याय कीजिए। ठीक प्रकार से 20 सूत्री कार्य-क्रम लागू कीजिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भला इन पंच-सम्मेलनों से क्या असर जनता पर पड़ेगा। यह देखा जाता है कि आपके डी0 आई0 आर0 और मीसा के 99 प्रतिशत केस झूठे हैं, जिन्हें आपने बन्दी बनाया है। 25/26 को सत्य प्रकाश जी 11 बजे मीटिंग कर रहे थे, उनको आपने बन्द कर दिया, केस रजिस्टर हो गया। 6-7 की रात्रि मैं अपने विस्तर में था, पुलिस वाले आए और उठाकर ले गए। इस प्रकार झूठे मुकदमें चलाकर लोगों को आप बन्द कर देंगे और पंचों से आप यह उम्मीद करेंगे कि वह न्याय करेंगे तो यह कैसे हो सकता है? यह दोनों विरोधी बातें हुई।

मैंने जैसा कि पहले ही निवेदन कर दिया कि हमारे जेल जाने में यदि देश और प्रदेश का भला हो सकता है तो हम साल दो साल जेल में रह सकते हैं, परन्तु जो तरीका आपने अपनाया है उससे किसी भी प्रजातांत्रिक देश का सिर झुक जाता है। आप अन्य तरीके अपना सकते थे। मान्यवर, बरेली से एक "विश्व मानव" दैनिक पत्र निकलता है। उसने एक धृष्टता कर ली कि अपने एडिटोरियल में यह निकाल दिया कि बड़ा अच्छा हो यदि समझौते का वातावरण बन जाय और जो लोग जेल में है उनको छोड़कर देखा जाय कि क्या स्थिति रहती है। अगर वे लोग आगे गड़बड़ी करें तो आप फिर उन्हें बन्द कर सकते हैं। यह भी उसने लिखा। आगे उसने यह भी लिखा कि आप यह न समझें कि 20-सूत्री कार्य-क्रम का हम समर्थन करते हैं, इस भुलावे में हमें नहीं रहना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 3 दिन के अन्दर उसका जवाब तलब किया गया कि तुमने कैसे यह लिख दिया। क्या बड़ी बात उसने लिखी थी, कौन-सी परेशानी हो गयी थी?

इमरजेन्सी लागू कर दी। बहुत से लोग ऐसे थे जो देख रहे थे कि 20 सूत्री कार्यक्रम से इस प्रदेश का भला होगा। बैठकर सोचने और शान्ति से विचार करना चाहिए था कि इससे क्या नतीजा निकलने वाला है। लेकिन आपने मौका नहीं दिया लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने अपनी राय बना रखी थी, जो लोग यह देख रहे थे कि प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कर्य-क्रम को अमली जामा पहनने के बाद प्रदेश का भला हो रहा या नहीं, जो चुपचाप बैठे यह देख रहे थे उनको भी आपने जेल में डाल दिया और इस तरीके की एक फौज खड़ी कर दी जो कि आपकी नीति के विरुद्ध फिर से लड़ने को तैयार हो रही है। क्या खराब बात उसने लिखी थी? झूठे मुकदमें लगाकर आपने उनको बन्द कर दिया। मेरा कहना यह है कि यह कदम प्रजातान्त्रिक दृष्टि से सही नहीं उठाए गए। ऐसे लोग जो इस 20-सूत्री कार्य-क्रम को लागू करके यह देखना चाहते थे कि उससे देश की जनता का क्या भला हो रहा है, उनको भी आपने परेशान किया। वैसे आपका अधिकार है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस बात से आप सहमत होंगे कि मीसा और डी0 आई0 आर0 में जिन लोगों को बन्द किया है, और जो उपयुक्त हैं उनको 'बी' या सुपीरियर क्लास मिलना चाहिए। मैं इस ओर मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि 8 महीने से इसके अन्तर्गत ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको 'बी' क्लास मिलना चाहिए। किन्तु आज यह हो रहा है कि इन लोगों को इस जेल से उस जेल में ट्रान्सफर किया जा रहा है और वहां का डी0 एम0 कहता है कि हमारा मतलब नहीं है वहां के डी0 एम0 से लिखवाइए। 8-8 और 10-10 महीने हो गए उनको 'बी' क्लास नहीं मिला। कुछ नाम मैं बतला सकता हूं जैसे श्री शंभुकुमार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, श्री व्रजेश कुमार, प्रयाग विश्वविद्यालय, श्री हरिमोहन त्रिपाठी संगठन मन्त्री, प्रयाग विश्वविद्यालय, श्री राम किशोर, शोध छात्र, प्रयाग विश्वविद्यालय।

इनमें से किसी को भी आज तक सुपीरियर क्लास नहीं मिला जब कि वे सभी लोग इसके इन्टाइटिल हैं। श्रीगंगा भक्त सिंह, जो कैबिनेट स्तर के मन्त्री रह चुके हैं उनको पहले 'बी' क्लास, नहीं दिया वहां के डी0 एम0 से कहना पड़ा। और जगह भी 'बी' क्लास की दरख्वास्तें लगाई हुई हैं और उनको 5 महीने से ऊपर लग गए। बड़े-बड़े एडवोकेट और डाक्टर्स बुलन्दशहर और आगरा में नीचे के क्लास में बन्द पड़े हुए हैं जिनको कि 'बी' क्लास मिलना चाहिए था। जो नियम आपके अपने बनाये हुए हैं उसमें क्या आपने डी0 एम0 को अधिकार दे दिया है कि 'बी' क्लास न दो? यदि आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं तो फिर हमको भी आप सुपीरियर क्लास न दें हमको भी उसी में रखना चाहिये। सभी को साधारण बन्दियों की तरह ट्रीट करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर नियम है तो उसके अनुसार पालन होना चाहिए। मीसा के लिए भी गवर्नर साहब ने कहा है कि ऐसे लोगों को फेमिली पेंशन दी जाएगी वह अभी तक नहीं दी गई जिसके लिए रिट कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी जो हैं जेलों में जाकर देखें कि क्या परेशानियां हैं और कैसी-कैसी तकलीफें उनको दी जा रही हैं? अभी 18 तारीख को बरेली में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने लाठी चार्ज का इन्तजाम कर रखा था और 50 वार्डनों को लाठी लेकर बन्दियों को लाठी चार्ज करने का प्रबन्ध कर रखा था किसी प्रकार से श्री गंगा भक्त सिंह जी ने, जो वहां पर मौजूद थे, रुकवाया। वहां पर तीन दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की, दो दिन तो सभी लोगों ने खाना नहीं लिया, लेकिन डिपुटी सुपरिंटेंडेंट ने लिख दिया कि राशन लिया। तो इस तरह की कठिनाइयां सब जगह हो रही हैं। मैं बड़े दुख और दर्द के साथ मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इन राजनैतिक बन्दियों की तरफ ध्यान दें और उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि अभी तक का जो जेल मैनुअल है उसमें संशोधन नहीं हुआ है वह भी करें और राजनैतिक बन्दियों को अन्य बन्दियों की तरह ट्रीट न करें। अंग्रेजों के जमाने में आप भी तो शोर मचाते थे कि राजनैतिक बन्दियों के साथ साधारण बंदियों की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए। आखिर हम भी तो आपके राजनैतिक विरोधी ही हैं तो क्या राजनैतिक बन्दी नहीं हुए? इस बात का प्राविधान करें जिससे राजनैतिक बन्दी वह बन सकें। (व्यवधान) श्रीमन्, काशीनाथ जी दूसरी बात कर रहे हैं। मैं केवल राजनैतिक बन्दियों की बात कर रहा हूं। कोफेपोसा वालों की बात जो आप कर रहे हैं। उसकी भी बात बताता हूं। आपात्-कालीन स्थिति के समय एक मुरादाबाद के कोई कुलवंत सिंह हैं जो तस्कर हैं। और बरेली के एक हिम्मत सिंह हैं जो उनके समधी हैं तो उनके लिये आप बता सकते हैं कि कैसे छूट गए? उन्होंने बताया कि जब वह जेल में थे तो 50 हजार रुपए खर्च किए और दूसरे दिन छूट गए। इस तरह की अफवाहें हैं कि हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं। इसके लिये पैसे तय हो गए हैं। आपके कांग्रेस के लोग सांठ-गांठ करके यह कर रहे हैं। आपके आदमी एक अदमी को डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लेते हैं और वह छुड़ाने के लिये इधर-उधर भागा करता है। परमात्मा करे कि यह झूठ हो लेकिन मुझे जो उन्होंने कहा वह मैं कह रहा हूं। दो-तीन लोग ऐसे छूट भी गए हैं कोफेपोसा वाले यह मुझे मालूम हुआ।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, अब मैं भी अपनी बात बताना चाहता हूं, मुझे 9-10 दिन तक बहस करने के बाद जिला जज ने जमानत दे दी। जब झूठ नहीं चला तो जमानत दे दी, मुझ पर किसी ने मेहरबानी नहीं की। न होता तो मैं काशीनाथ मिश्र तक अपनी बात पहुंचाता, जितना रुपया कहते देता उनको और किसी तरह से छूटता, क्योंकि बात ही ऐसी थी। (व्यवधान) आप जानते हैं, श्रीमन्, कि अक्ल नाम की चीज किसी पन्सारी या डाक्टर की दूकान पर नहीं मिलती है, तो मैं वह चीज काशी नाथ मिश्र जी को लाकर कहां से दे दूं? मैं पैसे दे सकता हूं, कपड़े दे सकता हूं, लेकिन यह उन्हें नहीं दे सकता हूं। यह अपनी मजबूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

इनकी कमी का आपको आभास कैसे हो गया ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

(श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा व्यवधान करने पर) रहिमन बुरा न मानिए, जो गंवार कह जाए। इनको मिनिस्ट्री में मौका नहीं मिला, बड़ी कोशिश की तो अब यह यहां पर इस तरह से अपनी कारगुजारी दिखा रहे हैं कि शायद अब से मौका मिल जाए। कुछ अत्याचारों की ओर कल माननीय नेता विरोधी दल ने सदन का ध्यान दिलाया था। मैं भी जो घटनाएं मेरे सामने हुई हैं या जिनकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें रुद्रपुर और बिजनौर की घटनाएं हैं। रुद्रपुर हल्द्वानी में 3 लोगों की जिनमें से एक की टांग पहले से ही कटी हुई थी, टांगों को चीरकर कमर तक फैला दिया गया उन्हें कमर के सीध में ला दिया गया और उन पर पुलिस के दो दो सिपाही कूदे। जिससे उनके पखाने का मुकाम बहुत ज्यादा चिर गया और उनके बहुत सा खून बहता रहा, उनको बड़ी पीड़ा पहुंचाई गई। चाहें तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूं, बहरहाल मेरे पास नाम नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बाहर निकल पाऊंगा और यहां कह पाऊंगा। जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया और आपकी पुलिस ने उनको बुरी तरह से, मर्मांतिक पीड़ा पहुंचाते हुए पीटा और उन पर अमानुषिक अत्याचार किए। तो क्या आपके कोई ऐसे निर्देश थे ? या केवल वह आपकी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा करते थे, इसकी आप जांच कराएं। यदि यह सब आपकी मर्जी से ही हुआ तो मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि प्रदेश का शासन आपको चलाना है। इसी तरह से चला सकते हैं तो आपको बधाई, मुझे कुछ नहीं कहना है। जब तक आपकी मेजारिटी है आपकी सरकार रहेगी आप सरकार चलायेंगे और उसे मनमाने ढंग से चलाएं। यदि आपने आदेश नहीं दिए हैं तो ऐसे सब मामलों की जांच करायें और ऐसे लोगों को दन्ड दें, जिन्होंने बिना आपके निर्देश, अनुमति और इच्छा के ऐसे घृणित कार्य किए हैं और लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाई।

श्रीमन्, यहां पुराना प्रशासन बदल गया है। राष्ट्रपति शासन भी यहां लागू हुआ। उसके बाद माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री बने। वह कभी अपोजीशन में यहां इधर लाल टोपी लगाकर बैठा करते थे और मैं समझता हूं कि इस नाते से अपोजीशन के बहुत से लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं और वह भी सबसे मित्रवत् व्यवहार करते हैं। मैं यह चाहता हूं कि हम सब जैसी उनसे अपेक्षा करते हैं और जैसा उनके बारे में हमारा मत है वह भ्रांति सिद्ध न हो। वह इस प्रदेश को नई दिशा दें, नये प्रकार का यहां पर कार्य करें। हमारी बातों को हंसी में न उड़ाएं जैसे और लोग उड़ा दिया करते थे। कल भी माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि आप लोग पर्चे फेंका करते थे। माननीय काशीनाथ जी जैसे लोग जो आपस में बैठकर जोर-जोर से बात करते हैं, इसको माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने नोट किया। यह जो बात करके विघ्न उत्पन्न करना यह कहां की डिमोक्रेसी है। आप अपने आप बैठकर सदन में शोर करते हैं ? एक दूसरे से बात करते हैं 4-6 मिनिस्टरों से मिल कर।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, इससे बजट से क्या वास्ता है ? बजट पर बोलिये आप।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन् अगर उल्टी उल्टी बातें कह कर सदन को गुमराह करेंगे यह मुझे काशीनाथ जी से उम्मीद नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मने विरोधी पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों का भाषण सुना। जब सप्लीमेन्टरी बजट पेश किया जा रहा था तो हम लोग यह उम्मीद करते थे

कि उनका सारा भाषण सप्लीमेन्टरी के बारे में होगा। क्यों पैसा खर्च कर दिया गया, काहे के लिए आवश्यकता थी, क्यों सप्लीमेन्टरी की आवश्यकता पड़ती है, कहां अनियमिततायें हैं, इन बातों के बारे में उधर से टीका टिप्पणी होनी चाहिए थी। मान्यवर, उन्होंने किन्हीं बातों का जहां तक सप्लीमेन्टरी की बात है एक बात को छोड़कर कोई बात जहां तक बजट का सम्बन्ध है, नहीं की, बिलकुल इधर-उधर की बातें करते रहे और मैं समझता हूं उसमें कोई समझदारी का कार्य नहीं किया। मान्यवर, बहुत से मौके आयेंगे इस सदन में बहुत से मौके होते हैं बाहर भी जहां तक जनता का सवाल है, राजनतिक लोगों के लिए बातें कहने का बहुत सी बातों के लिए यह जो सदन होता है केवल उन्हीं बातों के लिए है जिससे यह चर्चा चलती है। इन्होंने कहा कि बजट का आधा भाग सप्लीमेन्टरी में लिया जा रहा है। मान्यवर, वह गहराई में नहीं गए। 424.43 करोड़ जो रुपया है उसका आधा बजट आप सप्लीमेन्टरी में लिए हैं। मान्यवर, जहां तक इस पैसे का सम्बन्ध है वह जो एमाउन्ट है इसमें दो तरह का इक्सपेंडीचर है? प्लान एक्सपेन्डीचर का 93.3 करोड़ के करीब है। नान-प्लान एक्सपेन्डीचर का 351 करोड़ के करीब है। इसमें मान्यवर, 285.58 करोड़ रुपए में से 168.84 करोड़ रुपए वोटेड का है। इसके बाद 248.84 करोड़ रुपए गवर्नमेन्ट को इसी सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा लोन के रूप में जिन-जिन लोगों ने या संस्थाओं ने या सरकार ने लिया है इस प्रकार से दिया जायगा और उस तरीके से 10 करोड़ जो एलेक्ट्रिसिटी हेड में है दिया जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर यह पूरी तरह से सोचते तो इन तमाम बातों को कहने की आवश्यकता न पड़ती और उनको यह महसूस करना पड़ता कि जो कुछ लिया गया है यह बहुत बड़ी रकम है लेकिन उनको ज्ञान होता कि यह ठीक रकम है।

मान्यवर, इमरजेन्सी की बात कही गयी, लोकतन्त्र की बात कही गयी, डी0 आई0 आर0 की बात कही गयी और मीसा की बात कही गयी। किन परिस्थितियों में यहां पर इमरजेन्सी लागू की गयी इसको प्रदेश जानता है, इसको देश जानता है और दुनिया जानती है। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको यह बात बुरी लगती है। लेकिन दुनिया का इतिहास बतलाता है कि जब डेमोक्रेसी खतरे में होती है, देश खतरे में होता है तो उस समय सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। जो कुछ किया गया है वह ठीक किया गया है। हां ऐसा चाहिए था। जो निर्णय लिया गया है वह ठीक निर्णय लिया गया है। मीसा और डी0 आई0 आर0 का जिक्र किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जेलों में जो सहूलियतें राजनैतिक लोंगों को दी गयी हैं, जहां तक मेरी जानकारी है गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के नियम हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के नियम हैं, और उन्हीं के आधार पर जो राजनैतिक लोंगों को रियायतें दी जा सकती हैं, उसी के अनुसार काम किया गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी सौभाग्य से वित्त मन्त्री भी हैं और वहां की इकोनामी को अच्छी तरह से जानते हैं जहां तक पैसा देने का सवाल है तो जहां तक मैं समझता हूं कि अगर मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री एक ही हैं तो प्रदेश की स्थिति अच्छी होंगी और जो गड़बड़ियां दिखायी देती हैं वह पूरी तरह से सुधर सकेंगी।

अब मैं एक सुझाव मान्यवर, देना चाहता हूं। मान्यवर देश में बहुत सी गन्ना मिलें हैं। उत्तर प्रदेश की मिलों पर कई सालों का पैसा किसानों का पड़ा हुआ है। जो पैसा किसानों का गन्ने की दर बढ़ाने से मिलना है वह भी नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। यह सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती भी है। किसानों का पैसा बिना सूद के पड़ा हुआ है जो किसानों के लिए अहितकर है। उसके भुगतान की कोई तरकीब निकाली जानी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना से पांचवीं योजना तक इस प्रदेश की इकोनामों को ठीक करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट लगाए गए। जो 10 वर्ष में प्रीजेक्ट बनता है अगर वह 15 साल में बनता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उसकी युटिलिटी कम हो जाती है। इससे देश को हानि होती है। 20-सूत्री कार्य-क्रम भी ठीक है और हमारी पंच-वर्षीय योजनायें भी ठीक है, प्रगति

[श्री धर्म सिंह]

अवश्य होगी लेकिन हमारे जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें समय लगता है, और उनकी जो युटिलिटी होती है, उनका जो रिटर्न हमें मिलना चाहिए वह बड़ी देर में प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, चूंकि हमारा बजट एक वर्ष का होता है और हम लोग विधान मन्डल में 5 वर्ष के लिए आते हैं, टैक्सेशन में भी दिक्कत होती है तो हमारी योजनायें 6 महीने या 1 वर्ष की होनी चाहिए। माननीय स्व0 लाल बहादुर शास्त्री ने एक विचार किया था कि हमारी योजनायें इस प्रकार की हों कि जिनका रिटर्न हमें 6 महीनें में एक वर्ष में या अधिकाधिक एक वर्ष से 1-2 महीने ऊपर तक में मिलना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्टस में बहुत समय लग जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरे एम0एल0 एज0 की फैसिलिटीज का सम्बन्ध है हालांकि इनसे उसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन चूंकि बजट से है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ सहूलियतें उनको दी गई हैं अगर देखा जाय तो जितना खर्च होना चाहिए उनसे ड्योढ़ा खर्चा उन पर हो रहा है और उन्हें कोई फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। सरकार को चाहियें कि वह देखे कि कहां पर गड़बड़ है। हम लोगों को बाहर जाने के लिए 10 हजार किलोमीटर की सहूलियत मिली हुई है। तो अगर कोई माननीय सदस्य अपने परिवार के साथ दिल्ली जाना चाहता है तो जब तक वह बाहर के टिकट नहीं लेता है, अपने परिवार को साथ में नहीं ले जा सकता है, इसी प्रकार अगर एक सदस्य हरदोई, शाहजहांपुर या बरेली अपने परिवार के साथ जाता है तो उसे दिल्ली का टिकट लेना पड़ता है चाहे वह कहीं भी उतर जाय। तो जो बहुत बड़ी रकम प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार को देनी पड़ती है वह बचे। तो सरकार ने जानबूझकर जो निर्णय लिया है, उससे फिजूल खर्ची भी ज्यादा है, और सहूलियतें जो मिली हैं, उनसे उनको फायदा भी नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार इन बातों पर विचार कर लेगी।

जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है, एमर्जेन्सी का जमाना है इसमें दो रायें नहीं हैं किन्हीं मदों में फिजूलखर्ची होती है, एकोनोमी नहीं होती है तो उस पर भी सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। गत 10–12 वर्षों में प्रदेश में एकोनामी करने के बारे में, फिजूलखर्ची को रोकने के बारें में बहुत सी कमेटियां बनी हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार उन रिपोर्टो को देखें और अगर कहीं पर फिजूलखर्ची हो रही है उसे रोके।

अन्त में मैं टी0 ए0 और डी0 ए0 पर, जो सरकारी आदमियों पर खर्च होता है, आता हूं। सरकार उस पर बड़ी माइन्युटली निगाह रखे। आज बजट का 75 प्रतिशत रुपया सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों पर खर्च करना पड़ रह है। केवल 25 प्रतिशत रुपया ही बच पाता है तो इस रुपए में से कहां सड़कें बनेंगी, कहां से पुल बनेंगे, कहां से अस्पताल बनेंगे, किस प्रकार से एजुकेशन की प्रगति होंगी? तो सरकार को टी0 ए0 और डी0 ए0 के सम्बन्ध में इस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए कि अगर कोई एकोनामी की जा सकती है और काम का भी हर्ज न हो, तो करनी चाहिए। आज पैट्रोल बहुत मंहगा है। जब हम लोग यह देखते हैं कि हजरतगंज में एक नहीं कितनी ही जीपें सुबह से शाम तक घूमती हैं तो जैसा मैंने निवेदन किया कि काम का भी हर्ज नहों होना चाहिये लेकिन उस पर कन्ट्रोल हो। बातें छोटी-छोटी हैं लेकिन जैसा मैंने कहा एक-एक बूंद से समुद्र भरता है और एक-एक बूंद से समुद्र खाली होता है, तो जो बजट को एफेक्ट करता हो एकोनामी के नाम पर, उसको पूरे तरीके से देखना चाहिए कि कहां पर कमी है।

इन चन्द शब्दों के साथ जो माननीय विरोधी दल के सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। और वह तो यहां बैठे ही नहीं, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, लिहाजा कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पर बहस चले और इसे जल्द से जल्द समाप्त हो जाना चाहिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, सप्लीमेंन्टरी बजट पर बहस करते हुए हमारे कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि विरोधी दल ने सप्लीमेंन्टरी बजट पर बातें न कर के इमरजेन्सी, मीसा और डी0 आई0 आर0 पर बातचीत ज्यादा की। मुझको शिकायत यह है कि सप्लीमेंन्टरी बजट पेश करते हुए इमरजेन्सी का असर इस सप्लीमेन्टरी बजट पर महसूस नहीं होता है। इमरजेन्सी की बात किए बगैर सप्लीमेन्टरी बजट कैसे पेश किया जा सकता है यह भी मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि इमरजेन्सी के बाद देश किस दिशा में जाएगा, प्रशासन में क्या तब्दीलियां जरूरी होगी सरकार किस बात पर पैसा खर्च करके देश को मजबूत करेगी, यह हमारे सामने आना चाहिए। हमारें विरोधी दल के लोग इमरजेन्सी का नाम-मात्र को समर्थन करते हैं लेकिन बुनियादी तौर से इमरजेन्सी लागू क्यों हुई, इसके बारे में अपनी राय नहीं दी । उत्तर प्रदेश की जनता की, इस सदन और इस सरकार की और विरोधी दल की जबरदस्त जिम्मेदारी है कि इस इमरजेन्सी के दौरान उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता अपना फर्ज कैसे निबाहेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका ध्यान में उस वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो नेता विरोधी दल ने इस सदन में कहा था। जब सदन चला था तो उन्होंने कहा था कि हम जिस सरकार को बैलट से नहीं बदल सके उसको बुलेट से बदलेंगे और वहां बुनियाद पड़ी थी इस देश में प्रजातन्त्र के हनन की और आज जब इमरजेन्सी लागू हुई तो अन्दर और बाहर के दुश्मन एक हो कर इस देश के प्रजातन्त्र को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बहुत उदार हैं वह। उन्होंने कहा कि हमको अगर दो वर्ष जेल में रख कर आप देश को मजबूत कर सकें तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। काश, यही रवैया देश के दुश्मनों के साथ भी होता तब शायद उनको यह शिकायत न होती कि नेता विरोधी दल के वक्तव्य चाहे सदन में हो या बाहर उनको छापा नहीं जाता। कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान एक गरीब देश है। इस देश में 60 करोड़ लोग रहते हैं जो दुनिया के तमाम गरीब देशों के साथ खड़े हैं, जो अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हैं, अपनी आजादी की सुरक्षा करना चाहते हैं और आज वही लोग जो चाहते हैं कि आधी के ज्यादा दुनियां के लोग गरीब रहे ताकि उनकी आशायश में फर्क न आए, हम पर टूट पड़े हैं। उन्होंने हमारे देश की आजादी के खिलाफ साजिश शुरू कर दी है। जब वह मानते हैं कि जो लोग इस लायक हैं उनको जेल में रखा जाय, तो वह विश्वास दिलायें कि जिनको जेल में रखा जा रहा है वह उन साजिशों में शरीक नहीं होंगे और उन साजिशों को तोड़ने में जनता को लगायेंगे। उस समय मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी दिशा होनी चाहिये वह इस देश की 95 प्रतिशत जनता को एक कर के देश की आजादी को बचाने की तरफ जनता को ले जाने वाली होनी चाहिए।

बजट में मिलता है कि प्रशासन में अधिकारियों को खर्चे करने के लिये ज्यादा छूट दी जाती है, अधिकारियों के जरिए ज्यादा खर्च किया जाता है। लेकिन जनता तक कितना रुपया पहुंचता है, कितनी सहायता मिलती है, बीस-सूत्री कार्य-क्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं, इसके बारे में न तो आपने कोई समझदारी पैदा की है और न न उस चेतना को पैदा करने जनता को खर्च बढ़ाया है। मैं बीस-सूत्री कार्य-क्रम के आधार पर आपके इस सप्लीमेंटरी बजट को समझना चाहता हूं कि क्या आप 20-सूत्री कार्य-क्रम के लिए जनता को एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं ? यदि हां, तो इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा कि क्या आज जो काश्तकार की हालत है वही हालत होनी चाहिये, यहां पर श्री वीरेन्द्र वर्मा जी जो कृषि मन्त्री हैं, उन्होंने तथा मैंने मिल कर इस सदन के कांग्रेस पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के 118 सदस्यों के दस्तखत कराए थे और माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने कांन्फ्रेंस में कहा था कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं चीनी मिलों का तो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ लेकिन माडर्नाइजेशन के नाम पर 60-70 करोड़ रुपए देने का वादा जरूर हुआ ? इससे किसानों में क्या जजबा पैदा हुआ ? किसान का गन्ना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

जो 16/17 रुपए क्विन्टल बिकता था, अब 6-7 रुपए क्विन्टल क्शर वालों के हाथ बिकने लगा। तौल में भी किसानों के साथ बड़ी लूट होती है। किसानों की रुई का दाम तो गिर गया, लेकिन कपड़े का दाम नहीं गिरा, जब कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश की 10 करोड़ जनता का संरक्षण करे। आप देश की आजादी के लिए, देश के जनतन्त्र को बचाने के लिए सब को एक जगह खड़ा करें।

आज पूंजीपतियों को कितनी छूट दी जाती है, उससे किसानों में गुस्सा पैदा होता है। आज गांवों की हालत क्या है, गांवों की सफाई करनी होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि शहरों की सफाई के लिए जो रास्ता अपनाया गया है वही वहां भी हो रहा है। मैं हरद्वार से आता हूं। मैंने देखा कि वहां झुग्गियों में जो रहने वाले हैं, उनकी झोपड़ियों पर निशान लगा दिए गए हैं ताकि बुलडोजर आकर उनको गिरा दें। फिर वे आपसे क्या उम्मीद करें? आपके जो सरकारी अधिकारी हैं, वे उनके लिए कुछ भी नहीं कर पायेंगे। आज भी जो जमीन के बंटवारे के नाम पर हरिजनों व अनुसूचित जाति वालों से लाखों रुपए रिश्वत के रूप में लेते हैं। आप जनता की कोई कमेटी नही बनाते और उस कमेटी को अधिकार नहीं देते और उसके बारे में उनसे सुपरविजन नहीं कराते, और पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, मैं नहीं जानता किस हद तक उन गरीब लोगों को लूटते हैं। मैं एक मिसाल दूं, वह सवाल उठा कि भूमि बांटी जाएगी तो माननीय कृषि मन्त्री ने केन्द्र से पत्र लिख कर भेजा कि मेरे पास सीलिंग में अधिक जमीन नहीं है लेकिन मैंने हरद्वार में देखा है कि उनका इतना बड़ा फार्म है कि वे घोड़े पर बैठ कर चक्कर लगाते हैं तब देख पाते हैं कि खेती कैसी हो रही है। जब हमारे 1500 लोगों ने वहां जाकर भूख हड़ताल की जिनमें 300 महिलायें भी थीं, तब पता चला कि जनरल शाहनवाज खां के पास 96 एकड़ भूमि सीलिंग से अधिक है जो भूमिहीनों में बांटी जाएगी। माननीय मुख्य मन्त्री के आश्वासन देने पर भूख हड़ताल स्थगित कर दी गयी। अगर केन्द्रीय कृषि मन्त्री की जमीन पर हदबन्दी लागू नहीं होग , तो 20-सूत्री कार्य-क्रम पर देश में और उत्तर प्रदेश में कैसे अमल हो सकेगा।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया कि वे प्रशासनिक तौर पर हदबन्दी कानून को लागू कराने को कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब जमीन बांटी जाएगी और 100 गज जमीन आप उसे मकान बनाने के लिए देंगे, तो कल क्या होगा? एक पत्थर का चार्ट लगा दिया जायगा हदबन्दी के उस पर और दूसरे दिन बच्चे उस पत्थर को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस तरह से जल्दी उसके पास पैसा होगा नहीं और मकान बनेगा नहीं। फिर 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आज उसके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है। अगर आप 100 गज जमीन देते हैं तो क्यों नहीं उस तरह से करते हैं जैसा कि पंजाब में मुख्य मन्त्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने और केरल में वहां की सरकार ने किया है। वहां पर मकान बनाकर दिए गए हैं। आप भी उनको मकान बनाकर दीजिए जिससे उनके सर पर छप्पर तो हो सके। अगर आप 2-3 बीघे जमीन मुश्किल से बांट भी देते हैं तो इस बात को कैसे आप कार्यान्वित करेंगे कि उसको बीज मिले, उसको बैल मिलें, खाद मिले। इन सबकी तरफ भी आपको देखना होगा।

इसके साथ-साथ इस सरकार का नजरिया मजदूरों के प्रति उपेक्षा का नजरिया है। शहरों के मजदूरों के बीच इतना असन्तोष पाया जाता है कि उसका पता आपको कानपुर में जाकर लगेगा। हम आज मजबूर हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों मजबूर हैं। उद्योगपतियों को आप अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाते। मीसा या डी0 आई0 आर0 हो सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कानपुर की बेरोजगारी को मिटाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है? क्या आप किसी सूरत से उद्योगपतियों से मजदूर के शोषण को बचा सकेंगे? क्य ले आफ और छंटनी के जो आपने कानून बनाए हैं उसको लागू करने के लिए प्रशासन को सख्त करेंगे? आपने मजदूरों के बीच कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे मजदूरों में विश्वास हो सके। अगर मजदूरों को विश्वास नहीं दिलायेंगे तो जो उम्मीदें उन्होंने लगायी

हैं, गरीब हरिजनों ने, अनुसूचित जन जाति के लोगों ने और गरीब मुसलमानों ने, उनकी उम्मीद अगर पूरी नहीं होगी तो वह गुस्से में बदल जायेंगी और फिर वही जो कल नारा था कि बैलेट के बजाय बुलेट के जरिए सरकार बदलेंगे वह फिर लगेगा और ये लोग दुश्मनों के हाथ में खेलेंगे और देश की आजादी को तोड़ेंगे। प्रजातन्त्र को तोड़ेंगे। बजट पर बातें करते हैं, पर हमें यह ख्याल रखना होगा कि आज के नौजवानों में असन्तोष और गुस्सा बढ़ रहा है। वह नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उसको इमरजेन्सी के जोर ने रोक दिया है। हम सोच रहे हैं कि संविधान में जो संशोधन होगा तो उनके मौलिक अधिकार क्या होंगे। मैं चाहता हूं कि सदन में गम्भीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस देश की आजादी की रक्षा के लिए अपने प्रशासन के तरीके में क्या परिवर्तन होना चाहिए। खास तौर से अपने देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, यह हमें सोचना चाहिए।

इस प्रदेश में, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त और यहां तक कि बहुत बड़े-बड़े देश के क्रान्तिकारी पैदा हुए हैं। आज देश एक मोड़ पर खड़ा हुआ है। सारी दुनियां समाजवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ देख रही है। सारी दुनियां हिन्दुस्तान की तरफ देख रही है। आपने देखा कि जिस वक्त हिन्दुस्तान ने अंगोला के क्रान्तिकारियों का समर्थन किया और मान्यता दी, उसके बाद अंगोला को रिकगनिशन यूरोप के बहुत से देशों ने दिया। लोग यहां पर आए हैं और अपने सही तरीके से छोड़ा है, लेकिन उनको आस्था नहीं है कि उनका इस देश के भविष्य में कोई रोल है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से हिन्दुस्तान का दिमागी तौर पर बंटवारा करना है हमको चाहिए कि देश की एकता को बनायें जिससे तमाम दुश्मन, चाहे वह देश के बाहर या देश के अन्दर हों, उनके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने और देश की तरक्की हो सके।

इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने कांग्रेस के दोस्तों से अपील करूंगा कि वह 20-सूत्री कार्य क्रम के अन्तर्गत गरीब जनता के प्रति अपने रुख को बदलें। उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां की हैं। निगार अहमद शेरवानी साहब बहुत बड़े जमींदार थे। लेकिन जब वह अध्यक्ष बने, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने जमींदारी एबोलीशन के लिए प्रस्ताव रखा था। इसी तरह कांग्रेस के बहुत से लोग खाते पीते किसान हैं लेकिन जब 20-सूत्री कार्य-क्रम का हदबन्दी का कानून लाये हैं तो उसमें आगे बढ़कर हरिजनों को साथ लेकर, मजदूरों को नया रास्ता देकर एक मिसाल उनको कायम करना चाहिए। तो मैं पार्टी की तरफ के विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश को विशाल बनाने के लिए जो भी कदम आप उठायेंगे हम उनसे कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ देंगे और विरोधी दल से कहूंगा कि जो वह बुलेट और डाइनामाइट की तरफ बढ़ रहे हैं उसको छोड़कर इस तरफ बढ़ें तो अच्छा होगा।

*श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मन्त्री जी ने अनुपूरक बजट रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथी ने बड़े तेजस्वी शब्दों में जो बातें रखीं उनमें बहुत सी बातों से मैं भी सहमत हूं। जहां तक इस बजट का सवाल है मैं कहूंगा कि कोई भी बजट जो संतुलित रहता है, वह बजट देश और प्रदेश को एक दिशा देता है और जो बजट असंतुलित होता है उससे देश और प्रदेश को बड़ा नुकसान होता है। आज जो बजट पेश हुआ है मुख्यत : हमारे मुख्य मन्त्री जी भी कहा करते हैं कि इस बजट में ऐसा है कि इस प्रदेश के विकास के लिए बिजली और सिंचाई पर अधिक के अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। बिजली और सिंचाई तो कृषि जीवन के अंग हैं लेकिन मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चूंकि इस सदन में बहुत बार चर्चायें हुईं और गर्ग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नारायण पाण्डेय]

साहब ने भी कहा कि बजट का जो पैसा सरकारी अधिकारियों के माध्यम से खर्च होता है, मेरे विभाग में आज तक यही बात आयी कि सिंचाई विभाग में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, कितना ज्यादा जनता का पैसा यह सरकारी अधिकारी खा जाते हैं। किसी भी इन्जीनियर या ओवरसियर के घर चले जाएं तो ऐसा नहीं पायेंगे कि वह 500 रुपए या एक हजार पाने वाला कर्मचारी है। उसकी शान-शौकत किसी केन्द्रीय मन्त्री या किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट से कम नहीं होती है। आखिर यह पैसा कहां से आता है? इसलिए सरकार को इसकी हिफाजत करनी है कि जनता का पैसा जनता की चीजों में खर्च हो।

मैं अब मान्यवर, कहना चाहता हू कि 20-सूत्री कार्य-क्रम के बारे में जो गर्ग साहब ने कहा और मैं भी कुछ कहना चाहता हूं कि आज श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो 20-सूत्री कार्य-क्रम दिया है तो उनकी नीयत अच्छी है लेकिन एक श्रीमती इन्दिरा गांधी अकेले इस देश में क्या कर सकती हैं? यदि हर स्तर पर, हर जिले में और हर विधायक अपने कर्तव्यों में चुस्त नहीं है, यदि चौकीदारी ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है, हरिजनों के साथ क्या हो रहा है। मैं साफ-साफ बताना चाहता हूं कि गांवों में नसबन्दी कराई जा रही है लेकिन विरोध पक्ष के लोग गांवों में जाकर इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सरकार सब की नसबन्दी करा रही है। वह भोली-भाली जनता को बहकाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस देश की आबादी बढ़ रही है, दुनिया की आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से विकास हो रहा है, उसका संतुलन नहीं है।

चूंकि यह गरीब देश है और आजादी से लेकर आज तक केन्द्रीय सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ किया लेकिन जैसे आबादी बढ़ रही है मैं उसका उदाहरण मान्यवर, आपको देना चाहता हूं कि——एक हमने पुस्तक पढ़ी उसमें पाया कि आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसी से मालूम हो जाएगा कि जहां 1850 में इस दुनिया में केवल चार ऐसे नगर थे जिनकी आबादी दस लाख या दस लाख के ऊपर थी वहां 1960 तक दुनिया में 147 ऐसे नगर हो गए जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो गई। दुनिया की आबादी और इस देश और प्रदेश की आबादी इस तरह से बढ़ी है कि वह हमारी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को चुनौती दे रही है। आने वाले दिनों में जैसा कि प्रधान मन्त्री जी कहा करती हैं कड़ा अनुशासन और मेहनत ही देश और प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। अगर हम देश और प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। मैं अपने बिरोधी भाइयों से कहना चाहूंगा कि जहां वह नसबन्दी के विरोध में प्रचार करते हैं तो जनता को यह भी बतलायें कि किस तरह से देश और प्रदेश की आबादी बढ़ रही है और 50 साल बाद ऐसी चुनौती हो जायेगी कि इन्सान-इन्सान को खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। जमीन बढ़ नहीं सकतीं, और चीजें बढ़ नहीं सकतीं। अगर इस बढ़ती हुई आबादी को कन्ट्रोल नहीं किया तो देश और प्रदेश में बेहतरी आने वाली नहीं है। मैं अपने विरोध पक्ष के भाइयों से कहना चाहूंगा कि लोकतन्त्र में विरोध पक्ष का बहुत बड़ा स्थान है। उसी से प्रजातन्त्र प्रणाली फलती-फूलती है। विरोध पक्ष इसलिए नहीं है कि वह जनता को मिसगाइड करे। मैंने विधान सभा में नहीं देखा कि अगर इन्दिरा जी, या यह सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी उन्होंने सराहना की हो। हो सकता है, कुछ गलत काम भी हो जाय, लेकिन जो अच्छा काम है, उसके लिए तो आप कहें। जो गलती है उसके लिए कहें तो उसको भी सुधारा जा सकता है। लेकिन उनका केवल यह कर्तव्य नहीं है कि वह देश की जनता और नवयुवकों को गुमराह करें।

मान्यवर, जब बजट के बारे में किसी से बात चलती है तो हमारे केन्द्रीय नेताओं, प्रदेश के नेताओं और सरकार का भी यह रवैया रहा कि इस प्रदेश में सड़क न बनें। जो पहले सेन्टर में प्लानिंग मिनिस्टर थे उनका कहना था कि सड़कें अनइकनोमिक होती हैं। मैं

आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन गांवों में, ब्लाक्स में सड़कें पहुंच गयीं, वहां का स्वत: डेवलपमेंट हो गया। इसलिए सड़कें अनइकानामिक नहीं होती। जहां सिंचाई और बिजली पर सरकार काफी धन व्यय कर रही है तो वहां सड़कें भी बननी चाहिए। मान्यवर, जैसा कि गर्ग साहब ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बाबत कही तो मैं उनका समर्थन करता हूं। और यह मांग करता हूं कि देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। बगैर इसके हम गरीब आदमियों को रोजी-रोटी नहीं दे सकते। अभी मैंने अखबारों में पढ़ा कि कुछ जगह सहकारिता के आधार पर मिल लगाने की बात कही जा रही है। मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से कहूंगा कि किसी पालिटिकल प्रेसर में आकर चीनी मिल न लगायें। वहां यह देखना पड़ेगा कि कितना गन्ना पैदा होता है और कितना गन्ना सूख जाता है। अगर यह सब न देखा गया तो आपका करोड़ों रुपया व्यय होगा और मिल भी घाटे पर चलेगी। मैंने कहा था कि गोंडा जिले में मेजापुर के पास मिल लगनी चाहिए। वहां पर हालत यह है कि गन्ना सूख जाता है या खेत में खड़ा रह जाता है। मैं इस सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों के उत्पादन के जो दाम गिर रहे हैं और पूंजीपतियों के दाम बढ़ रहे हैं यह असन्तुलन भी समाप्त किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। साथ ही यह भी कहूंगा कि जो बड़े-बड़े भू-स्वामी हैं वे चाहे एम0 एल0 एज0 हों या एम0 पी0 हों या अन्य कोई उनसे अतिरिक्त भूमि ली जाए और इसके लिए सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया।

*श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं इस अनुपूरक बजट का, जो माननीय मन्त्री जी ने रखा है विरोध प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश और प्रदेश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, कि बजट का बहुत महत्व होता है। केवल पास करवा लेने से काम नहीं चल सकता है। हमको यह भी देखना चाहिए कि उस बजट का सही इस्तेमाल भी होता है या नहीं ? कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता है। बजट पास होने के बाद उसके पैसे का अधिकारी लोग किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं जिससे पूरा लाभ हमको नहीं मिल पाता है। इन्दिरा जी ने 20 सूत्री कार्य-क्रम चलाया है जो एक बढ़िया चीज है। हम लोग भी पिछले 10, 12 सालों से बराबर असेम्बली में कहते रहे हैं कि यह काम होना चाहिये। आज वे ही चीजें 20 सूत्री कार्य-क्रम के रूप में हमारे सामने रखी गई हैं। लेकिन मैंने 8 महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आकर देखा कि वह सारी चीजें खाली कागज पर ही रह गई हैं। कहीं पर भी उसका मूर्त रूप नहीं दिखलाई दिया। कल ही माननीय कृषि मन्त्री जी कह रहे थे कि उनके विभाग के कर्मचारी ने भ्रष्ट तरीको को अपनाया। उन पर जो रकम बकाया है उसको उनके डाइरेक्टर ने वसूला और उसकी पंजिका में यह दर्ज कर दिया गया। यह सरकार तो स्वयं भ्रष्ट कर्मचारियों को प्रोत्साहन देती है। यह खुद उसको बढ़ावा देती है। चार साल के बाद तो वह कर्मचारी पकड़ा गया और रुपया वसूल करने के लिए डाइरेक्टर ने आदेश दे दिया और पंजिका में लिख दिया। मन्त्री जी ने स्वयं यह महसूस किया कि उसको बहुत कम सजा दी गई है। वे सख्त से सख्त कानून हमारे सामने ला सकते हैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा देने के लिए। उसके विरुद्ध 409 का मुकदमा कायम किया जा सकता है लेकिन कठोर दन्ड नहीं दिया जाता है। जांच पड़ताल के बाद वह निकला भी तो पंजिका में इन्ट्री कर दी गई और रुपया जमा कर दिया गया।

मैंने यह आवाज उठाई थी कि हमारे यहां गोरखपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारी बीसों लाख रुपया मिल कर खा रहे हैं। फर्जी स्कूलों के नाम में अनुदान बंट रहे हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

लेकिन स्कूल वहां नहीं है। मन्त्री जी से मैंने कहा कि छापा मार कर मौके पर देख लें तो जगह पर वे चीजें नहीं मिलेंगी। इससे उनका नाम होगा, पूरे सूबे में लोग डर जायेंगे। अब वह सुझाव नहीं है तो क्या है? लेकिन सोये हुए को तो कोई जगा सकता है लेकिन जो जाग रहा हो उसे कैसे जगाया जा सकता है। बड़ा शोर मचा लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आपकी कुर्सी से हुक्म होने पर चार अधिकारी मुअत्तल हुए, लेकिन बाद में छोड़ दिए गए। क्लर्क अब उन कागजात को ठीक कर रहे हैं और नतीजे में साल दो साल बाद यह तय हो जायगा वह स्कूल मौजूद है। सब अधिकारी कान में तेल डाले सो रहे हैं। डायरेक्टर साहब गोरखपुर गये, मन्त्री जी से जिक्र हुआ लेकिन कोई कान नहीं हिला रहा है। मैं यह कहूंगा कि इस बजट के पैसे का खुला दुरुपयोग कराया जा रहा है। हमारी इन्दिरा बहन ने आर्थिक विकास का पैगाम दिया है। धान के खेत में मेड़ बांधी जाती है, पानी बांधा जाता है तब खेत की निराई व गुड़ाई होती है, लेकिन अगर मुंह को खोले रहो तो एक बूंद पानी नहीं रुकेगा। नतीजा यह होगा कि खेती नहीं हो पायेगी? लेकिन बजट का पैसा ले लेंगे। उसकी हिफाजत का कोई इन्तजाम नहीं, नाले परनाले बह रहे हैं तो फिर क्या आर्थिक विकास हो सकेगा, 20-20 लाख के गबन व घपले मन्त्री जी के सामने रखे जाते हैं लेकिन उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है। विरोधी पक्ष की बात कह कर उसे टाल दिया जाता है।

चीनी और कपड़े के वितरण का जहां तक ताल्लुक है, जो 20-सूत्री कार्य क्रम के अन्तर्गत है उसके घोटाले के सम्बन्ध में डी0 एम0, गोरखपुर को सूचना दी और कहा कि जांच करके देखा जाय, लेकिन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। चीनी ब्लैक में बेची गई और जिस अधिकारी ने ऐसा कराया उसे सख्त सजा दी जाय। यह दरख्वास्त जिलाधीश को दी गयी लेकिन मेरी उस दरख्वास्त को उस भ्रष्ट उच्चाधिकारी को दे दी गयी। ऐसी सूरत में कैसे उस 20-सूत्री कार्यक्रम को आप कार्यान्वित करा सकेंगे? बैरवा चन्दनपुर गांव है। वहां साढ़े 10 हजार रुपये एकड़ पर जिस आदमी ने जमीन खरीदी थी उसी को कांग्रेस का बड़ा मददगार होने के कारण एक एकड़ जमीन और दी गयी जब कि उसके पास पहले ही दो-तीन एकड़ जमीन थी। उस भूस्वामी के मशीन चालक को भी जो देवरिया जिले का रहने वाला है जमीन दी जाती है। हरिजन बेचारा जो उसकी नौकरी में है उसे भी जमीन दी जाती है महज इसलिए कि तहसील स्टाफ और सभापति को बीसियों हजार रुपया दिया गया। गरीब हरिजन पैसा कहां से देता? कृषक, मजदूर, हरिजन तथा दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग जो उस गांव में मौजूद हैं उनको केवल 10, 15 डिसमल जमीन मिली और वह भी सबको नहीं मिली। मैंने जिलाधीश से शिकायत की लेकिन मुझे विश्वास है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन मालूम हुआ कि 500 रुपए की गड्डी नायब तहसीलदार की जेब में चली गई। उसने यह कहा कि गांव में पार्टीबन्दी है। तो मेरा यह कहना है कि आप टेस्ट करके तो देखें। कागजात मंगायें, कब्जा करें। उसे इसको दुरुस्त करने का मौका न दें।

मान्यवर, बिजली की आपूर्ति की बात की जा रही है कि बिजली बढ़ गई है और वह अब कायदे से मिलेगी। हमारी फरेंदा तहसील में सेमरा गांव है। वहां के आठ आदमियों ने अपनी खेती के लिए तथा मकान में बत्ती लगाने के लिए 25-25 रुपया जमा किया और इस प्रकार 200 रुपए जमा हुए। लेकिन लाइन इन्सपेक्टर ने इसकी रसीद उन्हें नहीं दी। 8 फार्म उन्होंने भर कर दिए हैं उसमें उनसे यह कहा गया है कि आप 16 सौ रुपए लाओ, अधिकारियों को देना है। हमारे एक साथी ने कहा कि यह तुम्हारा फर्ज है यह ठीक कराओ। मैंने कहा हम विरोधी दल के एम0 एल0 ए0 हैं, उन्हें आप जेल में बन्द कर देते हैं। तो यह भूमि आबंटन की हालत है। इन चीजों को आपको देखना चाहिए था। हमारे गोरखपुर जिले में बीसों जगहों पर ऐसा हुआ है। बीसों दफे मैंने चैलेंज किया है कि यदि यह सच न हो तो मुझे आप जेल में भेज दें।

27-28 वर्ष हमको आजाद हुए हो गए लेकिन अभी भी गांवों में लोगों को पीने के पानी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी भी लोग गड्ढों और नदियों का पानी पी रहे हैं। विकास-कर के नाम पर पैसा लिया गया था और कहा गया था कि वह पैसा गांव पर ही खर्च किया जाएगा। 34-35 हजार रुपए इकट्ठा हुए थे और भेज दिए गए थे। लेकिन यह रुपया भी बी0 डी0 ओ0 और ब्लाक प्रमुखों के पास चला जाएगा। भगवान करे वह रुपए सही जगह पहुंच जाय। छोटी-छोटी पुलियों के नाम पर आर्थिक विकास की बात की जा रही है। यह कितना ब ड़ा भ्रम है। सड़कों पर काफी पैसा लगा दिया गया है लेकिन छोटी-छोटी नालियों पर पुलिया न बनने से सड़क बेकार हो गयी है और 4 साल से उसकी मिट्टी भी पानी से बह गई है। फरेंदा तहसील को कोई देखने वाला नहीं है।

आज गरीबी मिटाने की कोशिश हो रही है और सब लोग तन, मन और धन से इसमें लगे हुए हैं लेकिन सही ढंग से खेती करने के लिए जो पैसा बांटा जाता है उसको मुकाम पर जाकर देखा जाय तो सही स्थिति पता चल जाएगी। मान्यवर जेठ, अषाढ़, सावन भादों में बाढ़ आयी थी और उससे फसल बरबाद हुई थी किन्तु अब मार्च के महीने में उसकी पूर्ति की जा रही है। लोग खाने के लिए मर रहे हैं उन्हें कुछ दिया जाय।आज उनको तकावी की इमदाद दी जा रही है, वह कितनी दी जा रही है। कितनों ने तो अपने गहने बेचकर सरहद पार कर ली है।

मान्यवर, अभी मेरे साथी ने बताया कि लाखों रुपया किसानों का गन्ना मिलों पर बाकी है और उसकी वसूली की कार्यवाही मन्त्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले ओलावृष्टि में जब किसान तबाह हो गए थे तो उनको 50 रुपया तकावी के दिए गए थे उसकी वसूली के लिए नोटिस दिए गए। अमीन जाता है और कहता है कि 25 रुपया दो नहीं तो हम तुम्हारे बैल ले जाते हैं। यह आपकी हरिजनों और किसानों के प्रति हमदर्दी है। उनके मवेशी पकड़ लिए जाते हैं। वह गरीब बेचारा 50 रुपये का इन्तजाम करने दौड़ा फिरता है। मैं खुद तहसीलदार के पास गया था। मैंने कहा यह बेचारा रुपया ले कर पीछे-पीछे घूम रहा है क्यों नहीं इसके बैल को छोड़ते हैं क्योंकि यह खेती के लिए हैं। जब कि आपका कानून भी है कि हल, बैल और खेती में काम आने वाले औजार जो हैं उनका नीलाम नहीं होगा उनको नहीं पकड़ा जाएगा। यह सरकार खुद कानून बनाती है और उनके पालन अपने अधिकारियों से नहीं कराती है और हम पर लगाम लगाई जाती है। मुझे मालूम है कि मुझे फिर बन्द करने का इन्तजाम हो रहा है। क्योंकि मैं यहां पर सही बात कह रहा हूं। इसलिए मुझे शायद फिर जेल जाना पड़े।

आज से पहले भी मैं पांच साल मेम्बर रह चुका हूं और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मैंने जो भी बातें कही हैं। वह सब सुझाव ही दिए हैं। जब भी मैं बोला हूं, सुझाव दिए हैं। मुख्य मन्त्री जी से और अन्य मन्त्रियों से मैंने कहा कि इन अधिकारियों को कसकर रखें, इनमें डर पैदा कर रखें, नहीं तो यह सही काम नहीं करेंगे। सही काम कोई आदमी तभी करता है जब या तो उसमें देशभक्ति हो या फिर डर हो। देश प्रेम आप आज पैदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज जो श्रृंखला बनी हुई है, वह घूस लेने की बनी है। जो घूस नहीं देता है उसकी जिन्दगी मुश्किल हो जाती है। जो घूस लेता नहीं है तो वह देगा कहां से? ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बड़े-बड़े अधिकारियों को पकड़ कर रगड़ दीजिए। इमरजेन्सी के दिनों में तो थोड़ी डर पैदा हुई थी, लेकिन अब हवा फिर बदल गई है और आपकी मशीनरी जो है वह भ्रष्ट बनी हुई है। लोगों के मन में यह बात जम गई है कि यह डी0 आई0 आर0 और मीसा जो है, वह एम0 एल0 एज0 के लिए हैं, जो विरोध पक्ष के हैं। हम लोगों को पुलिस वाले घर से पकड़ कर ले जाते हैं या हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि वह भाषण कर रहे थे। अगर कोई एम0 एल0 ए0 ट्रेन पर जा रहा है तो उसके लिए कहा जाता है कि कान्सपिरेसी कर रहा था। मेरे और श्री रावत जी के साथ यही हुआ। तो मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]
को सजा दें। आपका कहना है कि जो इमरजेन्सी का गलत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लिया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

हमारे यहां बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं जिसकी मरम्मत नहीं होती है। इसी तरह से सिचाई के साधनों के लिए हमारे यहां इतने नाले हैं नलकूप लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी-बड़ी नहरें बनाने की भी जरूरत नहीं है, खाली एक मामूली सा फाटक बन जाय तो वह इलाका सरसब्ज हो जाएगा। जहन की फसल अच्छी हो जाएगी और उसके आवागमन के भी साधन अच्छे हो जायेंगे। वहां पर उत्तर के दक्षिण तक कोई सड़क नहीं है। वहां पर सड़कें भी हैं नहरें भी हैं लेकिन वह टूटी पड़ी हैं। हमने बार-बार कहा कि इनको पी0 डब्ल्यू0 डी0 को दे दिया जाय उनकी रिपेयर के लिए हम मदद देने को तैयार हैं, लेकिन उसका कोई इन्तजाम नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, खाद के वितरण की बात कहता हूं। बिना कोई नोटिस के वसूली की नोटिस दे दी गई है। तो यह इस बात का सबूत है कि यह फर्जी कार्यवाही की गई हैं। 8 साल पहले की खाद की वसूली की नोटिस लोगों को जाती है। नीचे से ऊपर तक सब लोग मिल कर यह काम कर रहे हैं। इस आजादी के जमाने में यह सब काम हो रहे हैं लगातार 10 साल तक कोई नोटिस नहीं दी और 10 साल बाद जब ग्राम सेवक बदल जाता है या दूर चला जाता है तब वसूली निकाली जाती है।

नसब दी के बारे में क्या बताऊ। आप पूछ सकते हैं मैंने खुद कलेक्टर से मीटिंग में कहा था कि नसबन्दी गरीबों के लिए जरूरी है। लेकिन क्या इन मिनिस्टरों के लिए, हमारे सम्माननीय सदस्यों के लिए और बड़े-बड़े अधिकारियों के लिए जरूरी नहीं है ? और मान्यवर, यदि हम करके दिखलायें तो गरीब समझेगा कि यह कोई अच्छी चीज है और उसकी नकल हमें करनी चाहिए। लेकिन जबरदस्ती लेखपाल से यह काम कराने से या अधिकारियों व कर्मचारियों पर जोर दबाव डालकर यह काम कुछ होने वाला नहीं है। सब धोखा मात्र है। सब फर्जी कार्य-क्रम चल रहा है. लाखों रुपये परिवार नियोजन के नाम पर फर्जी कागज पर दिये लिये गये हैं। वे भी सोचते हैं कि तुम डाल डाल तो हम पात-पात चलेंगे। इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। नमूना बनो पहले अपना करो फिर दूसरों से ऐसी आशा करो। अब जाकर कर्मचारियों पर विशेषकर छोटे कर्मचारियों पर सख्ती हुई है इसमें। वाराणसी और गोरखपुर के हरिजन बराबर हैं, वहां पर 27 वर्षों में भी पानी पीने का इन्तजाम नहीं हुआ है, वे अब भी पोखर, तालाब और नाले का पानी पीने पर मजबूर हैं। आप वहां बिजली का प्रबन्ध कराएं, जिससे वहां के लोग अपना कोई छोटा-मोटा धन्धा कर सकें। हमारे इलाके में बिजली की जरूरत नहीं है ट्यूबवेल चलाने के लिए। बोरिंग कर दी जाए तो पानी आप ही आप निकल सकता है। वहां बिना मतलब सर्वे में बीसों हजार रुपए लग चुके है। वहां इसलिए नहीं लग रहा है कि इत्तिफाक से मैं वहां से चुनकर आया हूं। जो मैं उनकी नजर में विरोधी हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं विरोधी नहीं हूं, बल्कि देश हित में काम करता हूं। इसे करें और उस रुपए को बचाइए। मेड़ मजबूत बनवाइए, नाले-परनाले में उसे बह न जाने दें। तब तो इस बजट का कुछ उपयोग है, लेकिन यदि आप पानी में नाले परनाले में बहवाते रहे तो सब भगवान देखेगा और उसका आपसे बदला लेगा, वह दिन दूर नहीं है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सप्लीमेन्टरी बजट में बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं खड़ा हुआ हूं इस सप्लीमेन्टरी बजट का समर्थन करने के लिए, जिसे माननीय मुख्य मन्त्री एवं वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। उधर के माननीय सदस्य केवल आलोचना के दृष्टिकोण से इस सप्लीमेन्टरी बजट और सारी नीतियों की जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी शामिल है, आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सरकारी पक्ष का प्रश्न है, आज प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को एक नया मोड़ देने के लिए, 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए यह आवश्यक है कि सारी वित्तीय नीतियां, सारे वित्तीय अनुदानों पर 20-सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखकर विचार किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और उन्हें स्वीकार करने में इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम को यदि हमें तेजी से पूरा करना है तो आवश्यक है कि विद्युत और सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए। सन् 1974 में प्रदेश में विद्युत की जो दशा थी और जैसी उसकी दिक्कत पड़ गई थी कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में पूरी बिजली नहीं मिल रही थी, उसको देखते हुए इस एक साल के अन्दर विद्युत में प्रदेश ने आशा से अधिक प्रगति की है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें उद्योग, कृषि और सिंचाई के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी हमें उपलब्ध है और मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में जहां तक विद्युत की उपलब्धियों का प्रश्न है, महत्वपूर्ण भूमिका विद्युत परिषद् द्वारा और विद्युत मन्त्री जी द्वारा अदा की गई है।

भ्रष्टाचार की बात उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने बार-बार कही। इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार है लेकिन देखना तो यह पड़ेगा कि इस सरकार ने उस भ्रष्टाचार को दूर करने के कारगर कदम उठाए कि नहीं। उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वह कार्यवाही की कि नहीं जो उपयुक्त थी। अगर हम देखें कि इस बात को तो जब से यह देश आजाद हुआ, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने अनेकों करागर कदम उठाया। विजिलेंस डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ। अभी हाल में एक फैसला जबरदस्त किया गया कि जिन सरकारी कर्मचारियों की चरित्र-पंजिका अच्छी नहीं है वे 50 साल के बाद कम्पलसरीली रिटायर कर दिए जायेंगे और उनको यह अधिकार नहीं रहेगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिस तरह से पहले रोकवा लेते थे, वह स्थगन आदेश लेकर कार्य कर सकें। सरकार की पूरी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी जा सके लड़ी जाय क्योंकि भ्रष्टाचार से होता यह है कि हम जो वित्तीय साधन जुटाते हैं, उनसे भ्रष्टाचार के कारण में उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए।

मैं इस दिशा में एक बात जो कहना चाहूंगा कि सबसे आवश्यक स्रोत जो इस वक्त हमारे संसाधनों को जुटाने का है वह है बिक्री-कर और बिक्री-कर के ढांचे के नेशनालाइजेशन की बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने इन्कम टैक्स छिपाने वालों को, अपनी आय को छिपाने वालों को सजा और जबरदस्त पैनाल्टी का प्राविधान किया है। मेरा अनुरोध है कि प्रदेश सरकार बिक्री-कर कानून में आवश्यक संशोधन करके ऐसी व्यवस्था करे कि जो लोग बिक्रीकर की चोरी करते हैं, अर्थदन्ड तो उन्हें हो ही इसके साथ ही उनको कुछ सजा भी भुगतनी पड़े, ताकि चोरी न हो सके। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त प्रदेश सरकार का सारा जोर है प्रशासन के व्यय में बचत पर है। जहां तक हो सके इस फजूलखर्च को रोका जाय और उसको रोकने के लिये काफी कदम उठाए गये हैं। जहां तक एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पैट्रोल बहुत महंगा हो गया। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी सिलसिले में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 डिपार्टमेन्ट एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय मन्त्री जी उपस्थित हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पी0 डब्ल्यू0डी0 विभाग के पास में टेक्निकल नो हाऊ है। वह सड़कें बनाते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 डिपार्टमन्ट में भ्रष्टाचार बहुत है। जिला परिषद् की सड़कें बनती हैं लिन्क रोड योजना चली, जिला परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं उनकी भी लागत वही आई जो पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा लागत आई। पीं0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा बनायी गयी सड़क की जिन्दगी यदि 10 साल होती है तो जिला परिषद् और नगरपालिका द्वारा बनायी गयी सड़क 6 महीने में ही बरबाद हो जाती है। वह इधर बनती जाती है और उधर टूटती जाती है। यह दुर्भाग्य है। माननीय मन्त्री जी सरकार के वरिष्ठ मन्त्री हैं। मैं चाहता हूं कि एक सेन्ट्रलाइज्ड एजेन्सी सारी सड़कों के बनाने का काम करे। इससे धन का जो अपव्यय होता है वह नहीं होगा और जो सड़कें, बनेंगी वह अधिक दिनों तक चलेंगी। मैंने, मान्यवर, लिंक रोड्स की दुर्दशा देखी है। मेरे क्षेत्र में चाचूपुर भरका की रोड है वह अभी बन भी नहीं पायी कि दूसरी ओर टूटने लगी है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सी बचत प्रशासनिक ढांचे में सुधार करके की जा सकती है। सरकार एक कमेटी बनाए जो यह सोचे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप में किस प्रकार से चेन्जेज प्रशासनिक खर्चे में बचत की दृष्टिकोण से किए जा सकते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो पुलों पर टोल टैक्स लिया जाता है वह बहुत बढ़ा दिया गया है। इसको माननीय मन्त्री जी ने भी स्वीकार किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर शीघ्र निर्णय ले। यह जनहित में है। आप जानते हैं कि पुलों से अधिकतर बैल गाड़ियां ही गुजरती हैं और टोल टैक्स चार गुना बढ़ा दिया गया है जो ज्यादती है। मान्यवर, बिल्हौर में एक पुल है। मान्यवर जब टौल टैक्स से पुल की लागत निकल आती है तो उसे लेना बन्द कर देना चाहिये राजकीय निधि के अनुसार। लेकिन मान्यवर जहां तक मेरी जानकारी है, उस पुल की लागत निकल आयी है, लेकिन फिर भी टौल-टैक्स लिया जा रहा है। मान्यवर, यह अनुचित प्रतीत होता है।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, कोरम का अभाव है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मुझे 2 मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम देख लें।

(कोरम की घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

वित्तीय मामलों में अधिक सर्तकता की आवश्यकता है और प्रशासन को स्ट्रीम लाइन करने की भी आवश्यकता है। यह बड़े खेद का विषय है कि विभिन्न विभागों में वित्तीय अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं। इस सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की वर्ष 1970-71 पर आधारित जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है उससे प्रतीत होता है कि वर्ष 1965-66 में अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या 5,221 थी जिसमें 162.69 लाख रुपए की राशि इन्वाल्व है। वर्ष 1966-67 में यह अनिस्तारित आपत्तियां बढ़कर 5,608 हो गई और धनराशि भी 192.58 लाख रुपए हो गई। वर्ष 1967-68 में अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या 7,980 थी और राशि 692.73 लाख रुपए थी। वर्ष 1968–69 में अनिस्तारित आपत्तियां बढ़ कर 14,244 हो गई और राशि 1188.95 लाख रुपए हो गई। वर्ष 1969-70 में अनिस्तारित आपत्तियां 21,339 हो गई और धनराशि

बढ़ कर 1595.59 लाख हो गई। वर्ष 1970-71 में यह अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या 37,722 हो गई और धनराशि भी 4206.08 लाख रुपया हो गई।

यह बड़े खेद की बात है कि एक ओर तो हम वित्तीय डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने की बात कर रहे हैं, एक ओर गरीबों की भलाई की योजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक पैसे का इस्तेमाल हो, पर दूसरी ओर जो आडिट आब्जेक्शन हैं, जो एमाउन्ट उनमें इन्वाल्व है, वह दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। उनकी रोक-थाम के लिए सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था इस सिलसिले में करनी चाहिए, कोई समय निर्धारित कर देना चाहिए जिसमें प्रत्येक आडिट आब्जेक्शन को दूर होना चाहिए और उनका निराकरण होना चाहिए अन्यथा जो दोषी अधिकारी हों, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

यह भी बड़े खेद और आश्चर्य की बात है कि जहां हम अपने अधिकारियों की आलोचना करते हैं, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और उनकी अकर्मण्यता की आलोचना करते हैं, वहां यह भी देखने में आता है कि उनके अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त उनके हजारों मामले पेन्शन के, ग्रेच्युटी के और प्रोविडेन्ट फन्ड के तय नहीं हो पा रहे हैं। कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि सम्बन्धित अधिकारी अवकाश प्राप्त करने के बाद स्वर्गवासी भी हो गया, लेकिन उसका मामला तय नहीं हो पाया। हमारी प्रधान मन्त्री यह अवश्य चाहती हैं कि हमारे अधिकारी ठीक से काम करें लेकिन उनके जो छुट्टी के मामले हैं, पेन्शन के मामले हैं उन्हें शीघ्रता से निपटाया जाय। मैं अपनी सरकार से और अपने साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें कि प्राविडेन्ट फन्ड, ग्रेच्युटी और पेन्शन के जो मामले हैं, उनको समय-बद्ध कर दें ताकि अवकाश प्राप्त करने के साथ निश्चित अवधि में उसे ये सुविधायें मिल जाएं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 1976 कुष्ठ निवारण के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी प्रधान मन्त्री और सरकार भी चाहती है कि कमजोर वर्ग को राहत मिले। अत: जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, अपने परिवारों के द्वारा तिरस्कृत हैं, लोगों द्वारा वहिष्कृत हैं, उनको फेमिली पेन्शन जैसी वित्तीय सहायता पेन्शन के रूप में दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमेन्टरी बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा जो अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ अनुदानों के बारे में मुझे अपने सुझाव देने हैं। बजट में दी हुई मदों के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि इनमें अधिक से अधिक पैसा खर्च करने का प्राविधान है लेकिन कामों में कम पैसा खर्च करने का विचार है। इस बजट को देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है और मेरी प्रार्थना है कि सभी को, चाहे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के बैठने वाले हों, सब को सोचना चाहिए। हर एक ने कुछ न कुछ आलोचना की है। मैं तो कहता हूं कि सब से पहले सोचना चाहिए कि इन्सान को, अशरफुलमखलूकात को किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है और इस बजट से उन आवश्यकताओं में से किस किस आवश्यकता की पूर्ति होती है। इन्सान को सबसे पहले भोजन की जरूरत होती है उसके बाद कपड़े की जरूरत होती है, उसके बाद रहने के लिए मकान की जरूरत होती है फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बीमार पड़े तो दवा की जरूरत होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आमदनी की जरूरत होती है। फिर सोचने की बात आती है कि यह आमदनी कैसे होती है, खेती से, नौकरी से और उद्योग-धन्धों से। फिर सोचना यह है कि आखिर इन 28 वर्षों में जो लोग, आज बेकार हैं, जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, जिनके पास नौकरी का जरिया नहीं है, जिनके पास कोई उद्योग-धन्धा नहीं है इनके लिए क्या व्यवस्था हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाभी]

वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आज यह आखिरी निर्णय है जिसकी डींग हमारे सत्ताधारी पार्टी के लोग बहुत हांकते हैं, इससे जो गरीब हैं, भूमिहीन है, बेरोजगार हैं, जो इतनी बड़ी फौज पढ़ लिख कर तैयार है उनके लिए क्या व्यवस्था हो रही है ? 20 सूत्री कार्यक्रम का बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है।' सब को मालूम है कि जब जमींदारी टूटी तो गांव समाज के पास ज्यादा सरकारी जमीन थी जिसे जमीन वालों ने, ताकतवर लोगों ने हड़प लिया। कानून है कि 8 फीसदी से कम जमीन जिस गांव में हो उसका पट्टा न हो। फिर भी ज्यादा जमीन रखने वाले लोगों ने उस जमीनको हड़प लिया । ओस के चाटने से प्यास नहीं जाती है। आ : जमीन का आबंटन हो रहा है । मैं तो कहता हूं कि पूरे प्रदेश में ठीक से काम नहीं हुआ है। राजस्व मन्त्री जी से मुझे एक बार मौका मिला तो मैंने आजमगढ़ जिले के बारे में कहा था। आज जो बिलकुल भूमिहीन, बेरोजगार और गरीब लोग हैं वे आज भी वंचित किए गए हैं और तिकड़मी लोगों ने अपने लड़कों और परिवार वालों के नाम घूस दे कर पट्टे करा लिए हैं। भूमि आबंटन करने वाले अधिकारियों ने भूमि प्रबन्धक समिति की रिकमेन्डेशन्स की परवाह न करके, उनके घर वालों और रिश्तेदारों के नाम भूमिहीन बना कर भूमि का आबंटन किया है । हम बार-बार चिल्लाते थे कि आप साढ़े 12 एकड़ जोत सीमा क्यों नहीं रखते हैं जबकि हलफिया बांड दिया जाता है कि हमारे पास साढ़े 12 एकड़ जमीन इस जमीन को ले कर नहीं है तब दाखिल खारिज होता है। लोगों ने सीमा बना दी और उस सीमा के बनने में जितने लोग तिकड़मी थे उन्होंने जमीन निकलने नहीं दी और अपने रिश्तेदारों को, सगे-सम्बन्धियों को जमीन का बंटवारा कर दिया। बहरहाल, मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, मैं इस बजट से सम्बन्धित ही कुछ बातें कहना चाहता हूं। जिसके पास जमीन नहीं है, खेती से आमदनी का जरिया नहीं है, नौकरी नहीं है और जो बेकार है, उसके लिए इस बजट में क्या किया गया है ? मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले हरिजनों के बच्चे बेकार हैं, लेकिन उनको आप अभी तक सभी सर्विसों में उनका भरपूर कोटा नहीं दे पाए हैं । जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके पास रोजगार है, खेती है, वे आफिसर हैं । आखिर क्या बात है ?

कहा जाता है कि सरकार हरिजनों की बड़ी हमदर्द है। लेकिन देखने की बात यह है कि सरकार भी हमदर्द है और तमाम लोग भी हरिजनों के हमदर्द हैं तो फिर आखिर मामला अटक कहां जाता है। यह सिर्फ नीतियों का दोष है और उसी नीति के तहत यह मामला ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं साफ बतला देना चाहता हूं कि इधर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। यह कितने दुख और ताज्जुब की बात है कि आपात्-कालीन स्थिति के समय भी रिश्वत चले। हम तो समझते हैं कि इस जमाने में पहले के मुकाबले में रिश्वत घटने के बजाय बढ़ी है। सब लोग इस बात को कहते हैं कि रिश्वत बढ़ी है। इससे मालूम होता है कि सिर्फ कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए और विरोधियों को तबाह करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए ही यह आपात स्थिति लागू की गयी है। आपको तो अपने पूरे इन्तजाम के लिए इसका पूरा-पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम विभागों के मन्त्रियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सक्रिय हों, अपने-अपने विभाग में स्ट्रिक्ट हों, और अपने कर्मचारियों को समझावें कि आप लोग ठीक ढंग से काम करें। रिश्वत लेना पाप है और रिश्वत नहीं चलेगी। अब जो हमारे इन्तजाम में गड़बड़ी करेगा वह बरख्वास्त किया जाएगा। विधायक लोग शिकायत देते हैं, जांच होती है और जो अधिकारी दोषी पाया जाता है उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। विभाग के अधिकारी सम्भाल लेते हैं। मैं कहता हूं कि आज देश जिस मोड़ पर चल रहा है, उस मोड़ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारी लोगों की है। आप लोग ईमानदारी से, सही ढंग से अपने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से कह दें कि वे सतर्कता से काम करें, तो मैं कहता हूं कि अगर बड़े अधिकारी अच्छे ढंग से काम करेंगे तो नीचे के अधिकारियों व

कर्मचारियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वे कोई गड़बड़ी कर सकें। लेकिन कहीं न कहीं पर गड़बड़ी है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार व घूसखोरी है। फिर मैं आपको बतला दूं कि किसान जो चीज पैदा करता है उसको तो आप सस्ता लेते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल में आने वाली चीजें—जैसे खाद, पानी व बिजली उसे मंहगे रेट पर देते हैं। जब गल्ला तैयार हो जाय तब तो आप कहते हैं कि उनको सस्ता देना चाहिए, और इसके लिए वे सख्ती करते हैं और मौज करते है, लेकिन किसानों को मिल व कारखाने से पैदा की हुई चीजें देने के वक्त वे महंगी हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि नीतियों की वजह से ही यह सब होता है। जब तक आपकी नीति साफ व स्वच्छ नहीं होगी तब तक कायदा कानून बनाने से ही कोई काम अच्छा नहीं हो सकेगा। कायदा कानून की किताबें अलमारी में रहने से उनको आलमारी नहीं पड़ेगी, उनको इन्सान ही पड़ेगा और तभी जाकर इस देश का भला होगा।

यही नहीं मैं सिंचाई के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ट्यूववेल एक तो बड़ी मुश्किल से बने हैं. उनकी लाइन और तमाम जो नालियां बनी हैं, मैं उनके बारे में सिंचाई मन्त्री जी को भरपूर जानकारी करा देना चाहता हूं कि तमाम नालियां जो पुराने ट्यूववेल्स की हैं। वह सारी खराब हो गयीं हैं। नए ट्यूबवेल जो लगे हैं उनमें कहीं नालियां बनी ही नहीं हैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनको साफ बता देना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, बलिया में और बनारस में, आप लोग भरपूर दौरा करें और ज्ञात कर लें कि सड़कों की हालत बहुत ही खराब हैं। पहले कहा जाता था कि वह सड़क पी0 डब्ल्यू0 डी0 की है और यह सड़क जिला परिषद् की है। कुछ फर्क था? इन्तजाम में भी फर्क था। लेकिन आज हालत यह है कि कोई फर्क नहीं रह गया है। कुछ मालूम नहीं होता है कि यह पी0 डब्ल्यू0 डी0 की सड़क है या जिला परिषद् की सड़क है। इस तरह से मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि मुझको ज्यादा, नीतियों से तकलीफ होती है। हम लोगों को खुशी से जेल में डालें लेकिन जेल में डाल कर आप लोग बढ़िया इन्तजाम करें तो हम समझेंगे कि यह हमारा सौभाग्य है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने यह कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर ध्यान दिया जाय। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उस सम्बन्ध में एक बात नीति के सम्बन्ध में मुझे कहना है। यह जो देश के अन्दर कहा जा रहा है, शासक दल के द्वारा कि एक नया दौर शुरू हुआ है। आपातकालीन स्थिति में, संकटकालीन स्थिति में हम हैं, असाधारण परिस्थिति से देश गुजर रहा है। लेकिन इस वक्त कुछ बुनियादी बातों की ओर शासकदल का ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। आज राज्यपाल महोदय के सरकारी खर्चों को लेकर, सचिवालय के सरकार के खर्चों के बारे में अनुदानों में दिया गया है। इसमें फर्नीचर और पर्दों के सम्बन्ध में एक बात कहनी है कि अब वह वक्त आ गया है जब आप इन खर्चों के ऊपर, खासतौर से बड़ी नौकरशाही, बड़े ब्योरेक्रेट जो हैं, उनके आराम और सुखसुविधा के जो खर्चे हैं, जो पुराने अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे ह, उसके ऊपर बन्दिश लगाने का वक्त आ गया है। इनमें आप कमी करिए। क्योंकि यह नौकरशाही जो आपके छोटे-छोटे प्रोग्राम हैं, छोटी-छोटी नीतियां हैं, जो आप बनाते हैं और जिनको इम्पलीमेंन्ट करने में इसको मदद देनी चाहिये, मदद देने के बजाय ऐसे भ्रम, ऐसी गड़बड़ियां करती हैं जिससे जो अच्छी नीतियां हैं, वह भी पब्लिक को बुरी नजर आती है।

इस वक्त नेशनल सेविंग स्कीम और फैमिली प्लानिंग स्कीम चल रही है। अब क्या हुआ, मालूम हुआ है कि कोई मुख्य सचिव का आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधीशों को कि जिस विभाग के कर्मचारी 2-2- परिवार नियोजन के केस नहीं लायेंगे और आधे महीने की तनख्वाह नहीं जमा करेंगे नेशनल सेविंग स्कीम में, उनकी तनख्वाह बन्द कर दी जाएगी। होली और बारावफात, यह दोनों ऐसे त्योहार हैं जो हिन्दू और

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह],
मुसलमानों, दोनों के बड़े त्योहार हैं, लेकिन फरवरी की तनख्वाह नहीं दी गयी। 4 मार्च को रेडियोग्राम यहां से गया जो लोग पहले निकाल चुके थे वह तो निकाल चुके, उनको तनख्वाह मिल गयी लेकिन औरों को फरवरी की तनख्वाह नहीं दी गयी। अभी बाराबंकी के जिलाधीश से मैंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और कहा कि यह कौन सा तरीका है तो उ होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, मुख्य सचिव का आदे : है। अब अगर मुख्य मन्त्री जी या मन्त्रि-मन्डल का यह आदेश था तो कोई ऐसा पहलू है, मैं तो समझता हूं कि बहुत से सयाने लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। लेकिन ऐसा कोई जी0 ओ0 किसी दूसरे विभाग के अधिकारियों के ऊपर, इस तरीके की चीज लादी जाय कि यह काम करना है वरना आपकी तनख्वाह नहीं दी जायगी। जब आप यदि आफिसरों को छूट दें देंगे और उनसे नहीं पूछेंगे तो कल हो सकता है कि वह कहेंगे यह काम नहीं करोगे तो तनख्वाह बन्द और कल फिर कहेंगे कि 100 रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापक 10 मील जाकर पढ़ाते हैं और उनको 200–250 रुपए वेतन दिया जाता है और ऐसे मौके पर तनख्वाह न दें तो कैसे काम चलेगा। शिक्षा की जो स्थिति है उससे शिक्षा प्रणाली को सुधारें तो वह काम नहीं करायेंगे बल्कि उनके मत्थे परिवार नियोजन और सेविंग का काम लादा जाएगा। पहली बा त तो यह है कि परिवार नियोजन विभाग पूरे रूप से भ्रष्ट है और इतनी ग ड़बड़ियां हैं कि उतनी दूसरे विभागों में शायद ही ह ।

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—
उपाध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि वेतन रोक रखा गया था तो मान्यवर, उसी समय सरकार द्वारा आदेश देकर उनकी तनख्वाह बांटी गयी है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—
मैं इस शुभ कार्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
मान्यवर, प्वाइन्ट यह है कि होली गुजर गयी जब मिला। इसका मतलब यह कि शासन ने इसको गलत समझा। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा आर्बीट्रेरी आर्डर भेजा गया और होली के मौके पर काम किया गया तथा लोगों को वेतन नहीं दिया गया। तो आपकी हिम्मत है कि उनसे पूछें कि ऐसा आर्बीट्रेरी आर्डर कैसे पास कर दिया? मैं समझता हूं कि यह वाकई में नीतियों और कानूनों को अमली जामा पहनाना है। इस ब्योरोक्रेसी पर लगाम लगाना पड़ेगा नहीं तो सही ढंग से काम नहीं चल पाएगा।

दूसरी चीज आज किसानों की समस्या कितना जटिल रूप धारण कर चुकी है, इसमें मैं एक बात केवल कहना चाहूंगा कि गेंहू के दाम मार्च में तय करेंगे और जो भी चाहेंगे वह तय करेंगे। मेरी बात को ध्यान में नहीं रखेंगे। पिछले साल का तजुर्बा है कि परचेजिंग सेन्टर के ऊपर किसानों का मनमानी तरीके से जितना चाहा सफाई, उठवाई आदि कैंदा का काटा। इस प्रकार नीचे से ऊपर तक जो आपकी ब्यूरोक्रेसी करवा रही है, वह हो रहा है। इसलिए आप सही तरीके के परचेजिंग सेन्टर जो खोले और जो दाम मुकर्रर करें वह देखें कि किसानों को मिल रहे है कि नहीं। इसके अलावा किसानों की परेशानियों को देखें और उनको दूर करने की कोशिश करें।

अब आलू का मामला है। कोल्ड स्टोरेज को आर्डर भेजा कि यह रेट होंगे लेकिन हो यह रहा है कि जब कोई आलू रखने जात है तो उससे कहा जाता है कि जैसे कि 4-5 रुपये फी क्विन्टल तो हमें नकद दे दो और रसीद नहीं मिलेगी और जब लेने आयेंगे तब फिर 12 रुपए देना पड़ेगा। इसलिए इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। यदि यह बात जिलाधीश और कृषि अधिकारी से कहें तो वह कहेंगे कि हमें सबूत चाहिए। मैं चाहूंगा कि कन्ट्रोल रेट पर आलू रखने का सही रूप से इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिए इसलिये मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश

के प्रत्येक जिले में 5–10 अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी और जब रखना हो तो वह देखें कि किसानों से 12 रुपया लिया जा रहा है या 4–5 रुपया बेशी लिया जा रहा है। पिछले साल ऐसा लिया गया है और अबकी बार फिर हो रहा है। इसलिए शासन इस पर ध्यान दे।

अब गल्ला का सवाल है। इस समय किसानों कं परेशानी क्या है? सिंचाई का रेट बढ़ गया है। बिजली का रेट बढ़ गया है। गल्ले के दाम नीचे जा रहे ह। औद्योगिक उत्पादन की वस्तुयें कम नहीं हुई हैं, कहीं-कहीं बढ़ गयी हैं और खास-तौर से गन्ने के सव ल को लें, आलू को लें जो कि कैश क्राप्स है। चीनी का दाम अपनी जगह पर और गन्ने का दाम एक रुपये कम कर दिया गया। बड़ी मुश्किल के बाद इतने दाम आए लेकिन अब भी एक रुपया कम है। क्या जस्टीफिकेशन है इस बात का? हमारे मुख्य मन्त्री जी और पूरा मन्त्रि मन्डल क्या उस पर कभी नहीं सोचता? पता नहीं शकर की राजनीति में क्या मिठास है कि सब के मुंह बन्द कर देती है। यह जानते हुए भी कि किसानों के साथ ज्यादती है, आप इस पर खामोश। आल की बाबत इसी सदन में पिछली बार क्या दुर्दशा हुई थी। अबकी बार फिर लाल आलू खरीदा नहीं जाएगा, सफेद आलू भी एक इन्च या दो इन्च नाप कर पैदा करें, तो खरीदा जायगा। बाराबंकी में पूछा तो कहा गया कि यह खरीददारी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिलाधि श से पूछा तो कहा कि मुझे पता नहीं कि कोई आदेश है। आप मन्त्रि मन्डल में नीति बनाते हैं तो ब्योरोक्रेसी कहं उसको दाब देती है। वह ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि शासन द्वारा निर्धारित नीतियां ब्योरोक्रेसी द्वारा सही तौर से इम्पलामेन्ट हों। 20 सूत्री कार्यक्रम बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। सारे देश ने उसका स्वागत किया, लेकिन सवाल यह है कि किस हद तक वह पूरा किया जा रहा है। जमीन के बंटवारे का सवाल लें। 29 फरवरी तक का आ गया कि सब बंट गयी। कुछ फिगर्स माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दे दीं और अखबारों में छप गयीं कि इतने लोग लाभान्वित हुए। यह वही नौकरशाही है जिसने सन् 1970 में सूचना देदी थी कि कोई भूमि नहीं रह गयी। लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि लाखों एकड़ भूमि उपलब्ध है। वही नौकरशाही आज भी है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

आपने जन सहयोग की बात कही। प्रधान मन्त्री कहती हैं कि जन सहयोग लें लेकिन वह नहीं लिया गया और इस प्रदेश में नौकरशाही पर ही डिपेंड किया गया। जो भी फिगर्स आयी हैं अगर सम्मानित सदस्यों से बात करें तो स्पष्ट होगा कि कम से कम 50 परसेंट फिगर्स गलत हैं। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। पट्टे अगर दिए गए तो भूमि डिमारकेट नहीं की गयी। लोगों को कहा गया कि अगर कहीं जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है तो फौरन पोस्ट कार्ड पर लिख कर डाल दें, कार्यवाही की जाएगी लेकिन हुआ कुछ नहीं। मिर्जापुर में राज्य गृह मन्त्री जी को पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी दी। आदिवासियों की जमीन पर बड़े जमींदारों ने फसल काट ली। रोकने गए तो गिरफ्तार किए गए। यह है 20 सूत्री कार्यक्रम और इस असाधारण स्थिति में यह है आपकी नौकरशाही का रवैया. आप सचेत रहें क्योंकि नौकरशाही के अन्दर भी ऐसे प्रतिक्रियावादी तत्व हैं जिनकी जबान बन्द है लेकिन आपके कार्यक्रम को लागू नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग नौकरशाही में बड़े-बड़े आसनों पर बैठे हैं जो चाहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम फेल हो और अराजकता फैल जाय तो अच्छा है। उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। अभी एक दूसरा आदेश गया। पिछले दिनों से भूमि आबंटन का काम किया जा रहा है। अभी अखबारों में यह वक्तव्य पढ़ा कि जो 8 प्रतिशत गांव समाज की जमीन है, उसके बारे में आपने कोई दूसरा फैसला लेने का विचार किया है। जो जमीन बंट चुकी क्या उसको आप कैंसिल कर देंगे या जहां नहीं बंटी है उसको आप सुरक्षित करवायेंगे? दोहरी नीति आप किस प्रकार से चलायेंगे? कम से कम और कोई काम करने से पहले उस पर दिमाग को लगाकर देखना तो चाहिए कि उसका करना ठीक है या नहीं। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिलों में यह काम बिल्कुल ठप हो गया है। जहां पर कब्जा नहीं दिया गया है वहां पर भी ठप है। इस समय एक अजीब समस्या खड़ी हो गई है। अब जो भूमि पड़ी

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह]

है उसको कौन जोते। वह तो नो मेन्स लैंड है। और उस पर खेती लगी है तो उसको कौन कटवायेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही कटवा लेगा। मेरा यही कहना है कि हमको विचार करके ही कोई इस प्रकार का फैसला करना चाहिए। अभी भूमि के आबंटन का काम खत्म नहीं हुआ है। मेरा तो यह कहना है कि हर जिले के अन्दर आपके जो आंकड़े हों उनको प्रकाशित किया जाए कि कितनी भूमि निकली, किस-किस को दी गई है। हम सब लोग कहां से इसका पता लगा सकते हैं? अगर शासन अपनी मशीनरी के द्वारा इस काम को करवा दे तो सभी को बड़ी सुविधा हो जाएगी। आप आंकड़ों को प्रकाशित करवा कर जिले में रखवा दें और आपकी मैशीनरी इस काम को आसानी के साथ करवा सकती है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह पूरक और अनुपूरक बजट हर साल आता रहता है लेकिन बजट का कोई मकसद होता है। बजट इस लिए होता है कि प्रदेश और देश की क्या प्रगति हुई है और उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग हुआ है, उसका अवलोकन किया जा सके। हर साल इसी तरह से घाटे का बजट रखा जाता है, और वह इसलिए रखा जाता है कि फलां विभाग में धन के अभाव में क्या-क्या चीजें नहीं हो सकी हैं। वहां पर माननीय आर्य जी और हमारी बहन जी भी विराजमान हैं। मैं इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रगतिशील मुल्क को ले लें, चाहे वह कोरिया हो या ब्रिटेन, वहां पर बजट को प्रस्तुत करने का क्या तरीका है। आप यहां पर यह देखें कि यहां पर बजट का कुल टोटल पुलिस प्रशासन के लिए ही है। प्रगतिशील राष्ट्रों में जो बजट लाया जाता है उसका अधिकांश शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए होता है, लेकिन यहां पर इसका एक दम उल्टा ही हिसाब है। हम लोग भी कहा करते हैं और आप लोग भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है लेकिन यह भ्रष्टाचार उच्च अधिकारियों या कर्मचारियों के कारण नहीं है। इस भ्रष्टाचार के माध्यम वे नहीं, हम लोग हैं।

आप स्वास्थ्य को ले लीजिए। मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी धनराशि रखी गयी है? परिवहन की कमी की वजह से लखनऊ मेडिकल कालेज के स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं हो पा रहा है। हमारे मन्त्री महोदय इसके साथ ही सोचें कि जो गांवों से चुन कर आए हैं कि जो सर्वसाधारण जनता है, जो खेतों में देहातों में काम करती है अथवा जो छोटा कर्मचारी शहरों में काम करता है और 75 रुपए वेतन पाता है अथवा देहात में जो मजदूर है और वह एक किलो अनाज मजदूरी में पाता है, उसके स्वास्थ्य पर यह सरकार कितनी धनराशि खर्च करती है। गांव का मजदूर अगर स्वास्थ्य की बात करता है तो उस पर डंडे पड़ते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को बढ़ाने में सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। लेकिन गांव का बच्चा जो भूखों मर रहा है, जिसका स्वास्थ्य गिर रहा है, उसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

कृषि में बजट की क्या हालत है। आंकड़ों में तो उत्पादन बढ़ा है लेकिन गांव की जो मेहनतकश जनता है, जो धरती पर अनाज पैदा करती है, उसके लिए सरकार ने कितना खर्च किया? क्या 1947 के बाद उन झोपड़ों की हालत में कोई तरक्की हुई है, कृषकों की हालत में कोई तरक्की हुई है, उनकी शिक्षा में कोई तरक्की हुई है? मैं एमरजेन्सी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एमरजेन्सी ऐसी नही लगनी चाहिए कि हम भूख और बेकारी की डिमान्ड न कर सकें, हम शिक्षा के लिए डिमान्ड न कर सकें, इस विधान सभा में जो सदस्य हैं वे दिल पर हाथ रख कर बतला दें कि उनकी डिस्पेन्सरी में एक साल में कितनी दवा दी जाती है और कितनी सर्वसाधारण को दवा दी जाती है? बजट दिया जाता है बच्चों की उत्पत्ति कम करने के लिए, मलेरिया दूर करने के लिए लेकिन जो टी0 बी0 का मरीज है। और गांव की झोपड़ी में घुल-घुल कर मरता है, उसकी क्या दशा है? भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि पर अधिक से अधिक बजट होना चाहिए। सरकार कहती है कि फर्टिलाइजर पर अधिक खर्चा

पडता है इसलिए उसकी कीमत अधिक है, लेकिन कृषि उत्पादन पर यह सरकार आंख मूंद लेती है। वर्मा जी पश्चिमी जिलों के रहने वाले हैं जहां हरियाली ही हरियाली है। वर्मा जी कृषि के इने गिने विशेषज्ञों में से हैं लेकिन शायद उनके पास ट्रैक्टर होगा, सभी तरह के रिसोर्सेज होंगे, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं देता। फैजाबाद जिले में वर्मा जी गए थे। मैं भी एक नालायक की हैसियत से वहां पर हाजिर हुआ था। वर्मा जी के सामने हमारे माननीय सदस्यों ने कृषि अधिकारी पर चार्ज लगाया कि यह अधिकारी बेईमान है। लेकिन वर्मा जी बात कर रहे थे जैसे कि वे दिल्ली के चौराहे पर खड़े हों, बम्बई की चौपाटी में खड़े हों या मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर की हरियाली में खड़े हों। उनको देवरिया, बलिया, बस्ती और जौनपुर का इलाका नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैं माननीय कृषि मन्त्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे पश्चिमी और पूर्वी जिलों को एक निगाह से देखें।

आज हमारे स्वास्थ्य केन्द्रों की क्या हालत है? वहां पर आम आदमी को दवायें उपलब्ध नहीं होतीं। कितनी ही मातायें, बहनें और प्रसूति की औरतें बच्चा जनते-जनते मर जाती हैं। मगर साधन नहीं मिलते। हमें आजादी मिले 27-28 साल हो गए लेकिन हम अभी ज्यों के त्यों हैं। परिवहन व्यवस्था न होने के कारण चिकित्सा केन्द्रों पर काम नहीं हो रहा है। गांवों में चिकित्सा केन्द्रों पर हर 10 के पीछे एक गाड़ी है जो कि निमन्त्रण और नसबन्दी के कार्य में ही केवल लगी हुई होती है। आज बजट होना चाहिए गरीबों के लिए, बजट होना चाहिए कमजोर लोगों के लिए, बजट होना चाहिए, कृषि के लिए ट्रैक्टर वालों के लिए नहीं बल्कि 1 एकड़ से 6 एकड़ तक की जोत वालों के लिए। बजट नैनीताल, मेरठ और बुलन्दशहर के बड़े-बड़े कृषकों के लिए नहीं, बिरला के लिए नहीं होना चाहिए जहां कि हर दरवाजे पर ट्यूबवेल है। हमारे साथी यह नहीं जानते कि जिन लोगों के ट्यूबवेल हैं उन पर भी मिनिमम चार्जेज हैं। अगर सिंचाई करनी है तो 18 सौ रुपए सालाना देना पड़ेगा। लेकिन हमारा देश और हमारी प्रधान मन्त्री नशे में चूर हैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। बजट को क्रिटिसाइज मैं भी नहीं करूंगा और उसके लिये मैं खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बजट सामान्य जनता के लिए होना चाहिए। बजट पुलिस के उच्च अधिकारियों के लिए नहीं होना चाहिए, बजट कृषि के अधिकारियों के लिए नहीं होना चाहिए, बजट कृषि मन्त्री को सैर करने के लिये नहीं होना चाहिये, बजट हम विधायकों की जिन्दगी के लिए नहीं होना चाहिए लेकिन बजट जो कि राज्य कर्मचारियों के माध्यम से खर्च हो रहा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये। सारी लूट हो रही है और इस सारी लूट की जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। मैं यह भी कहूंगा कि अगर हम ईमानदारी का रवैया अख्तियार करते हैं और चाहते हैं कि इसमें सुधार हो तो वह हो सकता है।

मैं इस बात को मजबूती से कह सकता हूं कि 65 हजार का ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश में कोई भी फार्मर, नैनीताल के बड़े-बड़े फार्मर, मिर्जापुर, बरेली के बड़े-बड़े फारमर्स तथा बिरला को छोड़कर, कोई नहीं खरीद सकता है। 65 हजार के लोन का सूद एक साधारण कृषक, गरीब किसान नहीं दे सकता है। डीजल की कीमत ही आप ले लें कि उसका क्या भाव है। मैं समझता हूं मेरा हर दोस्त इस बात को जानता होगा। डीजल का दाम इतना महंगा है कि हर आदमी पम्पिंग सेट नहीं लगवा सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर, बीज और लेबर का आज क्या दाम है? सस्ता लेबर यही हमारा मुनाफा है 20-सूत्री योजना के अन्तर्गत। कहा गया है कि इसके अन्तर्गत हरिजनों को बड़ी राहत दी गई है। पर आप देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखें कि पूरे प्रदेश में एक भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि एक भी मजदूर को उचित मजदूरी मिली हो। आपके पुलिस का थानेदार कौन होता है? वही सामन्ती घराने का होता है। जो आज से 100 साल पहले या 30 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में होता आया है। एक किलो अनाज लेकर जो जमीन में मजदूरी करता है और उस जमींदार के कहने पर वह थानेदार उस गरीब की पिटाई करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। आपका इस विभाग में बड़ा खर्चा हो रहा है। एक तरफ आज बिड़ला और कमलापति के गोदामों

[श्री भगवती प्रसाद]

से माल निकाला जाता है और कहा जाता है कि वह गांवों में सस्ते दामों में बेचा जागेगा। तो दूसरी तरफ मैं पूछूं उद्योग मन्त्री जी से कि मऊ, गोरखपुर, फैजाबाद और बाराबंकी के बुनकरों की क्या हालत हो रही है? आज आपके हैन्डलूम जो हैं पहले ही बिक चुके हैं वह अब लेबर भी नहीं बन सकता है, उसकी कमर झुक गई है और दूसरी तरफ पावरलूम वाले भी बिक रहे हैं। मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं यहां से 20, 30 किलोमीटर बाराबंकी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं उन के लिए आज कोई खुराक नहीं है, उनके लिए कोई धंधा नहीं है लेकिन सरकार कहती है कि हम आपको सूत देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री भगवती प्रसाद—

अभी वह हमारे एक सेन्टर में जलालपुर गए थे उन्होंने कहा कि हम स्टीपुल धागा देंगे। लेकिन वह माल जो वह पैदा करेगा वह कहां जाएगा? उसे कोई खरीदने वाला नहीं है। उनके पास पैसा नहीं रह गया है तो वह सामान बाहर निकालेगा कैसे? वह अपना सामान कहां बेचे इसका कोई इन्तजाम नहीं है। सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री भगवती प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अनुपूरक बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। यों तो यह एक आवश्यकता ही होती है कि वर्ष के अन्त में कुछ खर्चे जिनका प्राविधान मूल बजट में नहीं होता या किसी मद में ज्यादा खर्च हो जाता है, उनके लिए सरकार अनुपूरक बजट के द्वारा सदन के सामने लाती है। इस पर चर्चा की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है पर चूंकि इस वर्ष में जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है वह अब एक विशेष परिस्थितियों में आया है और ये परिस्थितियां आपातकालीन घोषणा के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुई है, जो एक नई दिशा में देश को ले जाने वाली है, जो गरीब तबके को राहत देने वाला है। उन कार्यों की पूर्ति के लिए यह अनुपूरक मांगें यहां रखी गई है। इसको देखने से मालूम होता है कि कृषि के साधन बढ़ाने के लिए प्राविधान किया गया है और इसी प्रकार विद्युत् के लिए भी रुपया दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसी भी मदें हैं जो केवल टोकन ग्रांट के रूप में हैं।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आप पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप जारी रखें।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

तो इन बातों को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि इस पर आलोचना करने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु विरोध पक्ष के लोगों ने इस अनुपूरक बजट को राजनैतिक दृष्टि से लिया और तरह-तरह की बातें इस पर कही हैं। वह इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम से जो उपलब्धियां हुई हैं या जो नई दिशा प्राप्त हुई है, वह देश को आगे ले जाने वाली है। उससे वह इनकार नहीं कर सकते, परन्तु साथ ही साथ वे इन बातों की ओर इशारा करते हैं जैसे वह अनुपूरक बजट उससे भिन्न हो। इसमें जहां तक गरीब तबके को राहत देने की बात कही है, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विद्युत् उत्पादन में वृद्धि के लिए भी कहा गया है। पिछले दिनों में जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, राज्यपाल महोदय ने उसका अपने अभिभाषण में भी संकेत किया है और अखबारों तथा अन्य रिपोर्टों में भी हमने देखा है कि हमारा विद्युत् उत्पादन बढ़ा है। जब उत्पादन बढ़ाया गया है, तो उसकी लागत का भार भी हमको वहन करना है, ताकि आने वाले दिनो में और उसमें वृद्धि हो सके। पिछले दिनों जिस तरह से यहां महंगाई रोकी गई है, उत्पादन बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ है, आर्थिक विकास और आर्थिक उत्पादन में, आर्थिक बढ़ोत्तरी में जो प्रयास किया गया है, उसका फल हमें प्राप्त हुआ है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी इसमें प्राविधान किया गया है।

कुछ सदस्य कहते थे कि 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो क्या वे नहीं चाहते हैं कि हरिजनों को कृषि भूमि मिले, उनके रहने के लिए उनको भूमि आबंटित की जाए, जो दाम घट रहे हैं, उसे और नीचे लाया जाये, उत्पादक को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले, कारखाने के प्रबन्ध में उसके श्रमिकों का पार्टिशिपेशन हो? इससे वह इनकार नहीं कर सकते हैं, किन्तु वे इसका जो मखौल उड़ाते हैं, उससे स्पष्ट है कि वह वास्तव में उसे स्वीकार नहीं करते हैं और जो उसकी महत्ता है, उससे इनकार करते हैं। जहां एक ओर विद्यार्थियों को सस्ती पुस्तकें देने और पुस्तक बैंक खोलने की योजना चल रही है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। उसका भी प्राविधान इसमें किया गया है। इस अवसर पर जो अनुपूरक बजट यहां पर पेश हुआ है, यह उस दिशा की ओर हमको संकेत देता है जो 26 जून के बाद, एमरजेन्सी लागू होने के बाद जिस दिशा में हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं। यह भी कहा गया कि उनको जेल में डाल दिया और बन्द कर दिया, तो आज क्या यह नहीं है कि विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हजरतगंज में आन्दोलन नहीं कर रहे हैं, बाजारों में नारे नहीं लगा रहे हैं, रोडवेज की बसें चल रही हैं, तोड़-फोड़ नहीं हो रही है, कर्मचारी चिल्ला नहीं रहे हैं कि गाड़ी का चक्का नहीं चलेगा जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। आज कर्मचारी भी अपने स्थानों पर काम करने लगे हैं और उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप देश की खुशहाली बढ़ रही है, और उससे श्रमिक और कर्मचारी की भी क्रय शक्ति बढ़ रही है। तो इसको कार्यान्वित करने के लिए यह अनुपूरक बजट यहां पर पेश किया गया है। मैं आशा करता कि सभी पक्ष के लोग इसका समर्थन करेंगे और जो इनका लाभ है, उसको अन्यत्र भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है, उसमें जो खर्च दिखाया है, उसमें सरकारी अधिकारियों के जो भत्ते तथा उनकी गाड़ियों में जो खर्च हुए हैं, यही सब हैं और जो राज्यपाल के भत्ते, हेलीकाप्टर पर 1 लाख रुपए खर्च किया है यही सब है। कांग्रेस पक्ष के लोग ज्यादातर तरक्की की बात करते हैं लेकिन इसमें जो बात है वह सिवाय फजूलखर्ची के और कोई बात नहीं है। राजनैतिक शासन पक्ष के लोग खासतौर से विरोधी पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि ये राजनैतिक विरोध की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

बातें करते हैं। मैं इसमें एक बात रखना चाहता हूं जो सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चन्डीगढ़ अधिवेशन के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आयोजित किया गया था। चन्डीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 75वें अधिवेशन के अवसर पर 22 दिसम्बर, 1975 से 11 जनवरी, 1976 तक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमें विभिन्न राज्यों के साथ इस राज्य ने भी अपना पन्डाल लगाया था। पन्डाल बनाने तथा प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं तथा अन्य सफलताओं के प्रदर्शन करने हेतु उनके वहां ले जाने व आने के व्यय हेतु उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश को 10,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी। चूंकि चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में इस व्यय हेतु समुचित व्यवस्था नहीं थी। अत : राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर उक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी। अब आकस्मिकता निधि से अग्रिम ली गयी धनराशि की उक्त निधि में प्रतिपूर्ति की जानी है चूंकि इस व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के अन्तर्गत पर्याप्त बचत उपलब्ध है, अतएव केवल 100 रुपए की प्रतीक अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है। 10 लाख रुपए सिर्फ पन्डाल बनाने के लिए तथा सामान ले जाने और ले आने के लिए खर्च किया गया। यह 10 लाख रुपए कांग्रेस अधिवेशन पर खर्च हुआ होगा। तो यह बिलकुल राजनैतिक सुविधा में खर्च किया है या नहीं ? तो मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने जवाब में इसका उत्तर देंगे।

आपात स्थिति में पुलिस की जो निरंकुशता है, जो पुलिस को आपने स्वछन्द कर दिया, मैंने जो जानकारी हासिल की थी उससे मालूम हुआ कि पहले सही रिपोर्ट होती थी और सही जांच होती थी, लेकिन इस बार 99 फीसदी चालान कहीं तार काटने का दिखा कर, कहीं कुछ करने का दिखा कर कर दिया। इस वर्ष माननीय मुख्य मन्त्रित्वकाल में उनका प्रशासन चल रहा है। इस वर्ष गन्ने का जो मूल्य है, किसानों को जो मिला है, क्या वह न्यायसंगत है ? पिछले साल 13 साढ़े 13 रुपए दिए गए थे। चौधरी साहब ने 13 रुपए दिया था। इस साल कम मिला है। इन सब चीजों को देख कर तो पता चलेगा कि पिछले वर्ष से इस साल ज्यादा खर्च हुआ है लेकिन गन्ने का दाम घटाया गया। आलू को ले लीजिए गेहूं को ले लीजिए, इन सब चीजों की कीमत घट रही है। 80 प्रतिशत जनता जो खेती पर निर्भर कर रही है, उसका शोषण कर रहे हैं। उसकी आमदनी कम कर रहे हैं, हो सकता है कि 20 फीसदी लोगों का फायदा हो रहा है। यह आपकी बिलकुल असफलता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी जिनका मैं बड़ा प्रशंसक भी रहा हूं जो हमारे पहले नेता भी रहे हैं, वह अपनी नीति में परिवर्तन लायेंगे। यह गेहूं का मूल्य निर्धारित करने जा रहे हैं उसके लिए वह किसानों के श्रम और मूल्यों पर ध्यान देंगे। हमारे जिले में शारदा सहायक योजना चल रही है। चकबन्दी हो चुकी है जिसके खेत पड़ते हैं पूरे के पूरे इस योजना में पड़ जाते हैं। अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, उनकी जमीन ले ली गयी है। राजस्व विभाग की तरफ से लगान की कटौती नहीं की गयी है। उनसे लगान जबरदस्ती वसूल किया जाता है और कुर्की डिगरी होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं भूमि आबंटन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। विशेषकर बाराबंकी जिले के बारे में कहना चाहता हूं। भूमि आबंटन के सिलसिले में तिकड़म और रिश्वत का बोलवाला है। डिप्टी कलेक्टर, को तहसीलदार और नायब तहसीलदार से लेकर लेखपाल तक रुपया लेते हैं, अब उनको 2-2 सौ और 3-3 सौ रुपया मिल जाता है तो उसकी स्वीकृति हो जाती है। एक गांव में 10 हजार रुपया रिश्वत ली गयी। फतेहपुर के लोहटी, जई ग्रामों में पट्टे बन गए, लेकिन जमीन पर वही पुराने जमींदारों का कब्जा है और आगे भी उम्मीद नहीं है कि जिनको पट्टा दिया गया है, उनको जमीन मिल जाएगी। मैं कहता हूं कि यह बजट बिलकुल फर्जी है। मैं आशा करता हूं कि शायद आगे आने वाले बजट में इस बात का ध्यान रखा जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन के सामने जो अनुपूरक बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यावाद देता हूं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष जी मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूं कि जो प्रदेश के लिए समाजवादी बजट होना चाहिए आगे आने वाले बजट में उसका समावेश करेंगे। उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में किसानों की संख्या अधिक है और 80-85 फीसदी जनता कृषि पर निर्भर है। खेती से उत्पन्न होने वाले सामान की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं जब इस निगाह से इस बजट को देखता हूं, अपने गांव की दशा को देखता हूं तो असमंजस में पड़ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि किसानों के साथ उदारता का व्यवहार होना चाहिए। आप जानते हैं कि बिजली और पानी की कीमत बेहतहाशा बढ़ी है और गेहूं की कीमत पिछले साल 105 रु० कुन्टल थी और अब 80 रुपए कुन्टल हो गयी है। मैं चाहूगा कि जहां गेहूं की कीमत घटी है तो ट्रैक्टर की कीमत बढ़ी है। किसान को बिजली इस्तेमाल करना है वह जरूरत के मुताबिक है लेकिन उनको लेने में बड़ी दिक्कत है। मान्यवर, बिजली मन्त्री का ध्यान गांव की तरफ जाना चाहिए। उनका जो बिजली विभाग से 5 साल का समझौता है उसे बिजली विभाग के अधिकारी भंग नहीं करते हैं। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 4-5 साल किसानों को न बिजली मिली और न उन्हें कनेक्शन्स मिले लेकिन बिजली की कीमत उनसे जबरदस्ती ली जाती है। उनकी दशा की ओर बिजली के अधिकारी व कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते हैं। यदि कोई किसान प्रार्थना-पत्र देता है कि उसने बिजली नहीं लीं तो उसकी जांच भी करने को कोई अधिकारी नहीं जाता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो वित्त मन्त्री भी हैं, और विद्युत् मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन बिजली के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और जांच करायें। जो कर्मचारी सरकार के काम में दखल देकर उनके यश को खराब करना चाहते हैं और जो जनता का क्लेश बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए।

जहां तक नदियों के कटाव का सम्बन्ध है, उसकी ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। 15 वर्ष पूर्व जब हमारे प्रदेश के सिचाई मन्त्री, माननीय कमलापति त्रिपाठी थे उस समय उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत काम किए, चाहे वह घाघरा का किनारा हो, चाहे टोंस का किनारा हो चाहे जमुना का किनारा हो, चाहे गंगा का किनारा हो। सभी नदियों के किनारे पर जो गांव पड़ते थे जहां पर भीषण कटाव हर साल हो जाया करता था, उनके कटाव को रोकने के लिए, उनके डुबाव को रोकने के लिए उन्होंने लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया। जिन क्षेत्रों में पानी से गांव डूब जाते हैं जब मैं जाता हूं तो वहां की जनता कहती है कि उन गांवों में जो काम 15-20 साल पहले उनको ऊंचा करने के लिए हुआ था, वह फिर होना चाहिए लेकिन मैं देखता हूं कि इस अनुपूरक बजट में उस बारे में कोई प्रविधान नहीं किया गया परन्तु मैं आशा करता हूं कि आने वाले बजट में उन गांव वालों को बाढ़ से राहत देने का काम किया जायगा।

उस जमाने में वहां पर जो पीने के पानी के कुएं थे उनको भी ऊंचा किया गया था ताकि बाढ़ के समय में उनको शुद्ध पानी मिल सके लेकिन अब उनकी जगत नीचे हो गई है और उनमें बाढ़ का पानी भर जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरे साथ चलें तो आप देखेंगे कि कितनी बुरी हालत है। पिछले वर्ष की बाढ़ से जो राजा थे वे रंक हो गए हैं। नदियों ने उनके खेत के खेत काट दिए हैं। 10 हल की जो खेती करते थे वे आज अपना जीवन मजदूरी करके या लकड़ी काट कर और बेच कर बिता रहे हैं। यदि इस कार्य के लिए प्रदेश की सरकार के पास रुपया नहीं है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने संगठन के बल पर केन्द्रीय सरकार से पैसा लें जिससे इस होने वाले कटान को रोका जा सके। आज हजारों आदमियों को रहने को मकान नहीं हैं, खाने को गल्ला नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है तो ऐसे आदमियों को राहत देने पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मान्यवर, पिछले साल की बाढ़ बड़ी भीषण थी। पहले सरकार की ओर से नौकाओं का प्रबन्ध हुआ करता था। गांव सभा और सरकार दोनों मिल कर नावों का प्रबन्ध

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

करती थी परन्तु पिछले कई वर्षों से यह आइटम ही बजट से हटा दी गई है। पिछले साल की बाढ़ तो इतनी भयंकर थी जैसी कि वर्ष 1938 में आई थी। इससे बहुत सा इलाका घाघरा और अन्य नदियों के किनारे से कट गया था। महीना, दो महीने लगातार पानी खेतों में भरा रहा और चाहे वह धान की फसल हो चाहे ईख की फसल हो सब जलप्लावित हो गयी और घाघरा नदी के किनारे बसे हुए गांवों के किसानों की हालत बहुत खराब हो गयी। उस वक्त के मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में एलान किया था कि जो हमार प्रदेश के बाढ़ पीड़ित स्थानों के लड़के हैं उनकी विश्वविद्यालय स्तर तक की फीस हम माफ कर देंगे। लेकिन दुःख है कि वह वचन पूरा नहीं हुआ और विश्वविद्यालय स्तर तक के अपने प्रदेश के सैकड़ों की तादाद में गरीब लड़के बैठ गए। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और हर दिशा में सरकार को पैनी नजर रख कर सब कामों को करना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जिले में ही नहीं, कई जिलों में शारदा सहायक योजना चालू है। यह स्कीम बड़ी अच्छी है। करोड़ों रुपए खर्च करके धरती की प्यास बुझाने का काम हो रहा है और जिस दिन यह स्कीम पूरी हो जाएगी उस दिन 10-12 जिलों में अन्न की पैदावार तेजी से बढ़ेगी और जो आज हम विदेशों से भीख मांगते हैं अन्न की, वह नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन मैं आरजू करूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि जरा किसानों की ओर आप ध्यान रखें। जिस गांवों में चकबन्दी खत्म हो चुकी है, वहां के किसानों की हालत क्या है? जिस आदमी के खेत में शारदा नहर बनायी जा रही है अगर वहां चकबन्दी हो गयी है तो वह उजाड़ा जा रहा है और उसके पास एक अंगुल भी जमीन बचती नहीं है। मैंने पिछले दिनों माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर शारदा सहायक योजना चालू है उन गांवों में किसानों के खेत को यकाएक न लें, बल्कि चकबन्दी करा कर पूरी गांव सभा से जमीन निकाल कर नहर बनायी जाय। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हजारों किसान बिना जमीन के हो जायेंगे और उनके लिए शारदा सहायक नहर फायदा देने वाली नहीं होगी बल्कि नुकसान देने वाली होगी।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। अपने प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की हालत बड़ी खराब है। मैं शिक्षा मन्त्री से खासतौर से कहूंगा कि आजमगढ़ जिले में करीब 1 हजार प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पेड़ तले पढ़ाई होती है, लड़कों के बैठने की जगह नहीं है। मैंने जिला परिषद् के अध्यक्ष से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्षों से भवन निर्माण के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, साथ ही हमारे कोष में कुछ रुपया है उसको भी सरकार ने रोक रखा है। अगर वह रुपया ही खर्च करने की इजाजत मिल जाय तो करीब 3-4 सौ प्राइमरी स्कूलों को भवन देने में हम सक्षम हो जायेंगे, इस दिशा में शिक्षा मन्त्री की तेज बुद्धि जानी चाहिए और जो हमारे अबोध लड़के हैं उनको पढ़ने के लिए भवन का निर्माण होना चाहिए। साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल के अध्यापकों पर कोई कड़ाई नहीं है। मैं गांवों में घूमता हूं। आज सारे प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई शून्य सी है। कोई पढ़ाई-लिखाई वहां नहीं होती है। सारे अध्यापक बैठ कर पंचायत करते हैं। जो पुरानी पद्धति थी, मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि पहले के मुताबिक जिला परिषद् के अध्यक्षों के सिपुर्द इन स्कूलों को कर देना चाहिए जिससे कि वहां की पढ़ाई लिखाई ठीक हो सके अन्यथा अगर मौजूदा परिपाटी चालू रहेगी तो जो हमारी पढ़ाई का आधार है प्राइमरी और मिडिल स्कूल वह सत्यानाश हो जायगा, पढ़ाई का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आज देश की हालत बहुत ही गम्भीर है और सामान्य स्थिति नहीं है।

(इस समय 3 बजकर कर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जब सामान्य स्थिति नहीं है, तो सभी लोगों को, चाहे वह सरकार हो, चाहे हम लोग हों, चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों, चाहे जनता हो, अनुशासित होकर काम करने की आवश्यकता है। मान्यवर, अगर इस कसौटी पर हम देखें तो पिछले 8-10 महीनों में काफी सुधार हुआ है लेकिन अगर हर चीज को देखते हैं तो अभी तक हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए जहां हम इस पर सन्तोष कर लें कि अब हमारा काम सब ठीक हो रहा है। अभी हमारे बहुत से मित्रों ने इस बात का जिक्र किया कि बिजली के उत्पादन में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है, बहुत सुधार हुआ है। इसमें दो रायें नहीं हैं कि सुधार हुआ है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कनेक्शन लेने वालों की बाढ़ सी आ गयी है। मैंने अपने जिले की कमेटी में देखा और माननीया विद्युत् मन्त्री जी से मैंने सवाल भी किया है कि दो-दो, तीन-तीन साल से, एग्रीमेन्ट हुए हो गए हैं, बी0एल0 फार्म भर दिए गए हैं, प्राइवेट वालों को तो जाने दें जिए, जो 20 सरकारी नलकूप दो वर्ष के खड़े हैं उन तक को आज तक कनेक्शन नहीं मिला है। कहने का मतलब यह है कि जब हम देश को अनुशासित तरीके पर प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमारे विभाग जो हैं और जिनको हम रुपए देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमें फिक्स करनी होगी। अब आप श्रीमन्, देखें कि कितने ट्रान्सफारमर्स की कमी है। मैं आप से कहता हूं कि चोरी जाने वाले ट्रान्सफारमर्स को तो जाने दीजिए। मैं सुल्तानपुर जिले की बात कहता हूं। ट्रेन से जाते हुए मैंने देखा है कि सुल्तानपुर पावर हाउस के मैदान में दो तीन सौ ट्रान्सफारमर्स दो तीन साल से बरसात में खुले में पड़े हैं। इसी तरह से भदौही में भी मैंने देखा कि वहां बहुत से ट्रान्सफारमर्स बेकार पड़े हैं जिनकी मरम्मत करके उनसे काम लिया जा सकता है। लाखों रुपए के सीमेंट के खम्भे टूटे हुए भदौही से लेकर सरियांवा तक सड़क के किनारे बेकार पड़े हुए हैं। तो जब स्थिति नाजुक है, गम्भीर होती कम से कम हम सब को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो कुछ धन हम दे रहे हैं उस धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं और अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो उसको चेक करके उस पर कार्यवाही करने की जरूरत है।

मैंने एक सवाल किया था तो हमारे माननीय मन्त्री, श्री बलदेव सिंह आर्य ने जवाब दिया था कि अब हर चीज गांवों में किसानों व आम जनता के लिए सही रेट पर उपलब्ध है। फिर उन्होंने जवाब दिया कि सब को कार्ड दे दिया गया है। माननीया विद्युत् मन्त्री आप जानती हैं कि कार्ड तो आपके वक्त में ही दे दिया गया था। टाइम ऐसा आ गया है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि चीनी आज भी देहातों में किसानों को पर फैमिली 750 ग्राम या एक किलो ही मिलती है। और जब शादी आ जाती है तो उसी चीनी को जो देहातों को इन्तजाम करके दी जाती है, उनको काट कर शादी विवाह के लोगों को परमिट के द्वारा दी जाती है। अभी मन्त्री जो जवाब दे रहे थे, मालूम होता था कि कुछ जानते नहीं हैं या माननीय सदन को गुमराह करना चाहते हैं। श्रीमन् चीनी 5 रुपए किलो बिक रही है खुले बाजार में यह सबको ज्ञात होगा। सरकार ने जो भाव निर्धारित किया है वह है 2 रुपए 15 पैसे केवल। तो मेरा कहना था कि इस साल भी सरकार गेहूं लेगी तो पिछले साल जो सुविधा दी गयी थी, चीनी की, सीमेंट की और बहुत सी चीजों की जो कह रहे हैं कि वह तो खुले बाजार में आसानी से मिल रही हैं। यह है श्रीमन्, दृष्टिकोण का सवाल। दृष्टिकोण अगर सरकार नही बदलेगी तो श्रीमन्, विभागों का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। हर साल खर्च मनमाने तरीके से होगा और नतीजा क्या होगा कि सरकार को आखिर में सप्लीमेंटरी बजट पास करना पड़ेगा। उनके जायज और नाजायज खर्चे श्रीमन्, माननीय सदन को मंजूर करने पड़ेंगे, यह परम्परा हमेशा से चली आ रही है।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी, जो वित्त के बारे में बड़ा ज्ञान रखते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि आज वह मुख्य मन्त्री हैं। वह फटे हाल चलते रहे, बिला चप्पल के भी चले हैं, बिना खाए भी रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारा और हमारे प्रदेश का यह सौभाग्य है कि आज वह इस तरह से हमारे बीच से नीचे से उठकर इस सतह पर पहुंचे हैं, यह हमारा गौरव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जो हमारे वित्त मन्त्री हैं और वित्त के बारे में बहुत ही जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमको डर कहां होता

[श्री ऊदल]

है, माननीय मुख्य मन्त्री जो बड़े नम्र हैं, लेकिन यह राजकाज नम्रता से नहीं चलता है। साम-दाम-दन्ड व भेद, इसके बिना नहीं चलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं ज्यादा न कह कर कि आज संकट की घड़ी है, हमारे देश की जनतन्त्र की रक्षा के लिए, भीतरी और बाहरी खतरों का सामना जब हम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमको सबको अनुशासित होकर और जनता द्वारा दिए गए एक-एक पैसे का उचित उपयोग करना है। 28 सालों का वह जमाना बीत गया, लेकिन अब कम से कम, विनोबा जी के शब्दों में जिसका कि कल मजाक उड़ाया गया, प्रधान मन्त्री ने 4 नारे दिए, कड़ी मेहनत, अनुशासन, पक्का इरादा, दूर दृष्टि, इनको प्रधान मन्त्री ने कहा हो या किसी ने कहा हो, अच्छी बातें हैं, चाहे आप ही करें, अगर पक्का इरादा नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो देश नहीं बन सकता है। इसलिए

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं कहता हूं कि अब कम के कम पुराना जो रवैया है, जो लकीर के फकीर हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, इस प्रदेश को जनता की सुख सुविधा के लिए और इस प्रदेश से लिए जो हमारे देश का हृदय है, श्रीमन्, अगर इसकी तरक्की कर ली जायेगी, इसको ठीक दिशा की ओर ले जायेंगे तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान ऊपर उठ जायगा और हिन्दुस्तान का नाम सारे देश का नाम जिसको कि लोग बेचना चाहते हैं जिस नाम को लोग कलंकित करना चाहते हैं, इस हिन्दुस्तान का नाम दुनियां के नक्शे पर रोशन होगा, यही मुझे आपसे कहना था।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं उन सभी सम्माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कृपा पूर्वक इस अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष रूप के विरोधी दल के सम्मानित सदस्य, बरेली और भोजीपुरा का आभारी हूं कि उन्होंने अनुपूरक अनुदान में कोई कटौती का प्रस्ताव न देकर इसको सिद्धान्त : स्वीकार किया और इसमें जो कुछ भी मदें थीं, उन्हें मान्यता दी। श्रीमन्, यह सदन में शायद इतिहास में कभी ही हुआ हो कि अनुपूरक अनुदान में कटौती का प्रस्ताव न रखे जायं और मैं समझता हूं कि यह एक शुभ चिन्ह है। कल के भाषण के बाद मुझे कुछ चिन्ता हो गयी थी, लेकिन मैं अब उससे मुक्त हो गया परन्तु मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में यह भावना बनी रहेगी। मैं अपील और प्रार्थना करता हूं कि यदि यह भावना बनी रही तो देश और प्रदेश का अवश्य ही उपकार होगा। श्रीमन्, माननीय सदस्य, भोजीपुरा ने सामान्य विवाद शुरू करते हुए बहुत सी बातों का उल्लेख किया। उन्हें जो कठिनाइयां हुईं और जिस प्रकार उनके प्रति व्यवहार हुआ, उसका भी वर्णन किया। मुझे उससे अवश्य दुख हुआ। मैं जानता था कि उन्होंने कुछ महीने हुए कोई रचनात्मक वृत्ति से कार्य को निभाने की चेष्ठा की थी। इस सम्बन्ध में मैंने छानबीन की थी तो मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए और शायद वही लोग थे जिन्होंने वास्तव में ऐसा कार्य किया था जो आपातकालीन परिस्थितियों के कायदे और कानून के अन्दर नहीं आते थे। उनके बयान के फलस्वरूप ऐसी स्थिति आयी। फिर भी जिस सद्भावना से 20-सूत्री कार्यक्रम के कई सूत्रों का समर्थन व्यक्त किया मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे आशा है कि विरोधी दल के सदस्य कम से कम 20-सूत्री कार्यक्रम के रचनात्मक पहलुओं को स्वीकार करेंगे और उनमें अपना अपना योगादान देंगे। उन्होंने यह ठीक कहा कि कुछ मीसा के कानून में जो एलाउन्स देने की बात है, वह एलाउन्स दिए जाने चाहिए, दिया भी जा रहा है। मैं जब नेता विरोधी दल के सन्दर्भ में कुछ निवेदन करूंगा तो उस समय कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा कि कितने ऐसे बन्दियों को एलाउन्स दिया जा रहा है। यदि कहीं, कोई इस प्रकार की मांग आती है तो यह तो नहीं है कि इन्कार कर दिया जाय या एलाउन्स प्रत्येक को दिया जाय। लेकिन जहां पर इस प्रकार की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारियों को इस बात के आदेश दिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गए हैं। उन्होंने यह जिक्र किया कि यह बजट जो अनुपूरक बजट है, सम्पूर्ण बजट का एक तिहाई हो गया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की। चूंकि अनुपूरक बजट तो सामान्यतः हमारी वित्त प्रणाली के अभिन्न अंग हैं। होता यह रहा है कि साल में कई सप्लीमेन्टरी बजट आए हैं। इस साल तो एक ही पेश हुआ है। इसमें भी मुख्य मद जो है वह 248 करोड़ 86 लाख रुपए की है। यह मद मुख्यतः भारत सरकार से सम्बन्धित है। थोड़ी देर के लिए जो एडवान्सेज लिए जाते हैं उसके लिए रिजर्व बैंक से हर सरकार को समय-समय पर एडवान्सेज लेना पड़ता है और उन एडवान्सेज का फिर प्रतिदान करना पड़ता है। जब एडवान्सेज लिए गए तो उनको खर्चा करने के लिए बजटरी तरीके से यह भी जरूरी है कि उनको दिखाया जाय कि खर्च हुआ। एक तरफ आमदनी हुई और दूसरी तरफ खर्च हो। ऐसा नहीं है कि रुपया खर्च हो गया है और रुपया प्राप्त नहीं हुआ है।

मान्यवर, अभी यहां दो माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तो श्री राम सुन्दर पांडेय का और दूसरा ऊदल जी का। इनके साथ बहुत पहले से काम करने का सुअवसर मिला है। उन्होने यह बात ठीक कही कि उत्पादक व्यय किसानों की समृद्धि के लिए होना चाहिए। श्रीमन्, अनुपूरक बजट मूल बजट नहीं होता। कुछ अनिवार्य मदें और अगर मूल बजट में अधिक खर्च की अपरिहार्य आवश्यकता हो तो उसका प्राविधान अनुपूरक बजट में किया जाता है। इसमें जो नई मदें हैं वह ऐसी हैं जो उत्पादन बढ़ाने वाली हैं और जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं। इसमें आप देखेंगे कि 56 करोड़ रुपया जो ऋणों के सम्बन्ध में धनराशि है वह राज्य विद्युत परिषद् और ऋषिकेश हाइडिल स्कीम के लिए है। इस सदन की मान्यवर, यह नीति रही है कि तमाम खर्चों को कम करके बिजली और सिंचाई में ज्यादा पैसा लगायें। हमने एक तरफ तो अनुत्पादक मदों को कम किया है और दूसरी तरफ उन मदों में अधिक पैसा रखा है जिनसे गरीबी दूर होगी। पिछले पांच छः सालों में जो बजट प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला तो उसमें यही प्रायरिटी रही। जैसे-जैसे रुपया उपलब्ध हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रुपया दिया गया ट्रान्सफारमर के लिए, लाइनें बढ़ाने के लिए, बिजली की कमी को दूर करने के लिए।

श्रीमन्, यह सदन में लगातार चर्चा रही है कि बिजली की कमी है। इस माननीय सदन के कार्य में भी बिजली के अभाव के कारण कभी-कभी बाधा पड़ी। बिजली की आपूर्ति हो तो प्राथमिकता की रण नीति हमारी यही रही कि बिजली और सिंचाई में ज्यादा खर्च करें। भारत सरकार से भी हमने मांग की और उन्होंने कृपापूर्वक हमें 45 करोड़ रुपया दिया। इसमें मनेरी भाली ऋषिकेश चिल्ला योजना को पैसा देने के लिए प्राविधान है। दस हजार ट्यूबवेल्स के निर्माण के लिए इसमें पैसा रखा गया है। माननीय ऊदल जी ने कहा कि ट्यूबेल्स हैं लेकिन कहीं लाइन नहीं है, कहीं गूल नहीं है तो कहीं ट्रान्सफारमर्स नहीं हैं। 20 करोड़ 79 लाख रुपया दस लाख ट्यूबवेल्स के निर्माण के लिए इसमें दिया गया है। शारदा सहायक योजना में गूल आदि बनाने के लिये और 15 पम्प कैनाल्स के निर्माण के लिए भी प्राविधान किया गया है। किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए 37 करोड़ 61 लाख का प्राविधान है। साथ ही कीट नाशक औषधियों के लिए भी धनराशि रखी गयी है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा तो मैं उनसे सहमत हूं कि खाद के दाम पिछले वर्षों में बढ़े लेकिन वह यह भी भली भांति जानते हैं कि खाद के दाम इसलिए बढ़े कि विश्व में तेल संकट आया। 66 फीसदी खाद हम आयात करते रहे हैं और खाद की जो ज्यादा कीमत देनी पड़ी उससे खाद के दाम बढ़े। लेकिन भारत सरकार एक हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती रही है खाद के दाम कम करने के लिए। इस बीच में केन्द्रीय बजट में जो रियायतें दी गयी हैं उनसे भी खाद के दामों में कमी हो रही है और अब किसानों को यह बात बताने में ज्यादा सहूलियत होंगी। पिछले वर्ष जो दाम ज्यादा हो गए थे तो वह एक प्रकार से इन्फ्लेशनरी प्राइसेज थीं। वह दाम मुद्रा स्फीति और अप्राकृतिक कारणों से बढ़ गए थे।

इसको हम महंगाई कह सकते हैं उचित दाम नहीं कह सकते हैं। किसान भी स्वीकार करेंगे कि अप्राकृतिक रूप से तथा मुद्रास्फीति के कारण वह दाम बढ़ गए थे और जानकार

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

किसान उसको स्वीकार करेंगे। हमारी नीति इस प्रकार की है कि कीमतों में सन्तुलन आए जिससे कि हमारी टैक्स नीति और दाम नीति का सन्तुलन बना रहे। मान्यवर, बाइ योजनाओं में ढाई करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से गन्डक और रामगंगा कमान्ड क्षेत्र के लिए, विकास निगम के लिए भी प्राविधान किए गए हैं। राम गंगा कार्य को पूरा करने के लिए 2 करोड़ 37 लाख रुपए का प्राविधान है।

श्रीमन्, इन सब बातों को देखने से माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह अनुपूरक बजट इस राज्य की जो जरूरी आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति के लिए है और यह जो मूल बजट है उसके पूरक बजट के रूप में जो हमारी योजनायें हैं, उनका अभिन्न अंग है। उनके लिए धन जुटाने के लिए जो धन हमको भारत सरकार से प्राप्त हुआ है उसका प्रविधान करने के लिए है। इसमें एक तरफ प्राविधान करने के लिए है। इसमें एक तरफ आमदनी है तो दूसरे और खर्च भी है और इसी को देखने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। जब मैं परसों आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करूंगा तो इस बजट में जो संस्तुतियां हैं वे सारी इस बजट में स्पष्ट हो जायेंगी। जिस भावना से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बजट में कोई कटौती का, प्रस्ताव नहीं उपस्थित किया उसी प्रकार से इस बजट के विभिन्न अनुदानों को भी वे स्वीकार करेंगे।

1975–76 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से वह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत 54,96,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत 54,96,600 रुपए की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 3—मन्त्रि-परिषद्

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मन्त्रि-परिषद् के अन्तर्गत 0,08,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—मन्त्रि-परिषद् के अन्तर्गत 0,08,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4—न्याय-प्रशासन

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 9,17,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 9,17,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री बीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 14,03,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 14,03,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11--बिक्री-कर

श्री अम्मार रिजवी--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--बिक्री-कर के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11- बिक्री-कर के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12--मोटर गाड़ियों पर कर

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12--मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत 2,85,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत 2,85,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति

श्री अम्मार रिजवी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18—सचिवालय

श्री अम्मार रिजवी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन

श्री अम्मार रिजवी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 67,95,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 67,95,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20—कोषागार लेखा-प्रशासन

श्री अम्मार रिजवी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 12,10,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 12,10,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21-पुलिस

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 5,07,58,100, रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 5,07,58,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22-कारागार

श्री धर्मवीर—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 1,39,61,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 1,39,61,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23-लेखन-सामग्री और मुद्रण

श्री अम्मार रिजवी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 18,70,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 18,70,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24-सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,44,306, रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्य 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,44,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 91,51,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 91,51,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें के अन्तर्गत 2,37,44,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें के अन्तर्गत 2,37,44,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की गाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—शिक्षा

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 3,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 3,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 9,42,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 9,42,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31--चिकित्सा

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा के अन्तर्गत 2,37,13,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा के अन्तर्गत 2,37,13,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32--परिवार नियोजन

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--परिवार नियोजन के अन्तर्गत 400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--परिवार नियोजन के अन्तर्गत 400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 6,78,30,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 6,78,30,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34--आवास भवन

श्री यशपाल सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--आवास भवन के अन्तर्गत 6,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--आवास भवन के अन्तर्गत 6,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन

विद्युत राज्य मन्त्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत 22,69,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत 22,69,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (डा0 चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक, सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 13,28,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 13,28,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत 48,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत 48,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41—सहकारिता

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री विजय कुमार)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 2,40,08,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 2,40,08,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 51,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 51,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44—कृषि

कृषि राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—कृषि के अन्तर्गत 3,07,43,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—कृषि के अन्तर्गत 3,07,43,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 45--सामुदायिक विकास

श्री रामजी लाल सहायक—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अ यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46---भूमि तथा जल संरक्षण

श्री चेतराम गंगवार —

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46– भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत 30,24,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत 30,24,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48---खाद्य तथा पोषाहार

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 30,83,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48---खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 30,83,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49---पशुपालन

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत 800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत 800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—दुग्ध शाला (डेरी) विकास

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत 600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत 600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52—वन

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत 31,95,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत 31,95,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—उद्योग

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—उद्योग के अन्तर्गत 16,90,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—उद्योग के अन्तर्गत 16,90,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ग्राम्य एवं लघु उद्योग

लघु उद्योग मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 54—ग्राम्य एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—ग्राम्य एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55—खानें तथा खनिज

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—खानें तथा खनिज के अन्तर्गत 2,35,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55—खानें तथा खनिज के अन्तर्गत 2,35,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मुहम्मद खां)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,00,90,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—राजस्व से लिए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 6,00,90,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 3,42,80,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 3,42,80,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

59—सिविल विमानन

अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत 1,22,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत 1,22,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60—संचार साधन

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत 2,40,87,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत 2,40,87,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 18,95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 18,95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 3,88,42,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 3,88,42,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत 41,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत 41,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65—पर्यटन

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत 3,34,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत 3,34,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत 400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 28,05,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 28,05,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 71,16,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 71,16,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री यशपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 91,46,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 91,46,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 34,79,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 34,79,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री विजय कुमार—

माननीय अ यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 86,69,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 86,69,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,24,25,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,24,25,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 2,50,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 2,50,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 37,61,12,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 37,61,12,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री रामजी लाल सहायक—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,15,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,15,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 20,78,58,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 20,78,58,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 82—बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री जगन्नाथ चौधरी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,37,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,37,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री यशपाल सिंह—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 43,09,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 43,09,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम-शिक्षा

श्री अम्मार रिजवी—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा के अन्तर्गत 3,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--ऋण और अग्रिम--शिक्षा के अन्तर्गत 3,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88--ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 88--ऋण और अग्रिम–स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 1,94,40,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 1,94,40,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 89---ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 89--ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत 15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89--ऋण और अग्रिम–सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत 15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90---ऋण और अग्रिम-उद्योग

श्री अम्मार रिजवी—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90--ऋण और अग्रिम–उद्योग के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90---ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91---ऋण और अग्रिम सहकारिता

श्री विजय कुमार—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–ऋण और अग्रिम–सहकारिता के अन्तर्गत 27,20,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत 27,20,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम-कृषि

श्री चेतराम गंगवार—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम–कृषि के अन्तर्गत 300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम–कृषि के अन्तर्गत 300 रुपयों की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम–विद्युत

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 94–ऋण और अग्रिम–विद्युत् के अन्तर्गत 51,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम–विद्युत् के अन्तर्गत 51,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम-परिवहन

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 96–ऋण और अग्रिम–परिवहन के अन्तर्गत 2,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम–परिवहन के अन्तर्गत 2,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1975–76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1975–76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1975–76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976

31 मार्च, 1976 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक नाम।

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1975-76 के लिये 4,24,43,51,900 रुपयों का दिया जाना विनियोग

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1976 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4,24,43,51,900रु0 (केवल चार अरब, चौबीस करोड़, तैंतालिस लाख, इकावन हजार नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1976 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	54,96,600	1,81,900	56,78,500
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	3,98,300	3,98,300

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

अनुसूची—(असमाप्त)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		बिधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
3	मंत्रि परिषद् ..	9,08,400	..	9,08,400
4	न्याय प्रशासन ..	9,17,400	8,06,200	17,23,600
7	भू-राजस्व ..	100	76,45,900	76,46,000
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण ..	14,03,800	..	14,03,800
10	राज्य आबकारी ..	..	8,500	8,500
11	बिक्री–कर ..	300	..	300
12	मोटर गाड़ियों पर कर ..	2,85,000	..	2,85,000
13	अन्य कर और शुल्क ..	..	1,100	1,100
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति ..	100	..	100
*16	व्याज का भुगतान ..	..	5,67,64,100	5,67,64,100
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	7,75,800	7,75,800
18	सचिवालय ..	1,200	49,300	50,500
19	जिला प्रशासन ..	67,95,100	10,000	68,05,100
20	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	12,10,300	..	12,10,300
21	पुलिस	5,07,58,100	18,000	5,07,76,100
22	कारागार ..	1,39,61,400	..	1,39,61,400
23	लेखन–सामग्री और मुद्रण ..	18,70,300	..	18,70,300
24	सार्वजनिक निर्माण–कार्य ..	6,44,300	..	6,44,300
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें ..	91,51,200	14,600	91,65,800
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें ..	2,37,44,300	1,000	2,37,45,300
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें ..	100	..	100
28	शिक्षा	3,500	27,200	30,700
29	कला एवं संस्कृति ..	9,42,500	..	9,42,500
31	चिकित्सा ..	2,37,13,800	1,21,500	2,38,35,300
32	परिवार नियोजन ..	400	1,200	1,600
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	6,78,30,400	..	6,78,30,400
34	आवास भवन ..	6,00,000	1,24,000	7,24,000
36	सूचना तथा प्रचार ..	200	..	200
37	श्रम एवं सेवायोजन ..	22,69,000	..	22,69,000
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	13,28,500	1,200	13,29,700
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	48,500		48,500
41	सहकारिता ..	100	..	100
42	विशेष तथा पिड़ेछ हुये क्षेत्र	2,40,08,600	..	2,40,08,600
43	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	51,500	..	51,500

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची—(असमाप्त)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
44	कृषि	3,07,43,800	96,900	3,08,40,700
45	सामुदायिक विकास ..	300	32,600	32,900
46	भूमि तथा जल संरक्षण ..	30,24,500	..	30,24,500
48	खाद्य तथा पोषाहार ..	30,83,700	..	30,83,700
49	पशुपालन ..	800	..	800
50	दुग्धशाला (डेरी) विकास ..	600	..	600
51	मत्स्य उद्योग ..	300	..	300
52	वन	31,95,400	22,500	32,17,900
53	उद्योग	16,90,400	99,100	17,89,500
54	ग्राम एवं लघु उद्योग ..	700	..	700
55	खाने तथा खनिज ..	2,35,800	1,500	2,37,300
57	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण–कार्य ..	6,00,90,000	..	6,00,90,000
58	सिंचाई अधिष्ठान ..	3.42,80,100	..	3,42,80,100
59	सिविल विमानन ..	1,22,300	..	1,22,300
60	संचार साधन ..	2,40,87,500	..	2,40,87,500
61	कार्यात्मक भवन ..	18,95,000	..	18,95,000
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान ..	3,88,42,000	..	3,88,42,000
64	सड़क तथा जल परिवहन ..	41,500	..	41,500
65	पर्यटन	3,34,200	..	3,34,200
66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	400	..	400
67	सार्वजनिक निर्माण–कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	28,05,600	..	28,05,600
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	71,16,200	..	71,16,200
70	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	91,46,900	..	91,46,900
71	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	34,79,000		34,79,000
72	सहकारिता तथा डेरी विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,000	..	1,000
73	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	86,69,900	..	86,69,900

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3,24,25,300	..	3,24,25,300
75	जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर	2,50,000	..	2,50,000
76	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	37,61,12,900	42,700	37,61,55,600
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,15,00,000	..	1,15,00,000
79	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	100	..	100
81	सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	20,78,58,100	..	20,78,58,100
82	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,37,00,000	..	2,37,00,000
83	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	43,09,500	..	43,09,500
84	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	100	..	100
*86	राज्य सरकार के ऋण	..	2,48,86,40,600	2,48,86,40 600
87	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	3,00,000	..	3,00,000
88	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन	1,94,40,700	..	1,94,40,700
89	ऋण और अग्रिम– सहायता एवं पुनर्वासन	15,000	..	15,000
90	ऋण और अग्रिम—उद्योग	1,000	..	1,000
91	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	27,20,300	..	27,20,300
92	ऋण और अग्रिम—कृषि	300	..	300
94	ऋण और अग्रिम—विद्युत	51,10,00,000	..	51,10,00,000
96	ऋण और अग्रिम–परिवहन	2,80,00,000	..	2.80,00,000
	योग	.. 1,68,84,66,200	2,55,58,85,700	4,24,43,51,900

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम–संख्या।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपुरक) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1975-76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

निगम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं। इन दोनों के लिये राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर है, इसलिये यह अग्राह्य हैं;

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। हमारे जिले के सबसे बड़े कस्बे में थाने से लगा हुआ गांव भडसार है। होली का दिन था। होलिका दहन के मामले को लेकर, होली जलाने के मामले को लेकर दोनों पार्टियों में रंजिश चल रही थी। दूसरे दिन जुलूस के ऊपर गोलियां बरसायी गयीं। तमाम लोग घायल हुये। वहां के हास्पिटल में दवा नहीं की जाती है। सदर अस्पताल में दाखिल किया जाता है। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और क्या घटना होगी? बड़ी महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

यह महत्वपूर्ण है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। और इसका जवाब अगर वह न दें.....

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, अगर निश्चित उत्तर प्राप्त न हो तो कोई बोल कर क्या करे?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर मिलेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। वहां ऐसा दरोगा है जिसने मोहर्रम के जमाने में पी0 पी0 गंज में फसाद कराया था। अध्यक्ष महोदय, 18 आदमियों को, जिनमें 2 महिलायें भी शामिल हैं, उनको गोलियां लगी हैं। बहुत कहने सुनने पर उच्च अधिकारियों के पहुंचने पर मुकदमा कायम किया। फर्जी मुकदमें भी कायम किये हैं। जो घायल हैं उन पर डकैती का मुकदमा कायम किया है। बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजे देता हूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मेरा निवेदन है कि वक्तव्य के लिये रख दें, इससे इम्पारटेंट और कौनसी चीज है?

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य मंत्री के पास भेजे देते हैं।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, ओला पड़ा है। फसल को क्षति हुयी है इसको भी आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

भेजे देता हूं।

अब हम आपको धन्यवाद देते हुये आज उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
24 मार्च, 1976

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38(2) के अंतर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 161 पर।]

सूची

1—कु0 अशोक कुमारी
2—कु0 राज कुमारी
3—कु0 राजपती देवी
4—कु0 तारावती देवी
5—श्रीमती मिथिलेश कुमारी
6—कु0 सुरेन्द्र कौल
7—कु0 चन्द्रा देवी
8—कु0 आशा कुमारी
9—श्रीमती वी0 बी0 जौहरी
10—श्रीमती विमला देवी
11—कु0 फूलमती
12—कु0 कान्ती देवी
13—श्रीमती कान्ती देवी
14—कु0 शीला देवी
15—श्रीमती माया देवी
16—कु0 राज सजीवनी
17—कु0 ननकई देवी
18—कु0 बीना मेहरोत्रा
19—कु0 रेणुका सिंह
20—कु0 प्रेमा खरे
21—श्रीमती सत्यवती
22—श्रीमती रामसिया देवी
23—श्रीमती एजाज फात्मा
24—श्रीमती कमलेश रस्तोगी
25—कु0 कान्ती श्रीवास्तव
26—श्रीमती कामिनी देवी।

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 166 पर।]

इलाहाबाद के तहसील सिराथू में फरवरी से 15 मार्च, 1975 तक नलकूपों के बन्दी तथा उनके चालू होने की सूची

नलकूप संख्या तथा ग्रुप	दिनांक बन्दी	दिनांक चालू
1	2	3
1—16 के ककोड़ा	.. 11-1-75	10-2-75
2—17 के 0 जमलामऊ	.. 13-1-75	10-2-75
3—23 के 0 अन्दावों	.. 1-2-75	4-2-75
4—25 के 0 कादीपुर	.. 7-2-75	17-2-75
	24-2-75	6-3-75
5—10 के 0 नन्दसैनी	.. 10-2-75	23-2-75
6—2 के 0 अजीजपुर	.. 19-2-75	24-2-75
7—13 के 0 केसरिया	.. 1-3-75	10-3-75
8—12 के 0 बमरौली	.. 5-3-75	6-3-75

नत्थी 'ग']

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 187 पर।)

तालिका

अध्यापकों की मांगें	कार्यवाही जो की गयी
1—विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मई, 1973 से सितम्बर, 1974 तक बढ़े हुए महंगाई का भुगतान।	1—सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मई, 1973 से सितम्बर, 1974 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान हो चुका है।
2—अक्तूबर, 1974 से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ही नव नियुक्त 6 अध्यापकों का अक्तूबर, 1974 और नवम्बर, 1974 का बकाया वेतन भुगतान।	2—भुगतान किया जा चुका है।
3—श्री लाल बचन चपरासी का जनवरी 1974 से दिसम्बर, 1974 तक बकाया वेतन भुगतान।	3—विभाग के विचाराधीन है।
4—श्री जगदीश नारायण गुप्त, श्री भोला शंकर पाण्डेय, श्री बलराम शुक्ल, श्री मंगेश्वर पाण्डेय तथा सभी कला, संगीत, व्यायाम और कताई बुनाई शिक्षकों का नए वेतनमान के अनुसार निर्धारित वेतन भुगतान।	4—सर्वश्री जगदीश नारायण गुप्त, भोला शंकर पाण्डेय, बलराम शुक्ल, मंगेश्वर पाण्डेय का नए वेतनमान में निर्धारित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। बकाया का भुगतान नहीं किया जा सका है उसके लिए विद्यालय से पावना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ है।
5—श्री बृजेन्द्र प्रताप पाण्डेय की 18 माह का वेतन वृद्धि का भुगतान।	5—पावना-पत्र विद्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ है।
6—श्री विद्यासागर तिवारी और श्री भागवत शरण मिश्र, डिमान्स्ट्रेटर के 1969 से मार्च, 1974 तक बढ़े हुए वेतन के अनुसार निर्धारित वेतन का अवशेष भुगतान।	6—इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पुनः जांच की जा रही है।
7—विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का नवम्बर 1974 के वेतनवृद्धि का भुगतान।	7—सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का नवम्बर 1974 के वेतनवृद्धि का भुगतान हो चुका है।
8—सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतनवृद्धि नया भुगतान।	8—नए वेतनवृद्धियां नियमानुसार दी जा रही हैं।
9—प्रतिमाह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का नियमित वेतन भुगतान।	9—नियमित वेतन देने का प्रयास किया जा रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 190 पर।)

मांगें मकतब इम्पलाईज यूनियन, बहराइच

1—वक्फ बोर्ड के अधिकारी बहराइच के प्राचीन मकतबों को बन्द करने का षड़यन्त्र न करें।

2—अध्यापकों को ट्रेन्ड अन्ट्रेन्ड का बहाना लेकर निकालने के यत्न न किए जायं—बल्कि उन्हें ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी ली जाय और ट्रेनिंग सम्बन्धी खर्चे दिए जायं।

3—वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा फरवरी, 1973 में अध्यापकों से किये गए समझौते के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से लागू किए जायं और बकाया तुरन्त भुगतान किया जाय।

4—समझौते के अनुसार प्राविडेन्ट फन्ड कायम किया जाय।

5—चूंकि समझौता सन् 1973 की हालत को ध्यान में रख कर किया गया था। अत: महंगाई बढ़ जाने के कारण दूसरा पे कमीशन गठित करके उसकी सिफारिशों के अनुसार अध्यापकों के वेतन-क्रम लागू किए जाएं।

6—मकतबों की शिक्षा सलाहकार समिति को बहाल किया जाय और उसे मकतबों के मामले तय करने का पूर्ण अधिकार दिया जाय। सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर वक्फ बोर्ड अथवा दरगाह शरीफ के किसी अधिकारी का कब्जा न रखा जाय।

7—एजूकेशन बजट अलग कायम किया जाय। बैंक में भी एजूकेशन एकाउन्ट अलग कायम किया जाय जिसमें एजूकेशन के साल भर की अनुमानित खर्च की रकम का कम से कम 2/3 भाग अप्रैल मास में अवश्य जमा करने का प्रबन्ध किया जाय। प्रत्येक मास की अन्तिम तिथि को वेतन वितरण का पाबन्दी से बन्दोवस्त किया जाय।

8—मकतबों के जरूरी सामान की कमी तुरन्त पूरी की जाय।

9—मकतब के इम्पलाईज यूनियन बहराइच को मान्यता प्रदान की जाय तथा मकतब प्राइमरी काजीपुरा में यूनियन का कार्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

10—वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर श्री सईद अहमद को हटाया जाय।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 191 पर।)

तहसील संडीला जिला हरदोई की न्याय पंचायतवार जनसंख्या एवं चीनी कोटेदारों की विवरणी

क्रम संख्या	विकास खंड का नाम	न्याय पंचायत का नाम	जन-संख्या	चीनी कोटेदारों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	संडीला	गोसवा डोंगा	9,603	2	
2		सोम . .	5,454	1	
3		मलेहरा . .	9,136	2	
4		बेगमगंज . .	8,727	1	
5		ककराली . .	10,776	2	
6		गौसपुर मोहम्मदपुर	8,905	2	
7		लूमामऊ . .	10,864	2	
8		महिगवां . .	9,913	रिक्त	इस न्याय पंचायत के राशन कार्ड चीनी वितरण हेतु न्याय पंचायत लूभामऊ के चीनी कोटेदार से सम्बन्द्ध कर दिए गए हैं।
9		सिकरोहरी . .	6,538	2	
10	भरावन . .	ढिकुन्नी . .	12,184	1	
11		भटपुर . .	11,071	रिक्त	इस न्याय पंचायत के राशन कार्ड चीनी वितरण हेतु न्याय पंचायत खसरोल के चीने कोटेदार से सम्बद्ध कर दिए गए हैं।
12		परसा मोहीउद्दीनपुर	8,750	1	
13		भरावन . .	12,763	2	
14		गोढवा खास . .	9,146	1	
15		मांझगांव . .	10,483	2	
16		खसरौल . .	7,250	2	
17		पीपरगांव . .	10,229	2	
18		पोवायां नौबां	8,757	1	
19	कछौना . .	कछोना . .	6,665	2	
20		पतसेनी . .	11,101	2	
21		बिरौली . .	7,534	1	

1	2	3	4	5	6
22	कछौना	बालामऊ ..	7,706	रिक्त	इस न्याय पंचायत के राशन कार्ड चीनी वितरण हेतु न्याय पंचायत एतसेनी के चीनी कोंटेदार के सम्बद्ध कर दिए गए हैं।
23		गौसगंज ..	10,338	2	
24		खजोहना ..	7,805	1	
25		गाजू ..	11,756	1	
26		हथौड़ा ..	13,648	2	
27	बेंहदर ..	वेंहदर खुर्द ..	8,106	2	
28		हिया ..	7,814	2	
29		असही आजमपुर	8,390	2	
30		सिधवल पलिहाबाद	9,261	1	
31		धुधेरा ..	10,214	2	
32		समोधा ..	6,162	रिक्त	इस न्याय पंचायत के राशनकार्ड चीनी वितरण हेतु न्याय पंचायत हथौड़ा से चीनी के कोटेदार से सम्बद्ध कर दिए गए हैं।
33		बड़ा गांव ..	9,875	1	
34		दिवारी ..	9,075	2	
35		बहलालपुर ..	11,865	2	
36		सरवें ..	8,254	2	
37	कोथावां ..	बेनीगंज देहात	14,768	1	
38		गौरी कोथरवा ..	15,553	3	
39		जरौआ तिगावा ..	8,627	1	
40		बेरीआ ..	10,573	रिक्त	इस न्याय पंचायत के राशन कार्ड चीनी वितरण हेतु न्याय पंचायत नगवा के चीनी के कोटेदार से सम्बद्ध कर दिए गए हैं।
41		पलिया रायसिंह	7,134	1	
42		कल्यानमल भूड़	11,869	2	
43		उमरारी ..	10,646	2	
44		जनगांव ..	8,513	2	

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 193 पर।)

जनपद गोरखपुर में हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं को वित्तीय वर्ष 1974-75 में दिए गए धनराशि का विवरण।

क्रम संख्या	हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों का नाम जिसमें कक्षा–1 से पढ़ाई होती है	वर्ष 1974-75 में दी गई धनराशि	वर्ष 1973-74 में दी गई धनराशि
1	2	3	4
1	इन्द्रा गांधी उ0 मा0 वि0, राजापारो जलवल	..	13,575.00
2	महातमराव स्मारक उ0 मा0 वि0, जंगल एवला नं0 2	..	1 ,985.50
3	पंचायत इन्टर कालेज, परतावल बाजार ..	7,912.00	9,827.00
4	नीना थापा इन्टर कालेज, कूड़ाघाट ..	..	9,029.00
5	एम0 पी0 पी0 आर्य कन्या इन्टर कालेज, गोरखपुर।	19,788.00	18,007.00
6	रामदेई देवी कन्या उ0 मा0 वि0, अलीनगर	20,372.00	..
7	इमाम बाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इन्टर. कालेज, गोरखपुर।	27,901.00	..
8	महराजगंज इन्टर कालेज, महराजगंज ..	2,717.00 (3,386.00 कालातीत)	
9	लल्लन द्विवेदी उ0 मा0 वि0, ब्रह्मपुर ..	3,499.00 (कालातीत हो गया)	4,074.00
10	मुर्तजा हुसैन, उ0 मा0 वि0, गोरखपुर ..	8,602.00	7,345.00
11	भारतीय उ0 मा0 वि0, राजाबारी, जसवल	..	17,304,00
12	विशेश्वर उ0 मा0 वि0, मीठाबेल ..	..	3,074,00
13	उ0 मा0 वि0, भटौली, बाजार (बांसगांव)	1,737.00	4,380.00
14	जनता उ0 मा0 वि0, इन्द्रपुर ..	6,644.00	2,746.00
15	जनता इन्टर कालेज, भिटौली बाजार (महराजगंज)	3,844,00 (2,862.00 कालातीत हो गया)	
16	महाजन बालिका उ0 मा0 वि0, चौरीचौरा	2,914.00	9.277.50
17	भगीरथ कृषक उ0 मा0 वि0, भगीरथनगर	6,887	..
18	लाल बहादुर शास्त्री उ0 मा0 वि0, मथुरा-नगर।	17,762.00	..
19	मोतीराम द्विवेदी इन्टर कालेज, फरेंदा, आनन्दनगर।	32,482.00	..
20	विशम्भर नाथ जनता उ0 मा0 वि0, रतन-पुरजारा।	3,389.00	2,389.00

1	2	3	4
21	राजा रतनसेन स्मारक उ0 मा0 वि0, निचलौल।	2,550.00 (पी0 एल0 ए0 में)	..
22	लाल बहादुर शास्त्री उ0 मा0 वि0, राजपुर	4,396.00 (पी0 एल0 ए0 में)	2,786.00
23	जवाहर शिक्षा निकेतन उ0 मा0 वि0, जंगल-बब्बन।	8,754.00	..
24	मौलाना आजाद उ0 मा0 वि0, पुराना गौरखपुर।	6,677.00	6,159.00
25	राष्ट्रीय उ0 मा0 वि0, रेलवे बौलिया कालोनी	6,118.50	5,962.25
26	नवभारत कृषक उ0 मा0 वि0, मदनपुरा ..	..	5,395.00
27	आजाद उ0 मा0 वि0, रुनुआ पोखरां भिन्डा	8,877.00	19,884.00
28	वीर शिवाजी उ0 मा0 वि0, सरहरी ..	4,422.00	..
29	राधा कुमारी इन्टर कालेज, ठूठीबारी ..	6,081.00	..
30	नेहरू उ0 मा0 वि0 बिछिया रेलवे कालोनी	17,748.00	..
31	नेता सुभाष कृषक इन्टर कालेज, बाकी विनोद नगर।	15,944.00	..
32	जवाहर लाल नेहरू, उ0 मा0 वि0, तिलोरा	8,192.00	..
33	श्याम कृष्ण उ0 मा0 वि0, थवईपार ..	14,224.00	..
34	गोरखपुर गर्ल्स इन्टर कालेज, रायगंज ..	..	..
35	नेहरू स्मारक बालिका विद्यालय, मुन्डेरा बाजार।	..	..
36	एन0 ई0 रेलवे उ0 मा0 वि0, गोरखपुर	..	..
37	कछार उ0 मा0 वि0, गजपुर ..	..	..
38	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठा मुकुन्दपुर	..	..

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 194 पर।)

प्रत्येक पाठशाला की इमारत बनवाने की धनराशि तथा स्थान की सूची

वर्ष 1967–68 के भवन अनुदान की सूची

1	क0 पा0 सोहरवा चक	..	3,000.00	पूर्ण
2	क0 पा0 बेलहन	..	3,000.00	,,
3	क0 पा0 शुकुलपुरवा	..	3,000.00	,,
4	प्रा0 कमरतल्ला	..	3,000.00	,,
5	प्रा0 मंगला	..	3,000.00	,,
6	प्रा0 रमवापुर	..	3,000.00	,,

वर्ष 1968–69

1	प्रा0 पाठशाला डिकरा	..	3,000.00	अपूर्ण
2	प्रा0 फरदा सुमेरपुर	..	3,000.00	,,
3	प्रा0 सिरसच	..	3,000.00	,,

वर्ष 1969–70

1	प्रा0 गंगापुरवा	..	5,000.00	पूर्ण
2	क0 पा0 बंशपुरवा	..	5,000.00	,,
3	क0 पा0 गुडारी	..	5,000.00	,,
4	राजापुर माफी	..	5,000.00	,,
5	क0 पा0 वेलवाभोपतपुर	..	5.000.00	,,
6	क0 पा0 केशवापुर	..	5,000.00	,,
7	भदौली	..	5,000.00	,,
8	पुलिस लाईन	..	5,000.00	,,
9	कटार	..	5,000.00	,,
10	नौगढ़	..	5,000.00	
11	बिशुनापुर	..	5,000.00	,,
12	मध्य नगर	..	5,000.00	,,
13	श्री नगर	..	5,000.00	—
14	सधुवापुर	..	5,000.00	पूर्ण
15	कारीकोट	..	5,000.00	—
16	हाडा बसेहरी	..	5,000.00	पूर्ण
17	राम नगर गुलरिहा	..	5,000.00	,,
18	अगैइया	..	5,000.00	,,
19	सहवापुर	..	5,000.00	अपूर्ण
20	हुसैनपुर	..	5,000.00	पूर्ण

वर्ष 1970–71

1	प्रा0 पा0 शिवगढ़	..	5,000.00	पूर्ण
2	प्रा0 पा0 पुरुषोत्तमपुर	..	5,000.00	,,
3	प्रा0 लक्ष्मनपुर गंगापुर	..	5,000.00	,,
4	प्रा0 हरीपुर	..	5,000.00	,,
5	प्रा0 करमोहना	..	5,000.00	अपूर्ण
6	रामपुर गोडवा	..	5,000.00	,,
7	भिठौरा राम सहाय	..	5,000.00	पूर्ण

वर्ष 1971–72

1	क0 पा0 मुडेरवा ठकुराईन	..	8,500.00	पूर्ण
2	का0 पा0 निदुरा	..	8,500.00	,,
3	बंशपुरवा	..	8,500.00	कार्य आरम्भ
4	मंगलपुरवा	..	8,500.00	नहीं हुआ
5	धरमन्तापुर	..	8,500.00	,,
6	डल्लापुरवा	..	8,500.00	,,
7	मनोहरापुर	..	8,500.00	,,

वर्ष 1972–73

1	का0 पा0 भवनियापुर रामगढ़ी	..	17,000.00	अभी कार्य नहीं हुआ है।
2	प्रा0 पा0 रुकनापुर			

वर्ष 1973–74

1	क0 पा0 मगहरिया	..	9,300.00	अभी कार्य नहीं हुआ है।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 197 पर।)

क्रम-सं0	नलकूप संख्या व ग्रुप	ग्राम का नाम
1	2	3
1	14 घोसी समूह . .	. . सरवहत
2	24 घोसी समूह . .	. . फिरउतसिंहपुर
3	35 घोसी समूह . .	. . कल्यानपुर
4	43 घोसी समूह . .	. . अब्दुपार
5	19 घोसी मूह . .	. . बड़राव
6	17 घोसी समूह . .	. . अकमलाखास
7	51 घोसी समूह . .	. . खुनभन्वा
8	27 घोसी समूह . .	. . सामारीडीह
9	119 घोसी समूह . .	. . काठतराव
10	20 घोसी समूह . .	. . टकटउवा रामपुर
11	26 मुहम्मदाबाद . .	. . जनुडी
12	56 मुहम्मदाबाद . .	. . इन्दरपुर
13	10 मुहम्मदाबाद . .	. . रेती
14	29 मुहम्मदाबाद . .	. . पितमपुर
15	9 मुहम्मदाबाद . .	. . दरवरा
16	49 मुहम्मदाबाद . .	. . चाडी
17	25 मुहम्मदाबाद . .	. . सरदारपुर
18	16 मुहम्मदाबाद . .	. . बनियापार
19	27 मुहम्मदाबाद . .	. . घनगिरिया
20	58 मुहम्मदाबाद . .	. . हाजीपुर
21	11 मुहम्मदाबाद . .	. . अभारी
22	38 मुहम्मदाबाद . .	. . रुकमजाली
23	6 आजमगढ़ . .	. . बयासी
24	14 आजमगढ़ . .	. . बलरामपुर
25	10 आजमगढ़ . .	. . परिहा
26	8 आजमगढ़ . .	. . हैदराबाद
27	30 आजमगढ़ . .	. . जमालपुर
28	19 आजमगढ़ . .	. . कंकरहटा
29	66 मुहम्मदाबाद . .	. . सुराई
30	38 लालगंज . .	. . सलेमपुर
31	21 लालगंज . .	. . जियापुर
32	19 सगड़ी . .	. . जलालपुर
33	24 सगड़ी . .	. . रमई
34	48 सगड़ी . .	. . मवाराम्पुर टूडनपटी
35	57 सगड़ी . .	. . बढावेउसीउद्दीनपुर
36	20 फूलपुर . .	. . वेलवार्ड
37	35 फूलपुर . .	. . गर्दपुर
38	22 सगड़ी . .	. . टीकर पठान
39	28 सगड़ी . .	. . खालिसपुर

नत्थी "झ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 199 पर)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 2, 1974 की धारा 9 का संशोधन

2—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे यहां आगे उक्त संहिता कहा गया है, धारा 9 में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहां किसी विशेष मामले में आन्तरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के विचार से ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, वहां सेशन खंड में किसी स्थान में बैठक सेशन न्यायालय कर सकता है या सेशन न्यायालय को तदर्थ उच्च न्यायालय निदेश दे सकता है, और ऐसे मामलों में अभियोजन और अभियुक्त की सहमति आवश्यक नहीं होगी।"

धारा 11 का संशोधन

3—उक्त संहिता की धारा 11 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

धारा 13 का संशोधन

"(1-क) राज्य सरकार इस प्रकार किसी स्थानीय क्षेत्र में, विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के या विशेष वर्गों के मामलों के या साधारणतया मामलों के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित कर सकती है।"

4—उक्त संहिता की धारा 13 में, शब्द "द्वितीय वर्ग" के स्थान पर शब्द "प्रथम या द्वितीय वर्ग" रख दिए जायंगे, और शब्द "किसी जिले में" के स्थान पर शब्द "किसी स्थानीय क्षेत्र में" रख दिए जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

5—उक्त संहिता की धारा 25 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को सहायक लोक अभियोजकों पर अपने नियन्त्रण का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के माध्यम से करने से प्रतिषिद्ध करती है।"

धारा 209 का संशोधन

6—उक्त संहिता की धारा 209 में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 207 के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् यथाशीघ्र—मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा;

(ख) जमानत से सम्बन्धित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (क) के अधीन मामले को सुपुर्द करने तक और तत्पश्चात् विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा;"।

धारा 299 का संशोधन

7—उक्त संहिता की धारा 299 में, उपधारा (1) में, शब्द "उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए सक्षम" के स्थान पर शब्द "उस व्यक्ति का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सक्षम" रख दिए जायेंगे।

धारा 326 का संशोधन

8—उक्त संहिता की धारा 326 में —

(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "मजिस्ट्रेट" आया हो, वहां उसके स्थान पर शब्द "न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट" रख दिए जायेंगे :

(ख) उपधारा (2) में शब्द "एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को" से पूर्व शब्द "एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या" बढ़ा दिए जायेंगे।

धारा 438 का निकाला जाना

9—उक्त संहिता की धारा 438 निकाल दी जायगी।

धारा 484 का संशोधन

10—उक्त संहिता की धारा 484 में उपधारा (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) यूनाइटेड प्राविंसेज बोर्सटल ऐक्ट, 1938; संयुक्त प्रान्त प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 और उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि सक्षम विधान मन्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दिया जाय, और तदनुसार इस संहिता की धारा 360 के उपबन्ध उस राज्य पर लागू नहीं होंगे, और धारा 361 के उपबन्ध इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे, उसमें उल्लिखित केन्द्रीय अधिनियमों के प्रति निर्देश उस राज्य में प्रवृत्त तदनुरूपी अधिनियमों के प्रति निर्देश है।"

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 7, 1938
सं0प्रा0 अधिनियम सं0 6, 1938
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1952

वैधीकरण

11—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी —

(क) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के पूर्व जारी की गई राज्य सरकार की कोई अधिसूचना जिसका तात्पर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय स्थापित करना है, जिसकी अधिकारिता एक से अधिक जिलों में हो, वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त संहिता की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 के अधीन जारी की गयी है और यह समझा जायगा कि वह विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रही है ;

(ख) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के पूर्व जारी किया गया राज्य सरकार का कोई आदेश जिसके द्वारा सहायक लोक अभियोजकों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नियन्त्रण करने का निदेश दिया गया हो, विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रहा है, मानों उक्त संहिता की धारा 25 में इस अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 13, 1976
उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 38, 1975

12—(1) दण्ड प्रक्रिय संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश या दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम दिनांक 28 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुआ था।

उद्देश्य और कारण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कतिपय उपबन्धों से कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं थीं। एक मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 25 को देखते हुए सहायक लोक अभियोजकों पर किसी पुलिस अधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक नियन्त्रण रखने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। एक अन्य मामले में यह निर्णय दिया गया कि धारा 11 और 13 को देखते हुए एक से अधिक जिलों के लिए विशेष न्यायालय सृजित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त स्थिति को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में आवश्यक संशोधन करना समीचीन समझा गया।

2--इस अवसर का लाभ उक्त संहिता की धारा 9 में संशोधन करने के लिये भी उठाया गया जिससे कि ऐसे मामलों में जिनमें लोक व्यवस्था या आन्तरिक सुरक्षा के कारण हों, सेशन न्यायालय स्वविवेक से अपनी बैठ कें सामान्य बैठक के स्थान से भिन्न स्थान पर कर सकें, या उच्च न्याय'लय ऐसा करने के लिये सेशन न्यायालय को निदेश दे सके।

3--यह भी समीचीन समझा गया कि धारा 13 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त धारा 326 को इस प्रकार संशोधित करना अपेक्षित था जिससे कि किसी सेशन न्यायाधीश के स्थानान्तरण की स्थिति में, जिसमें किसी मामले पर उसने विचार करना प्रारम्भ कर दिया हो, नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता न रह जाय।

4--कतिपय अन्य छोटे-मोटे परिणामिक संशोधन करना भी अपेक्षित था।

5--चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था, इसलिए उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 38, 1975) प्रख्यापित किया गया था।

6--30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित होने और बाद में 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण यह अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 के पश्चात् प्रवृत्त न रह जाता। तदनुसार 16 फरवरी, 1976 को उक्त अध्यादेश निरसित किया गया और इसी विषय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, 1976) प्रख्यापित किया गया था। ऐसा करते समय, कतिपय और संशोधन भी किए गए थे। विशेषत: प्रत्याशित जमानत (धारा 438) के उपबन्ध को, जिससे व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं, निकाल दिया गया धारा 209 के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्वचन को दृष्टि में रखते हुए उक्त धारा में भी औपचारिक संशोधन किया गया जिसके अनुसार अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास न रह जायगी जैसे ही पुलिस सेशन न्यायालय द्वारा विचाराणीय किसी मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत करे।

7--यह विधेयक उक्त अध्यादेश संख्या 13, 1976 का स्थान ग्रहण करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मन्त्री।

नत्थी "ञ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 210 पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई० की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(3) परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् —

(i) सम्बद्ध चीनी की फैक्टरी के दो प्रतिनिधि, जो अध्यासी द्वारा नामांकित किए जायेंगे ;

(ii) पांच गन्ना उत्पादक जिनका निर्वाचन सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य उन व्यक्तियों में से करेंगे जो गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में पूर्ववर्ती तीन वार्षिक प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में प्रथम दस स्थान प्राप्त किए हों :

प्रतिबन्ध यह है कि चुने जानेवाले पांच गन्ना उत्पादकों में से कम से कम दो गन्ना उत्पादक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उस वर्ष में जिसमें उक्त प्रतियोगिता हुई हो, दो हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्रफल में गन्ना की खेती नहीं की थी ;

(iii) सुरक्षित क्षेत्र में, खंडसारी बनाने वाली लाइसेंस शुदा शक्ति, चालित इकाइयों का एक प्रतिनिधि जो स्वामियों द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(iv) जिला गन्ना अधिकारी ;

(v) गन्ना रक्षा निरीक्षक ;

(vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत रीजनल केन डेवलपमेंट कारपोरेशन नामक कम्पनी का एक प्रतिनिधि जो उसके द्वारा नामांकित किया जायगा ;

(vii) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(3-क) परिषद् के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को जो सरकारी सेवक न हो, परिषद् का सभापति निर्वाचित करेंगे।";

(ख) उपधारा (4) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रख्यापन के पश्चात् गठित की जाने वाली प्रथम परिषद् का कायकाल केवल एक वर्ष होगा।"

नयी धारा 8-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"8-क—यदि किसी समय राज्य सरकार का परिषद् के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का निर्वहन और कर्त्तव्य का पालन करने में जानबूझ कर व्यक्तिक्रम किया है तो वह विज्ञप्ति द्वारा परिषद् का ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकती है, और अतिक्रमण की अवधि म परिषद् के कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसा प्रबन्ध करेगी जैसा वह उचित समझे"।

परिषद् का अतिक्रमण

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 2, 1976

(2) ऐसे निरसन का उपधारा (1) म उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई काय या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में गन्ना विकास परिषद् के गठन करने की व्यवस्था है। इन परिषद् ों को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने की दृष्टि से उनके गटन में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया। गन्ना विकास परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी और उसे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया और यह उचित समझा गया कि नाम-निर्दिष्ट चेयरमैन के बजाय उसके निर्वाचन की व्यवस्था की जाय। यह भी आवश्यक समझा गया कि उस परिषद् के अतिक्रमण करने की भी व्यवस्था की जाय जो अपने कर्त्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने में जान-बूझकर व्यतिक्रम करता है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त परिवर्तन करना लोक-हित में आवश्यक था, इसलिए 17 सितम्बर, 1975 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया गया।

इस बीच 30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उक्त अध्यादेश, 16 फरवरी 1976 के पश्चात् प्रवृत्त न रह जाता। अत : एक नए अध्यादेश द्वारा उक्त अध्यादेश को निरसित और प्रतिस्थापित करना आवश्यक था। तदनुसार इस प्रयोजन के लिए 16 फरवरी, 1976 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक, 1976 के उक्त अध्यादेश संख्या 2 का स्थान ग्रहण करने के लिए पुर : स्थापित किया जाता है।

शान्ति प्रपन्न शर्मा,
सहकारिता तथा गन्ना विकास मन्त्री।

नत्थी "ट"

(देखिए पीछे पृष्ठ 200 पर)

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होग ।

(3) यह 27 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायग ।

अधिनियम संख्या 9, 1910 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 की उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "ग्यारह मास" रखे जायगे और सदैव से रखे गए समझे जायंगे।

नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात् :—

अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और उपक्रम का अर्जन

"6क—(1) इस धारा में "नियत दिन" से स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर, 1975 अभिप्रेत है, और स्थानीय प्राधिकारियों के, जो अनुज्ञप्तिधारी हैं, सम्बन्ध में ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे भिन्न भिन्न उपक्रमों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।"

(2) धारा 4, 4-क, 5 तथा 6 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उपक्रम की अनुज्ञप्ति, जब तक कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रतिसंहृत न कर दी गयी हो, नियत दिन से प्रतिसंहृत हो जायगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक उपक्रम, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत हो गई है, इस धारा के फलस्वरूप राज्य विद्युत् बोर्ड को, जिसे आगे इस धारा में "बोर्ड" कहा गया है, अन्तरित हो जायगा और अन्तरित हुआ समझा जायगा और बोर्ड में किसी ऋण, बन्धक या अनुज्ञप्तिधारी की उपक्रम से संलग्न वैसी ही बाध्यता से मुक्त रूप में निहित हो जाएगा और निहित हुआ समझा जायगा :

परन्तु ऐसा कोई ऋण, बन्धक या वैसी बाध्यता उपक्रम के लिए संदेय रकम से संलग्न हो जायगी जैसा कि खण्ड (ज) में उल्लिखित है ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी की अपनी अनुज्ञप्ति के अधीन अधिकार, शक्ति, प्राधिकार, कर्त्तव्य और बाध्यतायें बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगी और अनुज्ञप्ति आगे प्रवर्तनशी न रहेगी ;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम को, बोर्ड को या ऐसे अधिकारी को जिसे बोर्ड उस निमित्त नियुक्त करे, तुरन्त परिदत्त करेगा, और यदि कोई सम्पत्ति या :ास्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज जो उपक्रम का भाग हो, और अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के क.जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में हो तो उसे ऐसा व्यक्ति भी बोर्ड या ऐसे उपर्युक्त अधिकारी को परिदत्त करेगा ;

(घ) बोर्ड इस धारा के अधीन .ब्जे में ली गई समस्त सम्पत्तियों, आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्टरों और दस्तावेजों की एक तालिका यथासाध्य अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तैयार करेगा ;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी या, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न कोई व्यक्ति, उपक्रम में समाविष्ट समस्त सम्पत्ति और आस्ति और किसी लेखा-बही, रजिस्टर या दस्तावेज के लिए भी, जिसे वह खंड (ग) के अधीन बोर्ड को परिदत्त करने में असफल रहा है, हिसाब देने क उत्तरदायी होगा ;

(च) प्रत्येक उपक्रम का स्वामी नियत दिन से साठ दिन के भीत या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा बोर्ड उस निमित्त अनुज्ञा दे, बोर्ड को या ऐसे अधिकारी को जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, उपक्रम की प्रतिभूति पर उपगत और नियत दिन को अस्तित्वयुक्त समस्त दायित्वों और बाध्यताओं की, और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त उपक्रम के समस्त करार और अन्य लिखतों (जिसके अन्तर्गत करार, डिक्री पंचाट, स्थायी आदेश और उपक्रम में नियोजित किसी व्यक्ति की छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि, और सेवा के अन्य निबन्धन भी हैं) की भी पूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा और बोर्ड इसके लिए उसे समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा ;

(छ) नियत दिन के ठीक पूर्व उपक्रम मे कार्यरत कर्मचारिवर्ग निम्नलिखित उपबन्धों से शासित होंगे :—

(i) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में रहा हो, नियत दिन को और नियत दिन से उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर और पेन्शन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों के साथ बोर्ड का कर्मचारी हो जायगा जो उसे अनुमन्य होता यदि उपक्रम बोर्ड को अन्तरित और उस में निहित न किया गया होता और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन बोर्ड से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसका पारिश्रमिक या नियोजन के अन्य शर्त और निबन्धन बोर्ड द्वारा यथाविधि परिवर्तित न कर दिए जायं :

परन्तु बोर्ड नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के भीतर की गयी सभी नियुक्तियों या कर्मचारियों को मजदूरी या वेतन में दी गयी वृद्धि की वास्तविकता का पुनर्विलोकन करने के लिये किसी अधिकारी या समिति को नियुक्त कर सकेगा, और यदि किसी ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और किसी अभ्यावेदन पर जो प्रभावित व्यक्तियों से उस निमित्त प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात् की गई कोई नियुक्ति

या दी गई कोई वेतन वृद्धि बोर्ड को यथार्थ प्रतीत न हो तो वह, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी की सेवा को समाप्त या वेतन वृद्धि को रद्द कर सकेगा ;

परन्तु यह और कि पुनर्विलोकन करने वाले अधिकारी अथवा समिति, जैसी भी दशा हो, के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ii) बोर्ड किसी अधिकारी या समिति को उपखंड (i) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से लिए गए कर्मचारियों के, उनकी अर्हता, अनुभव और वर्तमान मजदूरी या वेतन और बोर्ड मे उनके समान कर्मचारियों की मजदूरी या वेतन के ढांचे को ध्यान में रख कर बोर्ड की मजदूरी या वेतन के मान-क्रम उपयुक्तीकरण के प्रयोजनार्थ नियुक्त कर सकेगा ;

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28, 1947 ई0

(iii) संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई0 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उप-खंड (i) के अधीन बोर्ड मे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से ऐसा कोई कर्मचारी उस ऐक्ट या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ;

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28, 1947 ई0

(iv) शंकाओं के परिवर्जन के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपखंड (iii) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे किसी कर्मचारी द्वारा, जिसकी सेवा उपखंड (i) के अधीन समाप्त की गई हो, संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई0 की धारा 6-ढ और 6-ण के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से यदि ग्राह्य हो तो प्रतिकर का दावा करने के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है ;

(ज) बोर्ड धारा 7-क के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा :

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी नियत दिन से उक्त रकम के संदान की तारीख तक की कालावधि के लिए उस पर उक्त रकम के अतिरिक्त नियत दिन को अभिभावी रिजर्व बैंक दर पर और एक प्रति वर्ष ब्याज का हकदार होगा।"

धारा 7 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में, उब्द "उपक्रम राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा क्रय किया जाय" तथा शब्द "और" के बीच में शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6-क के अधीन अर्जित किया जाए" रखे जायेंगे।

धारा 7-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7-क में

(i) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन क्रय" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6-क के अधीन अर्जित' रखे जायेंगे ;

(ii) उपधारा (2) म—

(क) खण्ड ( ) में शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो)" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जो मार्ग पर प्रकाश करने के लिए स्थानीय निकायों के खर्च पर निर्मित हैं और ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो)" रखे जायेंगे और दिनांक 4 फरवरी, 1975 रखे गए समझे जायेंगे;

(ख) खण्ड (4) में, शब्द और अंक "धारा 7" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा 6-क या धारा 7" रखे जायेंगे ;

(iii) उपधारा (3) में, शब्द तथा अंक "धारा 6 के अधीन अनिवार्य क्रय" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6-क के अधीन अर्जन" रखे जायेंगे ;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और 4 फरवरी, 1975 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :–

"(8) जहां अनुज्ञप्तिधारी को संदेय कुल रकम —

(क) इस धारा के अधीन कटौती की जाने ाली कुल रकम के बराबर हो, वहां क्रेता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को कोई संदाय नहीं किया जायगा ;

(ख) इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली कुल रकम से कम हो, वहां इस प्रकार संदेय कुल रकम और कटौती की जाने वाली कुल रकम का अन्तर विशेष अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।";

(v) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा ब ाई जाएगी और 4 फरवरी 1975 ा ब ाई गयी सम ी जायगी, अर्थात् :—

"(9) जहां कोई ऐसी रकम जो क्रेता की न हो, उपधारा (5) के खण्ड (ग), खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन उसके द्वारा काटी गई हो या उपधारा (8) के अधीन वसूल की गई हो, हां अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व, यथास्थिति राज्य सरकार या अन्य निकायों या उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं के प्रति इस प्रकार की गई कटौती और वसूली की सीमा तक उन्मोचित हो जायगा और अनुज्ञप्तिधारी के स्थान पर क्रेता उस सीमा तक उनके प्रति उत्तरदायी हो जायगा।"

धार 7-कक का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 7-कक में,—

(i) उपधारा (1) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 6 की उपधारा (6)" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "या धारा 6-क की उपधारा (3) के खण्ड (ग)" रखे जायेंगे, और

(ii) उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "धार 7 के उपबन्ध" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "यथास्थिति, धारा 6-क या धारा 7 के उपबन्ध" रखे जायेंगे।

धार 2-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 42-क में, शब्द "धारा 6 की उपधारा (6-क)" और शब्द "के किसी उपबन्ध का" के बीच में शब्द "या धारा 6-क" रखे जायेंगे।

धारा 42-कक का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 42-कक के खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 6 की उपधारा (6)" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "या धारा 6-क की उपधारा (2) के खण्ड (ग)" रखे जायेंगे।

वैधीकरण

9—किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किय' गया या किया हु ा तात्पर्यित कोई कार्य या की गई या हुई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत, विशिष्टत उसकी धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ूचना की कालावधि

भी है, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसी प्रकार विधिमान्य समझी जायगी और सदव विधिमान्य होगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को उक्त धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ग्यारह मास से अ यून की सूचना विधिमान्य होगी और सदैव विधिमान्यतः दी गई समझी जाएगी।

निरसन और अपवाद

10—(1) भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1976

(2) ऐसे नि सन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

— —

उद्देश्य और कारण

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 6 में यह अपेक्षा की गई थी कि राज्य विद्युत बोर्ड किसी प्राइवेट विद्युत् उपक्रम की अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर उसके क्रय विषयक अपने विकल्प का प्रयोग करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक वर्ष की नोटिस दे। चूंकि इस बात का सन्देह उत्पन्न हुआ कि क्या पहले के प्रत्येक मामले में वास्तव में एक वर्ष की नोटिस दी गयी थी, अत : यह समीचीन समझा गया कि इस धारा को पूर्ववर्ती दिनांक से संशोधित किया जाय जिससे कि नोटिस की अवधि को कम करके ग्यारह मास कर दिया जाय।

2--भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1975 में भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारियों की आस्तियों के अवक्षयण मूल्य का भुगतान करने का उपबन्ध है। इस बात की आशंका हुई कि इस उपबन्ध के कारण, प्राइवेट विद्युत उपक्रम जिन्हें अपने अधिकार में नहीं लिया गया है या तो अपनी मू यवान आस्तियों को हटा सकते हैं या अपने उपक्रमों का यथोचित अनुरक्षण करने या उसमें और विनिधान करने की उपेक्षा कर सकते हैं। अतएव, लोक-हित में यह आवश्यक हो गया कि सभी प्राइवेट विद्युत् उपक्रमों की अनुज्ञप्तियां विखंडित कर दी जायं और उन्हें तत्काल अपने अधिकार में ले लिया जाय। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चलाए ज ने वाले विद्युत् उपक्रम भी अच्छी दशा में नहीं थे और यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे दिनांक से जिसे भविष्य में विनिर्दिष्ट किया जायगा, उनकी अनुज्ञप्तियों के विखंडन के लिए भी समर्थकारी उपबन्ध बनाए जाये।

3--चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित था, इसलिए 27 नवम्बर, 1975 को भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया गया था।

4--इस बीच में 30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण, उपर्युक्त अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 के पश्चात् प्रवृत्त न रह जाता। अत: एक नए अध्यादेश द्वारा उपर्युक्त अध्यादेश को निरसित और प्रतिस्थापित करना आवश्यक था और तदनुसार इस प्रयोजन के लिए 16 फरवरी, 1076 को भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया गया था।

5--यह विधेयक 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 12 का स्थान ग्रहण करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमारी बाजपेई,
विद्युत् मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०--एल० 17 वि० सभा--(30)--1976--8401